खण्ड-222, अंक-6
शनिवार, 25 चैत्र, शक संवत् 1883
(15 अप्रैल, 1961 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 222 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक, सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—२९९

अक्षयवर्सिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ़ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ़ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती

चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीवंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धोलाल, श्री
बुद्धोसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री

मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी

वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री,
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखरानोदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वित्त मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

शनिवार, १५ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उप-कुलपतियों का त्याग-पत्र

**१—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया) तथा श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव (जिला आजमगढ़)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर तथा वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों ने अपने-अपने पदों से त्याग-पत्र दे दिया है?

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां।

**२—श्री गौरीशंकर राय तथा श्री पद्माकर लाल श्रीवास्तव—क्या शिक्षा मंत्री कृपया उन त्याग-पत्रों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां, त्याग-पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४०–५४१ पर)

श्री गौरीशंकर राय---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि सभी उपकुलपतियों ने जो इस्तीफे दिये हैं, उन को मंजूर किया गया है या इस बिल के ऐक्ट बन जाने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर्स के इस्तीफे इस बिल पर एसेन्ट हो जाने से पहले चांसलर को प्राप्त हो गये थे। उनके इस्तीफे स्वीकार हो गये हैं। उपकुलपति आगरा विश्वविद्यालय का तार साढ़े नौ बजे आया था। उसके पहले इस विधेयक पर एसेंट हो चुकी थी और गवर्नर महोदय ने उनको चिट्ठी भी जारी कर दी थी कि इस अधिनियम के बन जाने के बाद आप का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

श्री गौरीशंकर राय---मान्यवर, मेरे पास सभी त्याग-पत्रों की प्रतिलिपियां हैं लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति का जो त्याग-पत्र है उस को आप की आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है :—

"I find that the University Amendment Bill was passed by the Council yesterday and is awaiting your assent. In the circumstances, I should like to be relieved of my office immediately.

I may also mention that I consider the principle embodied in the Bill as unsound and inequitous and I should like to reserve my right to such legal remedy as may be open to me."

मैं जानना चाहता हूं कि यह इस्तीफ़ा नहीं है तो इसको इस्तीफ़ा समझ कर कैसे स्वीकार कर लिया ?

श्री अध्यक्ष---पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने स्वीकार किया है ?

श्री गौरीशंकर राय---श्रीमन्, चांसलर महोदय ने किया है। यह इस्तीफ़ा नहीं है और सरकार ने कहा कि इनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, जब कि यह इस्तीफ़ा नहीं है।

श्री रामस्वरूप यादव---इस पत्र की भाषा यह है—"I should like to be relieved of my office immediately." अब इंटरप्रेटेशन का सवाल है। चांसलर महोदय ने इस्तीफा ही समझा। उन्होंने उत्तर में भी यही कहा था कि आप का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है। अगर कोई कभी इंटरप्रेटेशन का सवाल उठे तो १० तारीख को हमारा अधिनियम बन गया उसके बाद तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---मंत्री महोदय बतायेंगे कि इनका स्थान रिक्त होने से उसके लिये अंतरिम व्यवस्था सरकार ने कोई की है ? अगर हां, तो क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अगर ऐसी परिस्थिति हो जाय जब वाइस-चांसलर कोई न रहें तो कार्य चलाने के लिये रजिस्ट्रार काम कर सकते हैं लेकिन वह किसी बैठक में जैसे एकेडेमिक काउन्सिल या ऐक्जीक्यूटिव काउन्सिल की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। बाकी इस अधिनियम में अधिकार है कि अगर चांसलर चाहे तो वाइस-चांसलर भी बीच वाले समय के लिये बना सकते हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---मंत्री जी बतायेंगे कि चांसलर साहब ने इस सम्बन्ध में कोई लीगल एडवाइस ली थी, क्योंकि वाइस-चांसलर, लखनऊ का जो इस्तीफा है उस में जो लीगल रेमेडीज पाने के लिये उन्होंने लिखा है, कि उनको क्या लीगल रेमेडी मिल सकती है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसका तो ज्ञान नहीं है कि चांसलर महोदय ने राय ली कि नहीं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया है कि "hereby accepts your resignation with immediate effect."

और उन्होंने लिखा था"I should like to be relieved of my office immediately."अब इसके इंटरप्रेटेशन का सवाल है, तो जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि १० तारीख के बाद, जिस दिन हमारा अधिनियम बन गया, उसके बाद तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---जो वाइस-चांसलर अभी हटे हैं और जिनका कार्य संतोषजनक रहा है और उनके प्रति कोई शिकायत नहीं रही है उन्हें अंतरिम काल में पुनः रखने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव---चांसलर महोदय के सामने यह विषय विचाराधीन है।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---मंत्री जी बतायेंगे कि जो विधेयक पारित हुआ है उसके अन्तर्गत नये वाइस-चांसलर का चुनाव कब तक कराने का सरकार का इरादा है?

श्री रामस्वरूप यादव---अधिनियम में दी हुई जिस विधि से चुने जायंगे उसमें ढाई तीन महीने का समय तो लग सकता है। सरकार तो चाहेगी कि जल्दी वह नाम चांसलर को भेज दें जिससे तीन महीने के अन्दर वाइस-चांसलर बनाया जा सके। कुछ देर हो जाय तो उसके लिये इस समय कहना असम्भव है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार ने चांसलर साहब को क्या राय दी है जो रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं वह करते रहें जब तक कि नये न चुने जायं या बीच में वह उपकुलपति को नियुक्त कर दें जिसका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायगा जब कि नये उप-कुलपति चुन कर आ जायंगे?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन और चांसलर के बीच की बात बताने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---आगरा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति ने जो पत्र लिख कर भेजा है मंत्री जी बतावेंगे कि उन्होंने भी कोई ऐसी शर्त लगायी है? या सीधे-सीधे इस्तीफा दे रखा है?

श्री रामस्वरूप यादव---उन्होंने तो केवल यह लिखा है कि---"Please accept my resignation." लेकिन जैसा मैंने कहा १० अप्रैल को रात्रि में ९ बजकर ३५ मिनट पर तार आया उससे पहले अधिनियम बन चुका था और पत्र भी उन को और रजिस्ट्रार को इस सम्बन्ध में जारी हो चुके थे।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि चांसलर महोदय ने लॉ डिपार्टमेन्ट से इस इस्तीफे के मामले में कोई सलाह ली थी या नहीं? यदि हां, तो लॉ डिपार्टमेन्ट की क्या राय थी?

श्री अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बतला दिया।

श्री अवधेशप्रतापसिंह---मान्यवर, पालीवाल जी का यह प्रश्न था कि माननीय मंत्री महोदय की क्या राय थी लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि लॉ डिपार्टमेन्ट की क्या राय थी?

श्री अध्यक्ष---श्री रामस्वरूप वर्मा ने इसको पूछा था और उसका उत्तर यह दिया गया कि सरकार को ज्ञात नहीं है कि चांसलर महोदय ने राय ली या नहीं।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय

श्री अध्यक्ष--आज नियम ५२ के अन्तर्गत तात्कालिक महत्व का कोई विषय नहीं आया, सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिये जिसे मैं स्वीकार करूं। अब आगे का कार्य प्रारम्भ होगा बजट के सम्बन्ध में।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)--मैंने कुंडा के बारे में परसों भी सूचना दी थी और आज भी दी। यह बहुत महत्व का प्रश्न है। वहां दूकानदारों को सूचना नहीं दी गयी और अन्तरिम जिला परिषद् की तरफ से बिना सूचना दिये....

श्री अध्यक्ष--यह स्थानिक शासन से सम्बन्धित सवाल है।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण (क्रमागत)†

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी (जिला इलाहाबाद)--मैं आज के अनुदान का समर्थन करती हूं। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, इसलिये इसका विशेष महत्व है। मैं इस इरादे से कल सदन में बैठी थी कि सामने वाले भाइयों से नुक्ताचीनी के साथ मैं कुछ सुझाव भी पाऊंगी जिससे आयंदा सालों में हम अपने कार्यक्रम को सुचारुरूप से चला सकें, पर मुझे निराशा ही हुई। सामने वाले भाइयों से योजना का विरोध मिला और कहीं कहीं पर निजी शिकायतें भी सुनने को मिलीं। इसके लिये मैं उनकी आभारी हूं कि उन्होंने हमारा ध्यान इस तरफ़ दिलाया।

हम तो खुद इस बात को मानते हैं कि हमने उतनी उन्नति तो नहीं की जितनी होनी चाहिये थी। लेकिन नीयत यह थी कि गांव उठ सकें। मैं गेंदासिंह जी को बतला दूं कि पानी पीने के कुंएं, खेती की सिंचाई के लिये कुंएं और एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये छोटे छोटे रास्ते जो बनें, जो बीज खेती के लिये वितरण किया गया, जो पशु चिकित्सालयों का इन्तजाम किया गया या जो भी छोटी-छोटी योजनायें घरों के लिये बनायी गयीं, क्या वे जनहित के लिये नहीं थीं। आशा यही की जाती थी कि वे जनहित के लिये हैं और सामने वाले भाई भी इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं कि जनहित के लिये ही इन सारी चीजों का प्रबन्ध किया गया था।

दूसरी चीज यह हुई कि इस योजना के सम्बन्ध में जाग्रति भी फैलायी गयी और यह कर्मचारियों का एक सराहनीय कार्य है कि लोग अपने कामों को जानने लगे, उनके प्रति शिकायत करने लगे।

यह सब होते हुए भी हम को अपनी वास्तविक हालत की ओर से आंखें बन्द नहीं करनी होंगी। उस को हमेशा अपने सामने रखना होगा। १० वर्ष के अन्दर आज हमारी वास्तविक परिस्थिति क्या है इसे हमें देखना होगा। सन् ५०-५१ में हमारी पर-कैपिटा इनकम गांव की २१०.६ वार्षिक थी और अब १९६०-६१ में हमारी पर कैपिटा इनकम १९१.० है और साथ ही यह चीज भी हम याद रखें कि हमारे रुपये की कीमत २० परसेंट कम हो गयी है। इसका अर्थ यह होता है कि अगर २० परसेंट रुपये की कीमत कम हुई तो ३८ रुपये १९१ में से और निकाल दें, यानी इस समय १५३ रुपये पर-कैपिटा हमारी इन्कम रही। अगर हम १९१ रुपये भी अपनी पर कैपिटा इन्कम मान लें तो भी यह औसतन आय है। औसतन आय के अन्तर्गत केवल ८ आने प्रति दिन प्रति व्यक्ति पड़ता है और इस औसतन आय में २ आने प्रति दिन वालों से ले कर १० रुपये या उससे ऊपर की इन्कम वाले भी शामिल होते हैं। इसका अर्थ हम जानते हैं कि इस देश के अन्दर कम से कम २० प्रतिशत ऐसी जनता है जिसकी २ आने, ढाई आने रोज की आमदनी है और यह सरकारी आंकड़ों के मुताबिक है और ३० परसेंट जनता ऐसी है

†१४ अप्रैल, १९६१ की कार्यवाही से।

[कुमारी कमलकुमारी गोईंदी]

जिसकी आमदनी ५ आने रोज है। अब हमारा पहला चार्ज यह है कि जो सब से नीचे स्तर की जनता है उसको थोड़ा-सा भी ऊपर करना है। देखना यह है कि इसका सुझाव कहां पर है कि इसको थोड़ा-सा आगे यानी ढाई आने के ३, ४, ५ आने रोज तक की आमदनी हम करवा सकेंगे। यह केवल एक ही तरह से हो सकता है कि जन समूह के पास जो खाली समय है उसका हम सुचारुरूप से प्रबन्ध कर सकें, चाहें छोटे से छोटा कार्य ही उसमें हम दे पायें, इसी के ऊपर हमारी सफलता निर्भर करती है।

मान्यवर, मैं अपने इस प्रदेश के मैदानी, पहाड़ी तथा बुन्देलखंड के इलाकों की जानकारी की बिना पर जिस नतीजे पर पहुंची हूं उसके बारे में बहुत न कह कर पूज्य बापू के शब्द फिर से याद दिलवा देना चाहती हूं। उनके शब्द हैं--

"If India's villages are to live and prosper the Charkha must become universal. Rural civilization is impossible without the Charkha and it implies the revival of village craft."

श्री अध्यक्ष--इसका हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये क्योंकि बहुत से लोग समझे नहीं होंगे।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--बहुत अच्छा। गांव की तरक्की, केवल चरखे के ऊपर और चरखे के साथ जो उद्योग जुड़े हुये हैं उनके ऊपर निर्भर है यह बापू का निश्चित मत था उसके साथ उन्होंने must लगाया है। कहा जा सकता है कि सरकार का इस ओर ध्यान भी है और इस बजट में धनराशि भी रखी हुई है और यह मद देश के तपे तपाये रचनात्मक कार्यकर्ताओं के हाथ में भी है, उनकी नीयत पर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हमारी ऐसी परिस्थिति क्यों है इसको जरा गम्भीरता से सोचना चाहिये। आज इस उद्योग का भी केन्द्रीयकरण होता चला जा रहा है इसका क्या कारण है? इस प्रोग्राम की असफलता की ओर हम लोगों को ध्यान देना होगा। पहली बात तो यह है कि सूत कातने के काम को फालतू समय का कार्य मानना चाहिये। जब दूसरा कोई कार्य मनुष्य के पास न हो उस समय का यह कार्य है। अगर हम गांव को खादी की इकाई मान लें तो खादी बुनने, रंगने, छापने, लोहार, बढ़ई, आदि के कार्य भी वहां पर होंगे। लेकिन मौजूदा सिस्टम में क्या है कि कहीं कपास बोई जाय, कहीं ओटी जाय, कहीं पूनियां बनें, कहीं उसका सूत काता जाय, कहीं बुना जाय, कहीं रंगा जाय। यहां तक कि जब एक्चुअली यह कंज्यूमर के हाथ में, खरीदने वाले के हाथ में खादी पहुंचती है तो उसकी कीमत दुगनी हो जाती है। इसलिये इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हमने क्यों इस को आम जनता की चीज बनाने से मुंह मोड़ा। इस का कारण यह है कि जब से खादी सरकार की चीज बनी तभी से प्राइवेट संस्थायें भी मजबूर हैं और वह भी अपना संबंध इसी के साथ जोड़ने में सफलता से चलने में मजबूर हैं। इसकी ऐसी परिस्थिति है।

मेरा सुझाव इतना ही है कि हम इस नीति को देखने से पहले यह देखें कि किस तरह से हम ब्लाक बाइज अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। कपास बोने से लेकर कपड़ा बुनने तथा छापने तक एक ही स्थान पर हो और वहीं पर इसकी लागत भी हो। केवल फालतू कपड़ा बाहर गांव से जाय। (लाल बत्ती जलने पर) मान्यवर, मुझे कुछ समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--अभी बहुत से बोलने वाले हैं इसलिये दस मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा।

कुमारी कमलकुमारी गोईंदी--मान्यवर, बात यह है कि बी० डी० ओज० समझ सकें कि एक हजार रुपया एक हजार व्यक्ति के पीछे प्रति माह बाहर चला जाता है। यदि उसको

हम वहीं का वहीं रोक लें तो फिर हमारा काम सुचारू रूप से चल सकता है। परन्तु हमारे कर्मचारियों का दृष्टिकोण खादी वाला नहीं है।

दूसरी चीज यह है कि गांव वालों की बेहतरी के लिये हायर परचेज सिस्टम पर को-आपरेटिव के जरिये गांव वालों की गाय भैंस सरकार दे जिससे उनकी बेहतरी हो और गरीबी को हटाने के लिये और खुशहाली को लाने के लिये हम आगे बढ़ सकें। मान्यवर, इलाहाबाद में फूलपुर में एक बी० डी० ओ० जो मारा गया वह मर गया। इसी तरह बनारस में दो ब्लाकों पर बी० डी० ओज० को मारा गया और उनकी जान खतरे में है और इसी तरह का कांड आजमगढ़ में हुआ। इसलिये मेरा सुझाव है कि उनके मकान ऊजड़ में बने हुये हैं वह बस्ती में सुरक्षित स्थान पर थाने के पास हों। दूसरे उनके मकानों की दीवार ठीक रूप से बनी हो। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि इन असुविधाओं को सरकार देखे। मुझे और बहुत सी बातें कहनी थीं।

श्री अध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्तुत अनुदान पर जो माननीय गेंदासिंह जी का प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, आज हम यह बहस कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं में क्या खामियां हैं। मैं आपकी आज्ञा से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से हूं जो इसको योजना मानते ही नहीं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह अत्यन्त ही अनियोजित योजना है, यह अनप्लान्ड प्लानिंग है। इसको प्लान कहा जाय, आप जो चाहे कह सकते हैं, आप से कोई झंझट नहीं करेगा, लेकिन अपना विश्वास है कि अनियोजित योजना है और इस प्लानिंग के लिये कोई प्लानिंग नहीं हुई। सारी चीजों के देखने से मुझे तो ऐसा ही लगता है।

दूसरी चीज हमारे सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने यह है कि जो सरकार शासन कर रही है, उसने समाजवाद के सिद्धान्त को अपनाया हुआ है, इससे विश्लेषण की इच्छा कम हो जाती है। अगर यह योजना ही नहीं है तो समाजवादी योजना कैसे हो सकती है? इसके ऊपर सोचना होगा और समय बहुत थोड़ा है इसलिये इसके संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। समाजवाद का कुछ अर्थ होता है और वह किसी आर्थिक और सामाजिक दशा की ओर संकेत करता है। यह कोई लकड़ी या पत्थर की चीज नहीं है बल्कि एक जीवन-क्रम है, आर्थिक और सामाजिक ढांचे का नाम ही समाजवाद है। लेकिन आपका प्लानिंग बिलकुल इसकी विपरीत दिशा की ओर तेजी से ले जा रहा है। जिन चीजों के वायदे किये गये हैं उनके विपरीत यह ले जा रहा है। विकेन्द्रीयकरण के बजाय केन्द्रीयकरण की तरफ जितना पैसा खर्च हो रहा है, ले जा रहा है। अगर हम इस बात का विश्लेषण करें कि इसमें कितना रुपया प्राइवेट सेक्टर में और कितना रुपया पब्लिक सेक्टर में खर्च हुआ, उससे स्पष्ट मालूम हो जायगा कि हम समाजवाद की तरफ जा रहे हैं या नहीं। समाजवाद की मोटी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर की आमदनी बढ़नी चाहिये। उसकी तरफ धन का ज्यादा खर्चा होना चाहिये। तब समाज समानता की ओर जायगा। लेकिन आंकड़े यह साबित करते हैं, जिनको यहां रखने का समय नहीं है, कि बड़ी तीव्रता के साथ असमानता की ओर देश को ले जा रहे हैं और उसके साथ हम समानता की बात करते हैं। अगर अपने इस पैसे को खर्च करने के तरीके को वह योजना कहते हैं तो कहें लेकिन इसको समाजवादी योजना मत कहें। देश में समाजवाद तो आयेगा और सारे विश्व में समाजवाद आयेगा। यह सरकार समाजवाद न लाये, तब भी वह आयेगा। उसको तो आना है। वह रोकने से नहीं रुक सकता तो मैं चाहूंगा कि समाजवाद की बढ़ती हुई गाड़ी को वह न खड़ी करें क्योंकि चारों तरफ तीव्रता के साथ असमानता कम होती जा रही है। यहां अंग्रेजों के जमाने में बड़े अफसरों के वेतन का जो पैटर्न था वही आज भी है, छोटे कर्मचारियों का जो पैटर्न था वही आज भी है। सारे दृष्टिकोण में कोई फर्क नहीं आया है।

[श्री गौरीशंकर राय]

अनप्लांड प्लानिंग मैंने इसलिये कहा कि जब हम कोई चीज बनाते हैं तो अपना दिमाग साफ नहीं रखते। उदाहरण के लिये, मैं बताऊं मैं प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले का रहने वाला हूं। हम लोगों के जिले में जब रिहन्द डैम के बनने की चर्चा हुई, तो लोगों में बड़ी प्रसन्नता हुई। कांग्रेस के नेता, जो लोग इस समय मौजूद हैं उनको मैं नेता कैसे मानू, जो पहले माननीय मुख्य मंत्री थे पं० गोविन्दवल्लभ पंत वह जरूर कांग्रेस के नेता थे। जिस समय पंत जी भाषण देने गये तो उन्होंने कहा कि सारे गांव-गांव में स्वर्ग हो जायगा, गांव-गांव में बिजली जायगी, सस्ती बिजली जायगी जिसको किसान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वह सारे वादे भूल गये। सरकार के पास कोई प्रायरिटी और प्रिफरेंस का मामला नहीं है। सरकार ने बिजली देने में प्रायरिटी दी अल्युमीनियम फैक्टरी को, सिंचाई के लिये पानी के बारे में बिजली में प्रायारिटी नहीं है। मैं तो समझता हूं कि १५० पर किलोवट पर किसान की किस्मत बिड़ला के हाथ बेंच दी और किसान को तबाह कर दिया। बिड़ला को जिस दर से बिजली दे रहे हैं उससे दुगुनी तिगुनी दर से किसान को बिजली दी जाती है। कारण यह है कि कोई योजना नहीं थी। दिमाग में कोई साफ बात तो थी नहीं कि कौन इंडस्ट्री लगायेंगे। अगर बिजली महंगी होगी तो छोटी इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप करेंगी? हमारे यहां एक बर्फ की फैक्टरी है। उसमें जिस दर से हमको बिजली मिलती है उससे बनी हुई बर्फ के मुकाबले में बनारस से आयी हुई बर्फ, जिस पर इतना फ्रेट पड़ता है, वह सस्ती पड़ जाती है। इस प्रकार यह सरकार छोटी इंडस्ट्रीज को अप्रत्यक्ष रूप से बरबाद कर देना चाहती है। यह सरकार चाहती है कि छोटे बिजनेस समाप्त हो जांय। लेकिन दुर्भाग्य है कि सदन में बैठने वाले हमारे मित्र आज की परिस्थिति में भी संतोष अनुभव करते हैं। वह कहते हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है। मैं कहता हूं कि जितना रुपया खर्च हो रहा है वह खाद के गड्ढे में डाला जाय तो किसी कदर खाद की पैदावार बढ़ सकती है। कौन कहता है कि विकास नहीं हुआ? कौन कहता है कि नहरें नहीं बनायी गयीं, सड़कें नहीं बनायी गयीं? लेकिन मैं आदरणीय मंत्राणी जी से जानना चाहूंगा कि जो रेल अंग्रेज ने लगा दी है, उससे ज्यादा कोई निर्माण-कार्य करने की हिम्मत है? अंग्रेज ने सारदा नहर और दूसरे सिंचाई के साधन बना दिये। समय नहीं है, नहीं तो मैं सब बताता। एक मील नहर बनाने में अंग्रेज ने कितना पैसा खर्च किया और इन्होंने कितना किया है, उनकी कितनी प्रोडक्टिव हैं, और इनकी कितनी अनप्राडक्टिव हैं? मैं आप को बताऊं कि सिंचाई के साधन उपलब्ध करना या इस तरह से नहरें बना देना, और नियोजन में फर्क है। फर्क वह है जो अभी हमारी बहन ने बोलते हुए बताया। मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। देश का दुर्भाग्य है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं के समाप्त हो जाने के बाद हमारी पर-कैपिटा इनकम स्टेटिक है। देहात की आमदनी नीचे गयी है और शहर की ऊपर गयी है। लेकिन सब मिला कर स्टेटिक हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार या देश इस पर संतोष करता है तो उस सरकार के लिये आत्महत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और जो सरकार ऐसा करती है वह देश की हत्या भी करेगी, उसको मालूम नहीं है। आने वाला इतिहास इसको बतावेगा कि दस साल की योजना के बाद आपकी आमदनी जहां की तहां ही नहीं बल्कि गरीब की आमदनी घटी है, इसके बाद भी अगर यह सरकार समाजवाद की बात करती है तो देश का महान दुर्भाग्य है।

माननीय, योजना प्रारम्भ होने के पहले उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति की आमदनी सारे हिन्दुस्तान की औसत आमदनी से ५ प्रतिशत अधिक थी। आज वह आमदनी हिन्दुस्तान की औसत आमदनी से १२ प्रतिशत कम है। राष्ट्रीय पूंजी में जो हमारा हिस्सा था वह १८.४ परसेंट था जो कि अब १५.० के करीब हो गया है। आबादी हमारी सारे देश की आबादी की १/६ है और बेकारी हमारे यहां कुल बेकारी का १/४ है। अगर देश में ६ आदमी हैं तो उनमें से एक आदमी हमारे प्रदेश में है लेकिन बेकार अगर ४ हैं तो उनमें से १ बेकार हमारे प्रदेश में है। तो इस तरह आप देखें कि बेकारी और बेहाली अपने यहां किस तरफ जा रही है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वह आप देखें कुल १०,११० करोड़ का हुआ है। उसमें ८५० करोड़ का हिस्सा इस

प्रदेश का है जो सारे देश का ८ परसेंट है जब कि आबादी हमारे प्रदेश की सारे देश की आबादी का १/६ है। माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा था कि हम पीछे को गए हैं। अभी १६ मार्च के नेशनल हेरल्ड में माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी ने कहा है कि दस साल हमारे बरबाद हो गए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज यह आपकी दो जबान क्यों है? वर्तमान मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमारे दस साल बरबाद गए, भूतपूर्व मुख्य मंत्री कहते हैं कि हम पीछे गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि आपको ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि हम पीछे को गए हैं और अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिये। आपको अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि चुनाव नजदीक होने की वजह से प्रचारात्मक दृष्टिकोण से बात करके देश को तबाह करने की कोशिश आप न करें बल्कि इस दृष्टि से आप सोचें कि हमारे साधन कितना आगे बढ़े हैं। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष है, उसका प्रारम्भिक काल है। अगर आज इन चीजों को इस तरह से नहीं सोचा गया तो प्रदेश को इन योजनाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

अभी कुछ दिन पहले जब यहां पार्लियामेंट के मेम्बरों की कांफ्रेंस हुई थी उसके थोड़े ही दिनों बाद यहां एक सेमिनार हुआ था प्लानिंग पर। मैं अखबारों में पढ़ा था प्रोफेसर बलजीत सिंह जी लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने यह कहा था, 'पायनियर' में उनका बयान निकला था कि यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें रुपया कम मिला। उन्होंने यह कहा कि सबसे ज्यादा शिकायत की बात तो यह रही कि जितना रुपया मिला है उसको उतना नतीजा नहीं मिला, जितनी आशा थी उस नतीजे में यह प्रदेश सबसे कम यहां रहा है क्योंकि एफिशियेंसी इस प्रदेश की हुकूमत के पास नहीं है, अफेक्टिवनेस नहीं है, आर्गेनाइजेशन नहीं है और इनीशियेटिव नहीं है। जो रुपया मिला वह यूटिलाइज नहीं हो सका। सम्पूर्णानन्द जी ने कहा मान्यवर, कि रुपया नहीं मिला, जबकि जो रुपया मिला वह लौट गया। क्यों लौट गया? क्योंकि उसका कोई उपयोग यह सरकार नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूं कि इन सारी बातों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता (लाल बत्ती होने पर)। मान्यवर, थोड़ा वक्त और नहीं दे सकेंगे?

श्री अध्यक्ष—दो मिनट हैं अभी।

श्री गौरीशंकर राय—तो यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कि आज जो हमारी अधोगति हुई है, हम विकसित नहीं हुये हैं बल्कि पीछे गये हैं, उसकी एकमात्र जिम्मेदारी सरकार की इनएफिशियेंसी के ऊपर है। यह सरकार की महज इनएफिशियेंसी की वजह से ऐसा हुआ। कल आदरणीया मंत्री जी ने कहा कि आज सहयोग की आवश्यकता है। यह सहयोग का शब्द बड़ा एक प्रकार का—अगर वह बुरा न मानें तो मैं कह दूं कि हिपोक्रेटिक टर्म हो गया है। मैं कुछ उनकी बात समझ नहीं पाया। लेकिन यह एक रिलेटिव टर्म है। यह कैसे हो? अगर उसके साथ वह यह कही होतीं और आज प्रदेश और देश की योजना को इस प्रकार से बनाया गया होता कि देश की जनता को उससे प्रेरणा मिली होती, तो यह बात ज्यादा समझने की होती। मैं उनको पहले से जानता हूं इसलिये मैं यह आशा करता था कि वह इस सहयोग शब्द को कुछ और लोगों के लिये छोड़ देंगी और कुछ देश की जनता में प्रेरणा पैदा करने की बात कहेंगी। तो दो पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति के बाद और इतना रुपया खर्च करने के बाद भी हम जनता में योजना के प्रति प्रेरणा नहीं पैदा कर सके तो वह योजना एक निष्प्राण योजना है। वह योजना कोई योजना नहीं है जो जनता में प्रेरणा पैदा करने में असमर्थ रहे। आज जिन देशों का निर्माण होता है उनके निर्माण में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। रूस और दूसरे ऐसे मुल्कों में तो कुछ और भी कारण थे लेकिन जहां टोटैलिटेरियन स्टेट्स नहीं थीं वहां जनता में प्रेरणा पैदा करने के लिये कुछ सरकारों को कुछ काम करना पड़ता है। आज आपकी जो योजना है वह एक पूंजीवादी योजना है। जितना रुपया खर्च हुआ है उसमें से कितना पब्लिक सेक्टर में खर्च हुआ है और कितना प्राइवेट

[श्री गौरीशंकर राय]

सेक्टर में खर्च हुआ है, इसका विश्लेषण करके माननीया मंत्री जी देख लें तो बात समझ में आ जाय। अन्त में मैं एक वाक्य में अपनी बात को कहना चाहता हूं। विकास विभाग में नीचे स्तर पर जो कार्य करने वाले हैं, छोटे अधिकारी हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। पिछले साल भी मैंने कहा था कि वह सफेद हाथी हैं। मैं नहीं समझता कि इतने अधिक आदमियों को रखने की क्या जरूरत है। उन लोगों में आपस में काम करने के लिये कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। यदि उनमें आपस में कोई सहयोग नहीं है तो फिर प्लानिंग विभाग क्या काम करेगा? प्लानिंग विभाग का सब से पहला काम यह होना चाहिये था कि वह इनमें कोआर्डिनेशन पैदा करे। मैं चाहता हूं सरकार की तरफ से प्लानिंग के लिये जो भी हो रहा है उसके लिये कोआर्डिनेशन पैदा करने की अत्यन्त चेष्टा करनी चाहिये।

पी०आर०डी० का संगठन हाफ हार्टेड चल रहा है। जब यह पहले शुरू हुआ था तो यूथ वेलफेयर के लिये इसको प्रारम्भ किया गया था। पहले इसका बहुत बड़ा बजट था। अब उस बजट को काटकर छोटा कर दिया गया है। इसके पास कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है। होना यह चाहिये कि इस महकमे को स्थायी किया जाय, इसका स्पष्ट कार्यक्रम हो और इसके लिये समुचित बजट की व्यवस्था की जाय।

*श्री गोविन्दसहाय (जिला बिजनौर)--अध्यक्ष महोदय, योजना के सिलसिले में हमारे देश में मोटे तौर पर ४ दृष्टिकोण पैदा हो गये हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि प्लानिंग जो है, वह बिलकुल बेकार चीज है। हमारी प्राचीनता के खिलाफ है। इंसानी फितरत के खिलाफ है और इसका जितना भी फैलाव होगा उतना ही ब्यूरोक्रेसी का फैलाव होगा। वैसे छानबीन तो की जाय लेकिन उससे नौकरशाही के पैर मजबूत होंगे। यह दृष्टिकोण हमारे स्वतंत्र पार्टी के दोस्तों का है।

दूसरा दृष्टिकोण है जनसंघ का कि प्लानिंग अच्छी चीज है। वह कहते हैं कि हमें इससे इख्तलाफी नहीं है। मगर प्लानिंग तो करो लेकिन प्लानिंग के साथ जो प्राचीन व्यवस्थायें हैं उनको बिलकुल बदला न जाय। जमींदारी प्रथा भी रहनी चाहिये और खेती का ढंग भी वही पुराना रहना चाहिये। प्लानिंग तो होनी चाहिये लेकिन इंस्टीट्यूशन्स की तब्दीली नहीं होनी चाहिये।

तीसरा दृष्टिकोण प्रजा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और बहुत से कांग्रेस दोस्तों का इस माने में है कि वह यह समझते हैं कि जो हमने प्लानिंग की है इससे हम समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मगर बहुत से हमारे कदम ऐसे हुये हैं कि जिनसे समाजवाद की ताकत बढ़ने के बजाय समाजवाद के विरुद्ध जो ताकतें हैं उनको बढ़ावा मिला है। एक दृष्टिकोण पोलिटिकल नजर से यह भी है।

चौथा दृष्टिकोण जिससे मैं भी सहमत हूं, वह यह है कि प्लानिंग बहुत जरूरी चीज है और प्लानिंग से हमारे देश का फायदा हुआ है। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि प्लानिंग ने हमारे देश में प्रायोरिटी की सेन्स पैदा नहीं की है। प्लानिंग ने हमारे यहां लोगों के अन्दर एक जागृति पैदा की है। हमें पहले क्या चीज करनी चाहिये इस भावना को पैदा किया है। सरकार के अन्दर भी प्रायोरिटी की भावना आई है। प्लानिंग के जरिये, एक पिछड़े हुये देश को उससे निकाल कर समाजवाद की तरफ कैसे बढ़ाना चाहिये, इसकी तरफ देश में कदम उठाया गया है। मैं इसके साथ यह और जोड़ना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर प्लानिंग के जरिये जितना लाभ होना चाहिये था हमारी प्रदेशीय सरकार इन पिछले १० सालों में वह फायदा किन्हीं कारणों से उठा नहीं पाई है। वह यह कि जो रुपया हमको मिला उसको एक तरह से खर्च नहीं कर पाये। किसी सोशलिस्ट सोसाइटी में अगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१० करोड़ रुपया मिले और कोई मिनिस्टर उसमें से ४ करोड़ रुपया खर्च करे और बाकी वैसे ही पड़ा रह जाय तो उस मिनिस्टर के लिये उस सोशलिस्ट सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है और उसको निकम्मा घोषित कर दिया जाता है। यह मामूली तौर पर होता है । एक-एक पैसे के लिये जहां पर मांग की जाती हो वहां ६ करोड़ रुपया मिलता हो और उसको भी इस्तेमाल न कर पायें तो यह बड़ी भारी गलती है। यह हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर हुआ है। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उसकी छानबीन होनी चाहिये। सोशलिस्ट सोसाइटी में यह एक जुर्म है। जितना रुपया उनको सेन्टर से मिलना चाहिये उतना रुपया किन्हीं कारणों से वह ले नहीं पाये। यह बात मैं जाती तजुर्बे के आधार पर कहता हूं। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के जो कार्यकर्ता हैं या आफिसर्स हैं या पोलिटिकल लोग हैं उनकी एक शिकायत यह रही है कि यू० पी० के लोगों में बड़ी वैनिटी है। रुपया कैसे लेना चाहिये ये लोग उसको समझते नहीं या उस तरीके को जानते नहीं। मतलब यह है कि जितना रुपया मिल सकता था हमको वहां से उतना रुपया हम वहां से निकाल नहीं पाये किन्हीं पोलिटिकल बरतावों की वजह से।

दूसरी बात यह है कि जितना रुपया खर्च होना चाहिये था एक प्रोजेक्ट में उससे हमने कुछ ज्यादा ही किया है। एक प्रोजेक्ट में अगर १०० करोड़ खर्च हुआ है और वह काम ५० करोड़ में ही हो सकता था तो इस तरह से भी हुआ है। सोशलिस्ट टर्मिनालो में इसको वेस्ट करना कहते हैं। मैं यह समझता हूँ कि हमको इस पर रिथिंकिंग करने की जरूरत है। मेरा खयाल है कि जब यहां पर कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेन्ट है तो उसका काम करने वाला कोई भी सज्जन हो यह जिम्मेदारी हमारी है। इसमें अगर हम नाकामयाब हुये हैं तो मुत्तफिक तरीके से कांग्रेस पार्टी के हर फर्द की यह जिम्मेदारी है और मैं भी इसके लिये जिम्मेदार अपने को समझता हूं ।

बहरहाल, यह बात जरूर है कि प्लानिंग से जितना लाभ इस प्रदेश को होना चाहिये था, वह नहीं हो पाया और जो नया नजरिया इस मौजूदा गवर्नमेन्ट का मुझे मालूम हुआ है, उस से लगता है कि आइन्दा भी उससे वह फायदा नहीं उठा पायेंगे । मैंने यह कहना जरूरी समझा इसलिये कि मैं विचारों के साथ विश्वासघात नहीं करता। जो मौजूदा गवर्नमेन्ट है उसने प्लानिंग में जो एक इकानामी का आइडिया निकाला है मैं समझता हूं कि यह एक बड़ा खतरनाक नजरिया उन्होंने पेश किया है और जो सोशलिस्ट प्लानिंग के खयाल में बड़ा मुजिर है। मैं डिटेल में इस विषय में नहीं जाऊंगा लेकिन सोशलिस्ट प्लानिंग में इकानामी और वेस्टेज के बिलकुल जुदा माने हैं जो कि मौजूदा गवर्नमेन्ट के कुछ मेम्बरों ने कहना शुरू किया है । आज इस गवर्नमेन्ट में इकानामी का बड़ा जोर है और जो लाखों और करोड़ों बचाने की बात न कहें वह आदमी काबिल नहीं समझा जाता। अगर कोई १०, १२ करोड़ रुपये की बचत की बात कहता है तो वह बड़ा काबिल समझा जाता है, बड़ा एक्सपर्ट समझा जाता है। मैं समझता हूं कि सोशलिस्ट इकानामी में रुपया बचाया नहीं जाता। सोशलिस्ट इकानामी में पया का राइट यूज होना चाहिये और इम्प्लायमेंट को ज्यादा क्रिएट करने की बात की जाती है और मनी का सर्कुलेशन ठीक तरीके से होना चाहिये। इस बहस का यहां इस वक्त ज्यादा मौका नहीं है, लेकिन इशारतन मैं दो, तीन मिसालें देता हूं और इस सिलसिले में मैं सिर्फ कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूंगा। प्लानिंग बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है और उसके सब पहलुओं पर मुझे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन इतना ही कह सकता हूं कि इंडिया में प्लानिंग का जो ढंग चल रहा है उससे जितना लाभ पहुंचना चाहिये था जनता को उतना नहीं पहुंच सका। लेकिन उसकी बुनियादें ठीक हैं ऐसा मेरा विश्वास है।

कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी योजना है जिसने गांव की जिन्दगी में काफी काया पलट की है। मैं उन दोस्तों से इत्तफाक नहीं करता कि जो यह समझते हैं कि यह वेस्टेज है। इसके जरिये से गांव में एक ऐसी मशीन बनी जिसका वेलफेयर

[श्री गोविन्दसहाय]

का नजरिया है। पहले वेलफेयर का नजरिया एक पुलिस स्टेट का नजरिया था, लेकिन इस कम्युनिटी प्रोजेक्ट के द्वारा हमने एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरफ मोड़ा है और मोड़ करके हमने एक एजेंसी बनाई है जिसका मकसद है कि स्टेट जो है उसका वेलफेयर का नजरिया हम गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं। इस खयाल से गांवों में फायदा हुआ है, वहां इस से उत्साह पैदा हुआ है। हजारों आदमी उठे, उन्होंने काम किया, सड़कें बनायीं, उनमें एक प्रेरणा जगी, लेकिन यह वाकया है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट का जो टैम्पो था, वह धीमा होने लगा है और इस बात पर हमें गौर से सोचना पड़ेगा कि किस तरह से हम इस टेम्पो को और बढ़ायें। मिसाल के लिये आप इन्डस्ट्री को ले लीजिये। पिछले फाइव इयर प्लान में १६८ करोड़ रुपया इस सरकार को मिला था छोटी इन्डस्ट्रीज के लिये और उसमें से यह कुल ४० करोड़ रुपया खर्च कर पायी। यह रुपया इसलिये नहीं खर्च कर पाये कि इनके पास कोई एजेन्सी नहीं थी। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने यह तय किया था कि ब्लाक्स में ए० डी० ओ० इन्डस्ट्रीज भी हों। आखिर कोई रुपया भी आप खर्च करें तो उसके लिये आप को एजेंसी पैदा करना जरूरी है। उसके लिये नजरिया यह है कि इस समय इकानामी कम्पेन है, इसलिये रुपया खर्च न किया जाय। जो मौजूदा इंडस्ट्रीज आफिसेज हैं वह भी शायद बन्द होने वाले हैं। पूरे तरीके से मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बड़े अदब से आप के जरिये से यह इसरार है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट की जो ऐजेन्सी है उसे और बढ़ाने के बजाय अगर आप इकानामी में उसे घटाने जायंगे तो उस रुपये का इस्तेमाल करने वाली एजेन्सी नहीं रहेगी और उसका नतीजा यही होगा कि आप १६८ करोड़ में ४० करोड़ ही खर्च कर पायेंगे। यह इसलिये सम्भव हुआ कि ब्लाक के लेविल पर आपके पास कोई एजेंसी नहीं थी। इसलिये मेरा सुझाव है कि अभी ब्लाक के लेविल पर की जो ऐजेंसी है उसमें यू० पी० ने उस ढांचे को कबूल नहीं किया है कि जो ऊपर से आया है। मेरा कम्युनिटी प्रोजेक्ट से पिछले १० साल से बड़ा नजदीकी सम्बन्ध रहा है और उसमें ब्लाक का नजरिया यह था कि ब्लाक एक एजेंसी होगा। जो पहले पुलिस की ऐजेंसी होती थी उसके मुकाबले में वह एक संगठित एजेंसी होगा। उसी के जरिये यह कोशिश थी कि जो थाना था, वह भी ब्लाक हो जाय, कोशिश थी कि जो तहसील थी वह भी ब्लाक हो जाय, यानी कि हर एजेंसी ब्लाक हो, यह कोशिश थी हमारे प्रदेश में, इस मामले में कुछ नहीं हुआ। तहसील एजेन्सी अलग है, थाना एजेंसी अलग है, हर एजेंसी अलग है और उसको एन्टीग्रेट करने की कोशिश नहीं की गई। हमें इसकी कोशिश जारी रखनी चाहिये और उनके तरीकों को बदलना चाहिये ताकि थानों के प्रति और रेवेन्यू के प्रति जो हमारी पुरानी भावनायें हैं वह नई पैदा हो सकें। लोगों को उनके प्रति कुछ विश्वास हो सके।

दूसरी बात मैं इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जो मेरी अपनी राय है कि इसके लिये गांव में जो एजेंसी है, पंचायत सेक्रेटरी और विलेज वर्कर वगैरह की, वे सारे लोग एक साथ काम करते हैं। वहां पर जो पंचायत सेक्रेटरीज, विलेज वर्कर्स, केन सुपरवाइजर आदि हैं यह सब ऐजेंसी ऐसी हैं जो कि आपस में टकराती हैं। मेरा सुझाव यह है कि इसके लिये गांव का जो आपका एरिया है उनके अन्तर्गत, उसको कम कर दिया जाय। यह इवैलुएशन कमेटी की रिपोर्ट थी जिसमें हर आफिसर ने, हर नान-आफिशियल ने यह राय दी कि विलेज लेविल पर विलेज-वर्कर और पंचायत सेक्रेटरी को मिला दिया जाय और उसका एरिया कम कर दिया जाय। आज ज्यादा एजेन्सी रखने से जो हमारा विभागीकरण है उसका यह असर है कि हर विभाग अपने को फैलाता है। अपने विभाग की ताकत को दूसरे से ज्यादा समझता है और दूसरे की ताकत को कमजोर करता है। मैं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठाये और जो हमारे प्रोग्राम्स बनें वे ऐसे हों कि हर आदमी उसकी जरूरत को महसूस करे और उसको पकड़ ले।

एक दो ब्लाक मेरे भी देखने में आये और मैंने जो एक दो बातें देखीं उनको मैं बताना चाहता हूं। एक गांव में एक पाइलट प्रोजेक्ट को देखने ब्लाक आफिसर और डी० पी०

ओ० वगैरह गये। जब कोई आदमी बाहर से जाता है तो निश्चय ही वहां के लोग खुशी से आते हैं, और इकट्ठा हो जाते हैं। वे बेचारे अच्छे कपड़े पहन कर, साफा आदि भी बांध कर आते हैं। पहले तो और कुछ बातचीत हुई, फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप लोग दतून करते हैं नीम की। उन्होंने बताया कि साहब अभी तक तो नहीं करते हैं क्योंकि जो भी यहां पर आफिसर्स लोग आते हैं उन्होंने कभी ऐसा बताया भी नहीं, अब अगर हुजूर का हुक्म होगा तो नीम की दतून भी कर लिया करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज वहां लोगों का यह खयाल है कि हर बात को, हर प्रोग्राम को, ऊपर से ही किया जाय। मैं समझता हूं कि यह प्रोग्राम ऐसे हैं कि जिनके लिये किसी पैसे कि जरूरत नहीं है, हर विलेज वर्कर का यह काम होना चाहिये कि वह अपने यहां लोगों को सेहत सम्बन्धी कुछ आवश्यक बातें बतलायें। हेल्थ सम्बन्धी मोटी-मोटी बातों की अगर उनको जानकारी कराई जाय तो मैं समझता हूं कि अस्पतालों की भी उतनी जरूरत नहीं रहेगी जितनी कि आज कही जाती है। हमें आज उनकी आदतों को बदलने की निहायत जरूरत है।

(लाल बत्ती जलने पर)

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो तीन मिनट और दिये जांय। अब मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। वैसे तो यह विषय इतना विस्तृत है कि इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, किन्तु मैं उस सारे विस्तृत क्षेत्र को नहीं लूंगा, एक दो बातों तक ही अपने को सीमित रखते हुये कुछ सुझाव दूंगा। मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं।

मेरी अपनी यह राय है कि आज जो हमारी मशीनरी है वह आपस में मिलजुल कर प्लानिंग का काम नहीं करती हैं, बावजूद इसके कि हमारी प्रदेशीय सरकार ने इस ओर जो कदम उठाये हैं वे बहुत अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में पहली दफा बहुत से विभागों को एक जगह इकट्ठा किया गया है, और उनको एक दूसरे के नजदीक लाने की कोशिश की गई है, जिसे प्लानिंग कह सकते हैं। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि अभी हमारे कर्मचारियों को कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत भी है। यह मैं इसलिये कहता हूं कि मेरा विश्वास है कि आज एक विभाग के कर्मचारी को दूसरे विभाग के बारे में मोटी-मोटी जानकारी भी नहीं होती। कोआपरेटिव मुहकमें का अगर एक सुपरवाइजर है, कोई डाइरेक्टर है, तो अगर उससे आप प्लानिंग के बारे में कुछ बातें करेंगे तो उसको उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होगा, और वह यह नहीं बता सकेगा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट क्या चीज है। उसको यह भी नहीं मालूम होगा कि आखिर प्लानिंग का परपज क्या है। तो आज जरूरत इस बात की है कि उनको इस तरह की एजूकेशन दी जाय, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाय, जिससे कि वे दूसरे विभागों की भी मोटी-मोटी बातों को जान सकें। हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि हम एक जगह उनकी सेवाओं का रिओरिएण्टेशन कर सकें। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में यह काम जारी है, मगर अभी और ज्यादा करने की जरूरत है। बड़े पैमाने पर इसको करने की जरूरत है।

मैं अन्त में आपके जरिये इतना ही कह सकता हूं कि एक बात कही जाती है कि लोगों में उत्साह नहीं है। मैं समझता हूं कि लोगों में उत्साह है लेकिन उस उत्साह को हम टैप नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव और पोलिटिकल एजेंसी है, शासन की मशीन है और राजनीतिक मशीन है वह उस उत्साह को, जिसका गठन हुआ है, नीचे गिराती है। एडमिनिस्ट्रेशन में देरी होती है और पालिटिक्स में खींचतान होती है। इसलिये लोगों का विश्वास हट रहा है। वैसे डेमाक्रैटिक प्लानिंग को हम टोटैलिटेरियन प्लानिंग से अच्छा समझते हैं, लेकिन उसके लिये जरूरी है कि उसके जो यन्त्र हों वह उसको अच्छी तरह से जानते हों कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग में और सोशलिज्म में उनका अटूट विश्वास हो। आज सोशलिज्म की अनेक परिभाषायें हैं, इसलिये कनफ्यूजन हो जाता है।

[श्री गोविन्दसहाय]

अब बाद में जब जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा। इस वक्त मुझे यही कहना है कि हमारी इनर्जी इस तरफ जानी चाहिये कि हमें जो रुपया मिलता है उसका हम ठीक तरह से इस्तेमाल करें। हर एक के लिये, मिनिस्टर के लिये भी एक टार्गेट हो और जो पूरा न कर सके उसके ऊपर ऐक्शन लिया जा सके। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—जो माननीय गेंदासिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं गोविन्द सहाय जी को सुन रहा था। वह कह रहे थे कि कुछ आदमियों का ऐसा विचार है कि यह योजना बिलकुल बेकार है और कुछ संस्थायें ऐसी हैं, जैसे जनसंघ, जो जमीन्दारी प्रथा को ठीक समझती है। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से सहमत हूं कि यह योजना ठीक नहीं है, बेकार है; लेकिन जैसे अन्धेरे में बच्चा डर जाता है, आगे नहीं बढ़ता है कि कहीं हौवा न बैठा हो, इसी प्रकार से उनको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि जनसंघ न जाने कौन से रूढ़िवाद में विश्वास करता है। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने कौन से जनसंघ के ऐसे विश्वास पढ़े और किसने लिखा है कि भारतीय जनसंघ जमीन्दारी प्रथा में विश्वास रखता है। अगर नहीं बताते तो यही कहा जायगा कि वह डर गये हैं और जनसंघ से डरते रहग।

आज इन योजनाओं के अन्तर्गत, जैसा कि गोविन्द सहाय जी कह रहे थे, कुछ नहीं हो रहा है। मैं भी कहता हूं कि यह बेकार सिद्ध हुई हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर हम देखते हैं, जैसा कि गौरीशंकर राय जी बता रहे थे, कि १९५०–५१ में ५ परसेन्ट नैशनल इनकम से अधिक थी और अब १२ परसेन्ट कम हो गई। इसका कारण यह है कि जैसे कोई मिलिटरी का आदमी वहीं का वहीं मार्च करता रहता है, खड़े का खड़ा रहता है, ऐसे ही इन योजनाओं के द्वारा मालूम पड़ता है कि हम वहीं के वहीं कवायद कर रहे हैं। हमारा स्टैन्डर्ड आफ लिविंग जरा भी ऊंचा नहीं है। हम समझ रहे थे कि इन योजनाओं से हमारा फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्लानर्स ने समझा था कि १९७६ में जाकर अपने प्रदेश की इनकम को दूनी कर देंगे। १९५०–५१ म प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने क वक्त २५.८.२६ रुपया परकैपिटा इनकम थी। आज हम देखते हैं कि २५ साल के अन्दर हमारे प्रदेश की आबादी १० करोड़ हो जायगी, तो उसी हिसाब से अगर हमारी २,५८३ करोड़ इनकम बढ़े २५ साल के अन्दर तो हम समझेंगे कि वही आमदनी रही। अगर ५,१६८ करोड़ इनकम हो गई २५ साल में तो हम समझेंगे कि हमने दूनी इनकम कर ली इन योजनाओं के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं कि इन योजनाओं के द्वारा .३ परसेन्ट इस १० साल के अन्दर अपनी आमदनी बढ़ी है और इसका लांछन यह लगाते हैं कि पापुलेशन बढ़ गई, लिहाजा हमारी पर कैपिटा इनकम घटी है। हम यह जानना चाहते हैं मन्त्री जी से और नवल किशोर जी से, जो भाषण दे रहे थे कि हमारी बड़ी भारी तरक्की हुई, जबकि हमारे सारे देश की नेशनल पापुलेशन १४.७ परसेन्ट बढ़ी और उत्तर प्रदेश की १३.४ परसेन्ट बढ़ी तो हमारी उसी हिसाब से आमदनी बढ़नी चाहिये थी। जब नैशनल इनकम १९.२ बढ़ी तो हमारी इनकम कम होने का कारण हम नहीं समझ पाये। कहा गया कि अदर–पापुलेशन इसका कारण है। अगर ऐसी हालत है तो माननीय सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो प्लान में लिखा गया है। मैं आपकी आज्ञा से इसे पढ़ देना चाहता हूं :

"It is necessary to point out that the increase in population is not an adequate explanation of the relatively slower growth of the economy of U. P. The increase in population by itself cannot explain the static per capita income in the State because India's per capita income has been rising and there are indications that the rate of growth of population in U. P. is lower than the rate of growth of population in the country as a whole."

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका मतलब है कि हमारी आबादी का अनुपात देश की आबादी के हिसाब से कम है और इनकम कम बढ़ी है जब कि वह ज्यादा होनी चाहिये थी। इसके पृष्ठ दो पर लिखा है कि—

"As a result, the share of the State in the national income of India also went down in each sector : in agriculture from 20.0 per cent to 17.9 per cent, in manufacturing and small enterprises from 15.5 percent to 12.4 per cent, in commerce and transport from 15.8 per cent to 14.0 per cent, and under 'other services' from 19.6 per cent to 15.6 per cent"

यानी हमारे प्रदेश का हिस्सा नेशनल इनकम में हर दिशा में घटा है। एग्रीकल्चर में २० परसेन्ट का १७.९ हो गया, बनाने वाले उद्योगों में १५.५ से १२.४ हो गया, कामर्स और ट्रांसपोर्ट में १५.८ से १४ हो गया और दूसरी सेवाओं में १९.६ से १५.६ हो गया। नवलकिशोर जी कह रहे थे कि हमारे प्रदेश ने बहुमुखी उन्नति की है, लेकिन इससे गिरावट दिखाई पड़ती है। हमने जितने पैमाने पर पर-कैपिटा इनवेस्टमेंट होना चाहिये था उतना नहीं किया। हम देखते हैं कि पर-कैपिटा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के हिसाब से ५५४ होना चाहिये था जब कि हमने ३८३ किया। लगभग १७० हमने कम किया। आज हम देख रहे हैं कि हमारी सभी योजनाओं का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और हमारी फील्ड स्टाफ के पास पैसा ठीक समय से नहीं पहुंच पाता है। वह साल के अन्त में पहुंचता है जिसके कारण या तो वे उसे अन्धाधुन्ध खर्चा करते हैं या वह बच रहता है। उसका ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। हमारे अधिकारी राष्ट्रीय भावना से काम नहीं करते हैं और उनकी अनुभवहीनता के कारण हमारी बहुत-सी योजनायें फेल होती हैं। आज यह कहना कि हम अपनी योजनाओं में आगे बढ़ रहे हैं और ५ योजनाओं के बाद अपने प्रदेश की इनकम दुगनी कर लेंगे, यह बिलकुल मिथ्या है। धोखा है। यह इसी से प्रकट है कि हम १० वर्ष के बाद जहां थे, वहीं पड़े हुये हैं, बल्कि नीचे गिरे हैं। जितनी प्रगति हमारे इस मुहकमें में होनी चाहिये थी वह नहीं हो पाई है। सिंचाई में हमने ९२ करोड़ रुपये में से कुल ४८.५ करोड़ ही खर्च किया। करीब ४३, ४४ करोड़ रुपया हम खर्च नहीं कर पाये। इसी तरह से और विभागों में है। जैसा कि कल गेंदासिंह जी ने कहा, हम अपने प्रदेश के गरीब आदमियों का खून खींच कर उससे इन योजनाओं को सींचते हैं लेकिन उसका फल अच्छा नहीं होगा। आज प्लानर्स कहते हैं कि १३ जातियों को हरिजन और बैकवर्ड जातियों में शामिल कर लिया जाय। तो धीरे-धीरे करके अगर हमने ऐसी ही तरक्की की तो सारा उत्तर प्रदेश बैकवर्ड एरिया घोषित हो जायगा। अगर ऐसी ही हालत रही तो हमारा प्रदेश इस प्लानिंग के युग में बैकवर्ड होता चला जायगा। आज थर्ड क्लास के विद्यार्थी हम निकाल रहे हैं, चाहे वह कोई स्कूल का हो या एम० ए० का हो और उनकी खपत के लिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। आज उनकी हालत वैसी ही हो रही है जैसे कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। तो हम इन विद्यार्थियों को कहां ले जायेंगे। राष्ट्रीय चेतना और भावना के लिये और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये प्लान में कोई योजना नहीं है। इसलिये हमें चाहिये कि हम सतर्कता से अपना आगे का काम करें और १५ वर्ष जो रह गये हैं उनमें और दुगुनी नहीं तो कम से कम ड्योढ़ी ही इनकम कर दें। इससे भी प्रदेश का काफी भला होगा।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर विवाद में हिस्सा लेने का मौका दिया। मैं माननीय विकास मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, कल से आज तक इस महत्वपूर्ण बजट पर कितने ही माननीय सदस्यों के भाषण सुने लेकिन माननीय गेंदासिंह जी और गौरीशंकर राय जी के भाषणों को सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। इससे प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा जब कि मुझे ही निराशा हुई, तो आप स्वयं विचार कर लें। इन माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उसमें मुझे सिवाय छिद्रान्वेषण

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

के एक भी सुझाव की बात नहीं दिखाई पड़ी। प्रदेश में उनका बहुत आदर और प्रतिष्ठा है, ऐसे दिग्गज व्यक्तियों से हमें बहुत आशा थी जो विकास के कामों में विशेष हैसियत रखते हैं। सरकार और प्रदेश की जनता इनसे मदद की आशा रखने की हकदार है परन्तु उनकी इस प्रकार की निराशा-पूर्ण बातें सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूं। मैं क्या कहूं? माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि उनका दिल चाहता है कि प्रदेश की प्लानिंग के लिये एक पैसा भी न दें। कटमोशन में एक रुपया रख भी दिया लेकिन भाषण में कहा कि एक पैसा भी न दूं, वह इसलिये कि प्रदेश की आमदनी नहीं बढ़ी। मैं समझता हूं कि यह जस्टीफाइड नहीं है कि यह जनरल रिमार्क कर दिया जाय कि कोई भी तरक्की नहीं हुई। अगर वह देखते कि प्रदेश की सन् १९५०-५१ में कुल आमदनी १,६३१ करोड़ से १९५९-६० में बढ़कर १,८६४ करोड़ हो गई तो. . . .

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—यह ठीक है।

श्री रामेश्वरप्रसाद—तो वह स्वयं इस बात का फैसला करें कि आमदनी बढ़ी है या घटी है। अकसर यह सवाल उठता है कि पर कैपिटा इनकम घट गई है। तो जहां हम परकैपिटा इनकम का अन्दाजा लगाते हैं वहीं पर हमें यह भी देखना होगा कि आखिर जो हमारे आदमी प्रोड्यूस करनेवाली मशीनरी है उसने कितने प्रतिशत आदमी प्रोड्यूस किये। तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस रिलेशन में हमारे प्रदेश में आमदनी की बढ़ोत्तरी के स्रोत बढ़े हैं करीब-करीब उसी रिलेशन में या उससे ज्यादा पापुलेशन भी बढ़ी है। तो जाहिर बात है चाहे जो एफर्ट्स किये जायं लेकिन हम जब पर कैपिटा आमदनी का एवरेज निकालेंगे तो उस आमदनी का टोटल बढ़ते हुये भी बटवारे में वह कम हो जायगी। इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती।

हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसके जो आंकड़े हमारे सामने आये उससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमने काफी सफलता प्राप्त की। मिसाल के तौर पर मैं माननीय गेंदा सिंह जी को सेवा में कहना चाहता हूं कि चाहे सिंचाई का क्षेत्र ले लिया जाय, बीज वितरण का क्षेत्र ले लिया जाय या एग्रीकल्चर का क्षेत्र ले लिया जाय सभी में तरक्की हुई है। १९४८-४९ के सूचनांक को १०० मानकर १९५४-५५ में वह १२२ हो गया। क्या यह प्रगति की निशानी हमारे सामने नहीं है? क्या हम इसको ओवरलुक कर सकते हैं? अगर इसको ओवरलुक किया जाता है तो केवल विरोधी बेंचेज में बैठने के कारण ही किया जाता है वरना वह तथ्य से बाहर की बात है।

माननीय गेंदासिंह जी ने कल एक बात और कही कि इस कांग्रेसी सरकार ने जो प्लानिंग की उसमें डिसपैरिटी को दूर करने के कोई एफर्ट्स नहीं किये। मैं उनकी इस बात को जस्टी-फाइड नहीं समझता। उन्हें स्वयं मालूम है, मैं और वह दोनों स्टेट्स प्लानिंग बोर्ड में हैं, वहां भी एक सब-कमेटी बनी है इस बात पर विचार करने के लिये कि डिसपैरिटी कैसे दूर हो। इसी के साथ-साथ सरकार ने जो और बातें इस सम्बन्ध में की हैं वह मैं उन्हें मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं कि भूमि सुधार की दिशा में जो परिवर्तन किये गये और किसानों को हक दिये गये या सीलिंग का जो बिल पास हुआ है जो अभी लागू नहीं हुआ है, क्या ये सारे प्रयास उसी दिशा में नहीं हैं? ये सारे एफर्ट्स इसी लिये किये गये कि बड़े आदमियों की आमदनी काटकर छोटे आदमियों की आमदनी बढ़ाई जाय। जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं थे वहां पर उसके साधन उपलब्ध किये गये ताकि वहां के लोगों की आमदनी बढ़े। गांवों में विकास के कार्यक्रम महिला मंगल योजना बच्चों की शिक्षा, सोशल सर्विसेज, ये सारे कार्य इसीलिये हैं कि नीचे के आदमियों की हैसियत को उठाकर बड़े आदमियों की हैसियत के बराबर लाया जाय। डिसपैरिटी को दूर करने के लिये ही ये सारी बातें की जा रही हैं। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन, पांच मिनट और दे दीजिये. . . .

श्री अध्यक्ष—अभी आपके दो मिनट हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं समझता हूं कि यह बात कहना कि जनता का सहयोग नहीं मिला, गलत होगा। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्रदेश में प्लान्स के तहत में, योजनाओं को चलाने के लिये ३,९७१.२६ लाख रुपये जनता से ऋण के रूप में प्राप्त हुये और १६ करोड़ शष है जो अभी और मिलेगा। साथ ही साथ जनता ने ५५९ लाख रुपये की लागत का कार्य १९५१ से १९५६ तक श्रमदान के रूप में किया। तो ये सब फिगर्स इस बात को शो करते हैं कि जनता का सहयोग इस प्रदेश की प्लान्स को काफी तादाद में मिला है और विभिन्न स्तरों पर जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार सदैव प्रयत्नशील रही है। स्टेट लेविल पर नियोजन बोर्ड से लेकर जिले में प्लानिंग कमेटी, क्षेत्र समिति और गांवों में गांव पंचायत और कोआपरेटिव्ज तक उनके आधार पर काम करके उनके जरिये प्लान्स मंगा कर और उनके ऊपर यह जिम्मेदारी डालकर कि अपने प्लान्स के बारे में चिन्तना करें मैं समझता हूं कि इस दिशा में बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया है। इसको देखते हुये भी अगर इसके खिलाफ बात कही जाय तो वह जस्टीफाइड नहीं होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं। जो हमारा दूसरे प्लान का बजट है उसके संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में जो हमें धन सेन्टर से मिलता है, कुछ कारणों से उतना धन हम खर्च नहीं कर पाये और उस संबंध में एक आंकड़ा भी मैं वहां देना चाहता हूं। करीब-करीब २१ करोड़ रुपया संचित निधि से खर्च करना पड़ा और जो रेवेन्यू के लिये शुरू में वायदा किया था कि इतना कलेक्ट करेंगे वह कलेक्ट नहीं कर पाये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस बात का असर हमारे प्लान पर जरूर पड़ेगा और हमें इसके लिये भविष्य में तैयार रहना चाहिये कि जो भी इंकम का वायदा करें उसे पूरा करें, तभी सेन्टर से हमको पूरी सहायता मिल सकती है।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदासिंह जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

देश या प्रदेश के लिये मुख्य कार्य पहला कृषि है और दूसरा उद्योग-धंधे। अगर इन दोनों पर सरकार ध्यान देती है तो हो सकता है कि हमारे प्रदेश की कुछ तरक्की हो। आज तक के १४ वर्ष के समय में सरकार ने जो विकास का नजरिया अपनाया है उसने हिन्दुस्तान में पूंजीपतियों का विकास किया है। अगर इस नजरिये को सरकार नहीं बदलती है तो मैं कह सकता हूं कि आपकी ये योजनायें बिलकुल असफल हैं।

अभी रामेश्वर जी ने जमींदारी उन्मूलन की बात कही और यह भी कहा कि जमीन की हदबन्दी की गई। लेकिन जमींदारी उन्मूलन के बाद क्या हमारे देश की खाद्य समस्या हल की जा सकी? अमेरिका से या दूसरे देशों से क्या गल्ला नहीं मंगाया जाता है? क्या यह लज्जाजनक बात नहीं है देश के लिये? क्या हम अरबों रुपया इस तरह से दूसरे देशों को नहीं देते हैं? लेकिन इस तरह की बात कह कर लोग सरकार को मुगालते में डालना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बड़ी-बड़ी जमीनों पर जो हदबन्दी लगाई गई है उससे आप गरीबों को एक इंच भी जमीन नहीं दे सकते। जो मकसद था कि जमीन पर हदबन्दी करके खेतिहर मजदूरों को जमीन देंगे और खाद्य उत्पादन बढ़ायेंगे उसमें आप असफल से रहे। यू० पी० के अन्दर साढ़े ४ करोड़ एकड़ जमीन है लेकिन उसमें से गरीब किसान को एक इंच भी नहीं मिलने वाली है। मैं समझता हूं कि अब सन् १९६२ में शायद आपको यह कुर्सी नसीब नहीं होगी। आज आप उन गरीबों को देखिये जो अखाद्य को खाकर अपना पेट पालते हैं। पशुओं के पाखाने में जो अन्न होता है जिसे देहात में गोबर ही कहते हैं उसको खाकर लोग अपनी जीविका चलाते हैं और आप यहां बैठे बैठे अनुचित ढंग से समाजवाद की रचना कर रहे हैं। अमेरिका कि सैर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हिन्दुस्तान की तरक्की कर रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप

[श्री रघुवीरराम]

सरकार को मुगलाते में डालते रहे; क्योंकि सरकार तो आपको गरीबों का प्रतिनिधि समझ कर आपकी बात पर विश्वास करती है लेकिन आप इस तरह से मुगालते में सरकार को डालते हैं, तो आप गरीबों का गला घोंटते हैं ।

साथ ही, मैं आपके द्वारा मंत्राणी जी से दरख्वास्त करूं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाय । आप अगर चाहती हैं कि देश और प्रदेश की तरक्की हो तो आपको इस पर रोक लगानी पड़ेगी और यह देखना पड़ेगा कि वह कौन से तत्व हैं जो देश की तरक्की में बाधा डालते हैं । लेकिन अब तक जो कुछ हमारी सरकार ने किया है वह बड़े-बड़े भूस्वामियों और मिलमालिकों की रक्षा के लिये किया है और गरीबों की तरक्की के लिये कुछ भी नहीं किया है । इससे देश बहुत पीछे चलता चला जा रहा है ।

अभी कल हमारे एक माननीय सदस्य, गुप्तारसिंह जी यह कह रहे थे कि इस सरकार ने हरिजनों को स्वर्ग में ले जाकर बिठा दिया है । मैं, मान्यवर, आपके द्वारा गुप्ता जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे अपने इन व्यक्तियों के दिलोदिमाग की रक्षा करें । क्यों इनको इनके स्वार्थ की कुछ चीजें देकर के इनके दिमागों और दिलों को कुंठित कर रहे हैं जिसके कारण ये अपने सही जजबात को भी हाउस में नहीं कहते हैं और आपके सामने गलत बातें, गलत नजरिया पेश करते हैं ? मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि हरिजन अब सातवें आसमान पर हैं ।

श्री रामेश्वरप्रसाद—इस सरकार ने कुछ किया है या नहीं ?

श्री रघुवीरराम—हमारे मित्र रामेश्वर प्रसाद जी पूछ रहे हैं कि सरकार ने कुछ किया है या नहीं । मैंने तो पहले ही कहा है कि जो किया है वह पूंजीपतियों, मिल मालिकों और भूस्वामियों के लिये किया है, निरीह जनता के लिये नहीं किया है । हां, तो माननीय गुप्तारसिंह जी की बातों को सुनकर मुझे मान्यवर एक कहानी याद आ गई । अकबर बादशाह की दाढ़ी शेव करने के लिये रोज एक नाई आया करता था । बादशाह ने उससे पूछा कि बताओ हमारे देश में प्रजा सुखी है या नहीं ? वह कहने लगा कि आपके राज्य में प्रजा दुखी है और भूखों मर रही है । बादशाह ने उसके दरवाजे पर एक गाय बंधवा दी । दो चार दिन बाद बादशाह ने फिर वही पूछा तो उसने कहा कि हुजूरवाला इस समय आपकी प्रजा दोनों टाइम दूध पीती है । फिर थोड़े दिन बाद गाय छीन ली तो वह फिर वही कहने लगा । इसी तरह से माननीय सदस्य रामेश्वर जी कह रहे हैं कि इस राज्य में सब सुखी हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप कोई वैयक्तिक हमला नहीं कर सकते ।

श्री रघुवीरराम—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस प्रदेश और देश की तरक्की करना चाहती है तो वह भूस्वामियों और मिल मालिकों की व्यक्तिगत संपत्ति पर रोक लगाये और फिर अपने देश की तरक्की की ओर ध्यान दे । छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर नजर डाले ।

कानपुर और अहमदाबाद में चंद कपड़े की मिलें हैं । इसके अलावा सरकार ने १४ वर्षों में और क्या किया ? रामेश्वर जी कहेंगे कि हमारी सरकार ने स्वर्ग कायम कर दिया । इन मिलों को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था । वह भी परम्परा से चली आती हैं, वह भी इस सरकार ने बनाई नहीं हैं । एक चुर्क सीमेंट फैक्टरी बना दी है । इसके अलावा और क्या किया ? लेकिन कहा जाता है कि सब लोग दूध ही में तैर रहे हैं, पानी में तो चलते ही नहीं हैं ।

छोटे-छोटे उद्योग-धंधों के लिये सामूहिक तालीम की आवश्यकता है । देश में गरीब तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप श्रमिकों को प्रोत्साहन देंगे वरना नामुमकिन है ।

श्री मदनमोहन (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उनके बोलते समय यह पता नहीं लगता था कि वे विधान सभा में विकास के विषय पर बोल रहे हैं अथवा किसी गांव की चौपाल में खड़े होकर किसी को कोस रहे हैं ।

असलियत यह है कि विकास के विषय को हम दो दृष्टिकोण से देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं । एक तो यह हो सकता है कि विकास जिस प्रकार से हमारे देश में संचालित किया जा रहा है, जो नियोजन की हमारी विभिन्न योजनायें हैं वे त्रुटिपूर्ण हैं और उनमें संशोधन होना चाहिये । दूसरा दृष्टिकोण यह हो सकता है कि नियोजन हुआ है उसका परिणाम संतोषजनक नहीं है और संतोषजनक न होने के कारण हमारा आग्रह है कि या तो नियोजन का परित्याग किया जाय या उसके कार्यरूप में परिणित करने के तरीके में संशोधन किया जाय ।

माननीय गेंदासिंह जी ने जो हमारे सामने विचार रखे वह यह नहीं थे कि नियोजन होना ही नहीं चाहिये । वे नियोजन के पक्षपाती हैं परन्तु कहते हैं कि उस नियोजन से बाज आये जिसके अन्तर्गत लोगों की आय कम होती है । हमारे एक मित्र श्री हिम्मतसिंह ने उसका समर्थन किया और यह कहा कि सरकार नियोजन को इस प्रकार कार्यान्वित करे कि जिससे लोगों का कल्याण हो । उससे भी मैं परिणाम निकालता हूं कि वह नियोजन के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु त्रस्त हैं वह परिणामों से ।

श्रीमन्, मैं माननीय गेंदासिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने ही भाषण को दूसरे दृष्टिकोण से देखें । उनका कहना ठीक है कि २१० रुपया प्रति व्यक्ति आय १९५०-५१ में थी और इस समय १९० रुपया या १९१ रुपया प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में है । ठीक कहते हैं अब मेरा निवेदन यह है कि अगर ६ करोड़ आबादी में २१० रुपया प्रति व्यक्ति आय थी तो ७ करोड़ की आबादी में अगर वही आय हमारे प्रदेश की रहती तो पर कैपिटा इन्कम कितनी होती ? जरा इस पर ध्यान दें । वह प्रति व्यक्ति १८० रुपया आय होती अगर हम अपनी स्टेट इनकम में वृद्धि न करते ।

स्टेट इनकम की स्थिति इस समय यह है कि जैसा अभी माननीय रामेश्वर प्रसाद जी ने बताया, १६०० से १८०० करोड़ पहुंची हुई है । तो स्पष्ट है कि हमारी आय की वृद्धि हो रही है । किन्तु यह मैं मानने को तैयार हूं, और उस रिपोर्ट के अंश जिसको माननीय हिम्मत सिंह जी ने पढ़ कर सुनाया, कि यह कोई काफी वजह नहीं है कि चूंकि आपकी आबादी बढ़ी है इस वजह से प्रति व्यक्ति आय में उन्नति नहीं होने पाती । यह सब ठीक है । मैं इसको मानता हूं । अब क्यों हमारी आय नहीं बढ़ी ? क्यों हमारी आय उसी अनुपात से नहीं बढ़ी जिस अनुपात से हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ी ? इनका अन्वेषण करने की आवश्यकता है । अगर उस अन्वेषण में हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हमारी योजनायें गलत हैं तो बतायें । या दूसरी बात यह हो सकती है कि हम बतायें कि उसमें क्या-क्या हमारे सामने दिक्कतें आयीं ।

मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं कि १९५० में भी उत्तर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ था । अब दरिद्रता का यह अभिशाप है कि जब दरिद्रता दूर होती है, जब एक दरिद्र आदमी के पास कुछ आय होने लगती है वह स्वभावतः अपने अभावों की पूर्ति करता है । आज तक अगर मुझे कपड़ा पहनने को नहीं मिला तो कपड़ा पहनने लगूंगा, अगर आज खाना नहीं मिलता है तो ज्यादा अच्छा खाने का प्रयत्न करूंगा । अगर आज तक मेरे सर पर घर नहीं था तो घर बनाने का प्रयत्न करूंगा । बहुत सी जीवन की वह आवश्यकतायें जिनका अभाव रहा है उनकी पूर्ति का प्रयत्न मनुष्य करता है । यह दरिद्र का स्वाभाविक कार्य होता है । यह स्वाभाविक है । वह पहले सोचता है कि मेरे परिवार के सदस्य जिन बातों से अभी तक वंचित रहे हैं उनकी पूर्ति करूं । परिणाम यह होता है कि यद्यपि हमारी आय बढ़ती है, और यद्यपि प्रति पारिवारिक आय अगर कायदे से देखा जाय तो कुछ न कुछ बढ़ी है किन्तु हम अपनी पूंजी को बढ़ा नहीं सके । जो व्यक्ति गरीब है, उसकी आय बढ़ती है लेकिन वह उसे अपने ऊपर खर्च कर देता है और कोई उस बचत को वह अपने रोजगार में नहीं लगा पाता । परिणाम यह होता है कि गरीब आदमी

[श्री मदनमोहन]

अपने अभाव की पूर्ति में संलग्न अपने व्यापार में उसी स्थान पर रह जाता है कि जिससे उसने शुरू-आत की । अगर ऐसा संभव हो सके कि हम वह मानवीय प्रवृत्तियां जो गरीब व्यक्ति में होती हैं उनको उड़ा दें या राज्य सरकार यह प्रयत्न करे कि उसकी आवश्यकताओं तथा अभावों की पूर्ति के बाद भी हम उसको धन दे सकें ताकि वह अपने व्यापार का संवर्धन करे तो यह कठिनाई दूर हो सकती है । व्यापार की उन्नति होकर लाभ में वृद्धि हो सकती है ।

दुख इस बात का है कि हम पिछड़े हुये हैं । हमारी मांगें जहां तक उद्योग का क्षेत्र है केन्द्र से पूरी नहीं हो सकतीं और केन्द्र का कहना भी ठीक है कि तुम्हारे पास ऐसे साधन नहीं हैं कि जिन साधनों से तुम उद्योगों को अपने प्रदेश में संवर्द्धन कर सको । हमारे यहां अभाव था पावर तथा बिजली का । परिणाम यह हुआ कि उद्योगों के क्षेत्र में हम पिछड़े रह गये । दुर्भाग्य यह भी है कि इस समय भी हमारी कृषि भूमि पर ७०–७५ फीसदी भार है । ७०–७५ प्रतिशत जब तक भार कृषि भूमि पर रहेगा और वह कृषक ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे तब-तक यही कठिनाई का प्रश्न हमारे सामने आता रहेगा कि उनकी आर्थिक अवस्था को किस हिसाब से सुदृढ़ किया जाय और ऊंचा किया जाय । आवश्यकता इस बात की पड़ जाती है कि हम उनको कृषि कार्य से हटा कर उद्योगों में लगायें । किन्तु जैसा कहा गया हमारे यहां ग्रामीण उद्योग अभी सफल नहीं हुये हैं ।

यह मैं मानता हूं, जैसा कि हमारे मित्र गोविन्द सहाय जी ने कहा, कि हमने उन एजेंसियों का, उन व्यक्तियों का निर्माण नहीं किया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को अपने हाथ में ले सकें । एक तरफ तो यह बात है । दूसरी तरफ जो कठिनाई हुई वह दो प्रकार की थी । एक तो यह थी कि जो अनुदान केन्द्र हमें दे रहा है । वह अनुदान उसी कार्य के लिये प्रयुक्त होना आवश्यक है कि जिसके लिये वह निश्चित है । इसमें बड़ी दिक्कत होती है । हो सकता था कि हम एक प्रकार के उद्योग आरम्भ कर सकते थे और दूसरे नहीं । लेकिन हमारे सामने कठिनाई यह आई कि हम इन उद्योगों में केन्द्र का रुपया नहीं इस्तेमाल कर सकते थे जो हमारे बस के थे । दूसरी दिक्कत यह आती रही कि केन्द्र से या प्लानिंग कमीशन से कुछ परिवर्तन समय-समय पर कार्य-क्रम में होते रहे और उन परिवर्तनों से भी एक अव्यवस्था उत्पन्न हुई ।

श्रीमन्, अन्त में मुझे यह कहना है कि प्रत्येक मानव समाज का उत्थान उसकी गलतियों से, त्रुटियों के अनुभव से होता है । जब कोई योजना विचाराधीन हो, जब किसी योजना का परीक्षण हो तो आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को हम ध्यान में रखें कि निकृष्ट भावना पाप है, लेकिन असफल होना एक उच्च उद्देश्य को सामने रख कर पाप नहीं है । असफलता के लिये हमें उन शब्दों में कोसा नहीं जा सकता कि जिन शब्दों का प्रयोग मेरे पूर्ववक्ता कर रहे थे । इस वजह से मेरा निवेदन यह है कि हमारी सब मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुये यह सदन हमारे विकास कार्यों पर विचार करे । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे श्री वर्मा जी के बाद बोलने का मौका मिला । मैं जब उनके भाषण को सुन रहा था, मैं समझा कि जैसे कोई कमजोर मुकदमे की बहस कोई वकील जज साहब के सामने करे और इधर उधर के आर्गूमेंट्स लाये, वही स्थिति उनकी भी थी । मैं नहीं समझ पाया कि वे इस सदन में वकालत के टैक्टिक्स क्यों चला रहे हैं जब कि एक तरफ वे कहते हैं कि जब हमारी आबादी ३ करोड़ थी तो हमारी औसत आमदनी १९१ रुपये थी और जब हमारी आबादी आज ७ करोड़ है तब भी आमदनी वही । यह आमदनी और भी घट जावेगी । बड़ा प्लाजिबिल आर्गूमेंट उन्होंने दिया कि नेशनल इन्कम हमारी १६ अरब से १८ अरब हो गयी है । लेकिन वे यह क्यों भूल जाते हैं कि सन् ५७–५८ में वह घट कर १७ अरब ही रह गयी थी । इस तरह की बहस उनको हाउस में नहीं करनी चाहिये । यहां उस तरह के वकील नहीं बैठते जो दोनों तरफ से बोल लिया करते हैं पैसे की वजह से ।

श्री गोविन्द सहायजी चले गये, मैं उनकी जानकारी के लिये थोड़ा सा कह देना चाहता था । उन्होंने लोगों का वर्गीकरण किया कि नियोजन के बारे में जनसंघ के विचार इस प्रकार के हैं, स्वतंत्र पार्टी के इस प्रकार के हैं और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के इस प्रकार के हैं । पता नहीं, उनकी जानकारी इतनी कम क्यों है कि सोशलिस्ट पार्टी, जो एक प्रमुख पार्टी समाजवाद की है, उसके विचारों से वह अवगत क्यों नहीं है ? मैं उनकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस प्लानिंग को आमूल अस्वीकृत करती है, इसका आधार ही गलत समझती है और जिस प्रकार यह किया जा रहा है उसको निरर्थक समझती है । और मैं अपनी इस बात के प्रमाण में बहुत सी बातें न कह कर केवल सरकार के द्वारा, जो प्रयास अभी तक किये गये और जो उन्हीं के कहने के मुताबिक निष्फल होते जा रहे हैं, उन्हीं के बारे में दो, चार बातें बता देना चाहता हूं ।

पहले तो मुझे एक बड़ी आपत्ति की बात कह देनी है इस विभाग के संबंध में । माननीय मुख्य मंत्री जी जरा सुन लें । यह नियोजन विभाग जो विकास विभाग कहा जाता है इसके लिये जो हमारी सरकार आज १० करोड़ ३९ लाख रुपये की मांग कर रही है इसमें से वह करीब ६ करोड़ ३७ लाख रुपये वेतन, भत्ता आदि के रूप में दे देगी और केवल ४ करोड़ रुपया वह बचा पायेगी जो तमाम नियोजन के कार्यों पर खर्च करेगी । यह जो किताब उनके द्वारा हम लोगों को दी गयी है उसके खंड २ में पेज १३० पर जो आंकड़े दिये हुये हैं उन्हीं के अनुसार मैंने बताया । श्रीमान्, मुख्य मंत्री जी हमारी बात को जरा सुनें । उनकी बात मैंने उस समय बहुत ध्यान से सुनी थी जब वह अविश्वास के प्रस्ताव पर बोल रहे थे । उस समय उन्होंने कहा था कि कुछ भी कहा जाय देहात की स्थिति उन्नतिशील हुई है । मैं देहात का हूं और शहर की बहुत कम जानकारी रखता हूं । वह कौन सी ऐसी बात देहात से देख कर आये हैं कि जो कह रहे हैं कि मैंने वहां अच्छा देखा । उन्होंने कहा कि वहां पक्के मकान हो गये हैं और यही बात एक दूसरे सदस्य कह रहे थे । अगर वह अपनी मोटर पर से एक दो पक्के मकान गांव के किनारे के देख लेते हैं तो इसके माने यह नहीं होते कि गांव के भीतर की हालत एकदम से अच्छी हो गयी है । मुझे तो उनके ज्ञान पर तरस आता है । पक्के मकान केवल उन किसानों के होंगे जो कोई न कोई व्यवसाय शहर में कर रहे हैं । वे किसान जो केवल कृषि पर आश्रित हैं और जिनकी संख्या ८० फी सदी से ज्यादा है उनके पक्के मकान आप बहुत कम पायेंगे । मुझे याद है हमारे मुख्य मंत्री जी ने एक शब्द कहा था और एक दूसरे मंत्री ने उसका उल्टा कहा था । मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि आजकल का जो किसान है, मैं दावे से कहता हूं कि बहुत सुधरा हुआ है, और यह दावा था कि आजकल किसान अकड़ कर चलता है । केवल उनका ही शब्द है कि वह अकड़कर चलता है और हमारे पुलिस मंत्री कहते हैं कि हमारा किसान आज टिमिड हो गया है, दब्बू हो गया है । मैं नहीं समझ पाया कि दोनों सज्जनों ने कभी किसान को देखा भी है । दोनों की नुक्ते निगाह कैसी है ? हम इन दोनों की विषमता पर विवाद न कर प्रधान मंत्री जी के शब्दों को कहना चाहते हैं क्योंकि उनकी जानकारी के लिये उनके शब्द ज्यादा अच्छे होंगे । हमने इसमें अरबों रुपया खर्च किया है लेकिन मेरा ज्ञान यह कहता है कि विकास देहाती क्षेत्रों में दिखाई नहीं देता है । मालूम होता है कि रुपया व्यय तो हुआ लेकिन क्या परिणाम लेकर आया यह कुछ नहीं दिखाई देता है । यह शब्द उनके हैं । यह एक ऐसा नमूना है जिससे जाना जा सकता है कि हमारी योजनायें कैसी सफल हुई हैं लेकिन सरकार ने इसको समझने की कोशिश की । मैं आपको बता दूं कि सरकार को सामूहिक विकास के लिये पहली योजना में ८ करोड़ रुपया मिला'। दूसरी योजना में २७ करोड़ रुपया मिला और तीसरी योजना में ५१ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम इन योजनाओं पर अधिक से अधिक रुपया खर्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन जो कार्य हम करते हैं उनसे यह पता चलता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ।

अब हम सिंचाई की स्थिति को देखें । १९५७–५८ में १२ करोड़ एकड़ जमीन सींची, १९५९ में ६ करोड़ एकड़ और १९६० में ४ करोड़ ५७ लाख एकड़ जमीन सींची । इसी तरह से बीज की

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

भी हालत है । १९५८-५९ में १ करोड़ ७ लाख मन बीज दिया और १९५९-६० में एक करोड़ ५ लाख मन ही दिया । इन आंकड़ों से मालूम होता है कि हमने कम जमीन सींची और बीज भी कम ही दिया । अब कुंओं को देखिये । १९५७-५८ में १०,५६० कुयें बने १९५९-६० में १०,०३२ कुयें ही बन पाये । १९५७-५८ के बनिस्बत हम १९६० में आगे नहीं बढ़ पाये । हरिजनों के कुओं की बात बता दूं । जहां वह कहते हैं कि हरिजनों के लिये हम १,३५३ कुयें बना पाये हैं वहां हरिजनों की विकास पुस्तिका कहती है कि ४२९ बन पाये और ५७७ का सुधार हो पाया । १९५७-५८ में १८,०६० कुयें सुधरे, १९५८-५९ में १६,१२२ और १९५९-६० में १७,७९९ कुंओं का सुधार हो पाया है यानी कहने का मतलब यह है कि बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे की ओर हटते चले जा रहे हैं ।

आज सरकार ने हमारी नई बात प्रशिक्षण की रखी है । मैंने किताब को पढ़ने की कोशिश की और इसमें दिखाया गया है कि प्रशिक्षण का काम किया जा रहा है । विभाग के जितने अधिकारी हैं क्या सभी ट्रेनिंग के अड्डयाम में हैं ? आज नीचे से लेकर ऊपर तक सभी ट्रेनिंग में लगे हैं । आज डेवलपमेंट कमिश्नर से लेकर विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी सब इसमें लगे हैं लेकिन यह नहीं जान पाये कि नियोजन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिये, आज विकास खंड अधिकारी शिक्षण के लिये भेजा जाता है और नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी भेजे जाते हैं और तीन दिन का शिक्षण दिया जाता है । यह तो समझा जा सकता है कि तीन दिन में वह क्या सीख सकते हैं । उनको टी० ए०, डी० ए० जरूर मिल जाता है । रोज सीखने का मौका दिया जाता है, लेकिन उनकी आंखें पीछे को हैं तो वह क्या सीख सकते हैं ।

श्रीमन्, एक अभिनवीकरण की योजना है । जो क्षेत्र समितियों से लोग आये हैं उनके शिक्षण की भी बात रखी गई है । कहा जाता है कि प्रत्येक आदमी पर हम ५० रुपये खर्च करेंगे । लेकिन मैंने कुछ प्रशिक्षण को देखा, नरवल, जहां मैं रहता हूं, वहां भी मैंने जा कर देखा । वहां वह कहते हैं कि एक हफ्ते का शिक्षण देंगे । एक हफ्ते में क्या प्रशिक्षण होगा ? वह बिलकुल निरर्थक सा होता है । हां, थोड़ा सा मेल मिलाप जरूर हो जाता है और रुपया बरबाद होता है ।

हमारे प्रदेश में एक प्रान्तीय रक्षक दल है । यह रक्षक दल उस समय बनाया गया था जब कि देश में युद्ध के बाद कुछ अशान्ति की व्यवस्था थी । उसके सुधार के लिए सोचा गया था । उस रक्षक दल में ८६ हजार रक्षक हैं, और ७२ हजार सेक्शन लीडर हैं । इन पर करीब १९ लाख रुपये खर्च होते हैं । वह लोग जो पुलिस में बदल गये हैं, वह तो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जितना हिस्सा है वह सब निरर्थक हो गया है । हां, कुछ थोड़े से भूतपूर्व कांग्रेस के लोगों को काम करने का मौका अवश्य मिल गया है । वह बावर्दी इधर-उधर टहलते हैं और चुनाव में कांग्रेस की मदद करते हैं । देश के कार्य में वह कोई सहयोग देते हैं, इसमें मुझे पूरा-पूरा संदेह है ।

इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं । लेकिन मंत्राणी जी मौजूद हैं । मैं उनसे विशेष तौर से अपील करूंगा कि वह प्रदेश में जाकर कुछ प्रदेशीपन की बात करें । मैं तो कभी-कभी उनकी भाषा को सुनकर चक्कर में पड़ जाता हूं । पता नहीं इस प्रदेश में आ कर कितने दिन में वह भाषा सीख पायेंगी । हमारी एक बहन कल बोल रही थीं, देवरिया से आयी हुई हैं श्रीमती कैलाशवती मिश्र । उनकी बातों को सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई । इस प्रदेश का यह सौभाग्य होगा कि माननीय कैलाशवती मंत्राणी हो जायं । वह वास्तविकता समझती भी हैं, दिल से भी प्रेरणा है, कुछ कार्य कर सकती हैं । मैं वर्तमान मंत्राणी का आदर करता हूं लेकिन कम से कम इस प्रदेश के ग्रामों की हर बात की जानकारी उन्हें हासिल करनी पड़ेगी । अफसरों के सेमिनार्स में जाने से या उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़कर या अपने ही ज्ञान को भंडार समझ कर.....

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—अगर मैं इंटरप्ट कर सकती हूं तो मैं कहूंगी कि शायद आपने जब देहात में जाना शुरू नहीं किया था, आज के २५ वर्ष पहले से मैं यू० पी० के देहातों से वाकफियत रखती हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं आपसे बता दूं कि जब वह छोटी बच्ची थीं, तब मैं कांग्रेस में काम करता था । तब शायद वह पालने में खेलती होंगी । उस समय मैं कांग्रेस में काम कर रहा था जब कोई नामवरी नहीं होती थी । शायद गांव को आपने छोटी-छोटी किताबों में पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा । मैं एक अध्यापक हूं । मेरे पढ़ाये हुये विद्यार्थी इस वक्त प्राजेक्ट डेवलपमेंट आफिसर्स हैं । उनसे मेरी बात हुई है । वह बताते हैं कि मास्टर जी, मैं तनख्वाह जरूर पा लेता हूं लेकिन मुझे वास्तविकता नहीं दिखायी पड़ती है । मैं उनके नाम बता कर उनकी हानि नहीं करना चाहता । तो मैं माननीय मंत्राणी जी से प्रार्थना करूंगी (करूंगा) कि वह जरा बहन कैलाशवती से बात करें और देहात में जा कर देख लें तो अच्छा होगा ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गलत बात करते समय ग्रामर भी गलत हो जाती है ।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान इस वक्त हाउस के सामने पेश है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, यह थर्ड फाइव इयर प्लान का पहला साल शुरू हो रहा है । हमारे मुल्क में अब तक जो काम होते थे वह किसी प्लान के मातहत नहीं होते थे, बल्कि जिस काम को जिस वक्त चाहा कर लिया और जहां जिस चीज की जरूरत पेश आयी शुरू कर दी । इसलिए इस मुल्क को प्लानिंग से काम करने की आदत नहीं थी । इसीलिए प्लानिंग की आदत डालने में दुश्वारी नजर आती है । उसके लिए कुछ न कुछ परिश्रम, मेहनत करनी पड़ेगी "इस तरह तय की है, हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले" । मैंने यह शेर इसलिये पढ़ा कि हर तामीरी काम करने के लिए, आमतौर से बड़ा सब्र करना पड़ता है और खून को पसीना बनाकर बहाना पड़ता है । यह कोई हंसी खेल नहीं कि जैसा जी चाहा हमने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कर लिया और उसके बाद सोचने लगे कि यह फौरन पूरे हो जायं । तामीर के काम में तो इन्तजार करना पड़ता है । बाज बाज वक्त उम्मीदों के खिलाफ भी नतीजों का सामना हमें करना पड़ता है और उस वक्त हमें अपने तजुर्बे के आधार पर यह देखना पड़ता है कि हम आगे कौन से तरीके अमल में लायें जिससे कि आगे हमें कामयाबी हासिल हो सके । जाहिर है कि तामीरी काम बहुत मुश्किल होता है और उसमें बहुत कम दिलचस्पी लोगों की होती है, लोग इसके आदी होते हैं कि जो चीज हम आज करें कल को हमारे सामने उसका नतीजा आ जाय लेकिन तामीरी काम कोई आसान बात नहीं है । उसमें तो इन्तजार, मेहनत और टाइम लगता है । फिर आज जिस मुल्क की फिजा ऐसी हो कि विकास के काम में कभी किसी की दिलचस्पी न रही हो तो जाहिर है कि उसमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा । लेकिन आज जब हमने यह प्लान बनाया और देहात की तरफ तवज्जह की तो कौन इससे इनकार करेगा, चाहे वह इधर का बैठने वाला हो चाहे उधर का बैठने वाला हो, कि देहात के रहने वालों में यह वातावरण पैदा नहीं हुआ, उनकी एक जहनियत ऐसी पैदा नहीं हुई कि वह इस तरफ सोचें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि विकास क्या चीज है और इससे हमारा फायदा क्या है ? कोई भी आज इससे इनकार नहीं कर सकता है कि हर शख्श आज यह सोचता है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या आया और क्या हमारे यहां होने जा रहा है ? क्या पिछले दस सालों में हुआ ? तो जब यह जहनियत बनती है तो जाहिर है कि तरक्की की तरफ एक कदम हमारा उठता है और जब तरक्की की तरफ कदम उठने लगता है और जहनियत रचनात्मक बन जाती है तो मुल्क के अच्छे दिन आया करते हैं । जाहिर है कि आज जब जहनियत ऐसी बन गई है तो हमारी तमाम कामनायें, तमाम तमन्नायें, ख्वाहिशें यकीनन पूरी होने जा रही हैं ।

[श्री अहमद बख्श]

हमने सबसे पहला काम जो इस दिशा में इस साल किया है वह यह कि यह जो विकास खंड हैं, प्रत्येक विकास क्षेत्र से हमने उनकी जरूरियात को मालूम किया और उनकी जरूरियात को सामने रखा। उनकी जरूरियात के मुताबिक ही हमने उन ब्लाकों के कामों को अन्जाम देने का इन्तजाम किया। दूसरी चीज यह अर्ज करनी है कि आज विकास समितियों में जो लोग काम कर रहे हैं वह इस तरफ तवज्जह दिलाते हैं कि उनके जेहन में तो यह बातें हैं लेकिन उनके इल्म में वह बातें नहीं हैं। इससे वह उन कामों को करने से मजबूर होते हैं। अगर उनको इसका इल्म हासिल हो जाय तो छोटे-छोटे काम जो वह कर सकते हैं उसमें ज्यादा खर्च नहीं होगा।

यह कहना कि कोई काम नहीं हो रहा है यह किसी हद तक सही नहीं है। यह हो सकता है कि अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से जितना पैसा हम खर्च करते हैं उससे उतना फायदा न उठा सकते हों जितना कि उस रुपये से उठाया जा सकता है। यह तो एक बात मानने के काबिल है और मानी जा सकती है। लेकिन कतई यह समझ लेना कि वह सारा पैसा बेकार जा रहा है, और छोटी-छोटी बातों में, तनख्वाह वगैरह में ही वह खर्च हो रहा है, ब्लाक वाले अपने आशायश पर खर्च कर रहे हैं यह सही नहीं है। जब पैसा होता है तभी काम करने वाले उसे खर्च करते हैं और वह खर्च भी इसीलिए होता है कि वह काम उनके सुपुर्द किया गया है। बगैर खर्च किये कोई काम होता नहीं। हां, अगर हम ऐसे वालेंटरी कार्यकर्ता तैयार कर सकें जो वालंटरी तरीके से अपनी खिदमत पेश करें और उसके लिए तनख्वाह भी न लें तो वह दूसरी बात है, लेकिन ऐसे वालंटियर्स पैदा करना तो हमारा काम है जो इस मुल्क के वातावरण को देखते हुए जांफिशानी से, मेहनत से, दिलजमई से काम करें और कम से कम वेतन लें। यह तभी हो सकता है जब हमारी जहनियत में तब्दीली पैदा हो जाय। आज तो अगर हम यही जहनियत पैदा कर दें कि तनख्वाह लेने के बाद भी वह पूरी मेहनत से अपना काम करें तो भी एक बहुत बड़ा काम हो सकता है क्यों कि आज की जो जहनियत है उसमें कोई काम को अपना फर्ज समझ कर नहीं करता है बल्कि एक भार समझ कर करता है। अगर यह एहसास जग जाय और एहसास के साथ वह अपना काम तनख्वाह लेकर ही करने लगें तो उससे भी बहुत ज्यादा काम हो सकता है। तो आज सवाल इस बात का पैदा होता है कि हम कुछ तब्दीली उनके अन्दर पैदा करें जिसमें कि उनको यह महसूस न हो कि हम कोई दूसरे मखलूक हैं और वह कोई दूसरे मखलूक हैं। इसके अन्दर यह इम्तियाज बाकी न रहे। एक इत्तफाक पैदा हो जाय। एक दूसरे में कोई फर्क महसूस न करे ताकि देहात के रहने वाले लोग यह समझें कि यह हमारा हितैषी है और जब यह हमारे सामने आया है तो हमको फायदे की बात बतलायेगा। आज देहात में जाते हैं तो हममें और उनमें एक अन्तर मालूम होता है। सरकारी कर्मचारियों से मेरी दरख्वास्त है कि इस भेद को मिटाया जाय। आज जब कि यह विकास का काम हमारे प्रदेश की उन्नति का काम है तो देहात में जाने के बाद उनसे मिलकर, उनके रंग में मिलकर काम करने से इसमें ज्यादा कामयाबी हो सकती है बमुकाबले इसके कि हम शहरी बनकर जायं और यूनिवर्सिटी से निकलकर वहां जाकर साहबियत दिखाये। यकीनन इससे वह देहात का रहने वाला बिदकेगा। इस तरह की जहनियत अंग्रेजी जमाने में पैदा हो गई थी और वह आज तक चली आती है। कुछ इसी तरीके से अपना रोब वहां जाकर जमाते हैं। अगर वे लोग खौफ या डर अपने दिल में महसूस करते हैं और खौफ से कोई काम करते हैं तो इससे फर्क दूर नहीं हो सकता है। आपस में मेल भी नहीं बढ़ सकता है क्योंकि वह जो भी काम करेगा वह डर और खौफ से काम करेगा। वे लोग दिल से कोई काम नहीं कर सकते हैं। जब यह होगा कि वह आजादी से बात कह सकता है और वे यह समझेंगे कि यह हमारा भलाई चाहने वाला है तो उनके दिल से खौफ दूर होगा और उम्दा तरीके से उनके दिल में यह बात जम जायगी कि कर्मचारी उनका भला चाहने वाला है। तभी से हमारा काम तरक्की के साथ होगा। आज जब आपने इस विकास के काम को मुल्क की तरक्की का जुज बना दिया है तो विकास करने वाले कर्मचारी उनके बीच में जाकर अपने को आका न समझें और पब्लिक को प्रजा न समझे। जब प्रजा और आका में कोई फर्क बाकी नहीं रहेगा तो ये हमारी तरक्की के काम बहुत आसानी से और जल्दी हो सकेंगे।

दूसरी बात मैं आपकी मार्फत यह गुजारिश करना चाहता हूं कि जो विकास समितियां हैं, उन विकास समितियों की जब मीटिंग होती है तो उनमें विकास के जो मुलाजमीन होते हैं वह बहुत कम जाते हैं । मैं हर मीटिंग में जाने की कोशिश करता हूं और किसी मीटिंग को छोड़ता नहीं, लेकिन मैंने यह देखा है कि उन समितियों में सरकारी मुलाजिम बहुत कम आते हैं । जो मसले रह जाते हैं वह इल्तवा होते हैं । जब वे इल्तवा हो जाते हैं तो फिर दूसरी मीटिंग में आते हैं । तब तक उस दूसरी मीटिंग के लिये और मसलें बन जाते हैं । इस तरह से उनकी गैर-हाजिरी की वजह से इतनी समस्याये बन जाती हैं कि उन तमाम पिछले मसलों को रद्दी की टोकरी में डालना पड़ता है । अगर सरकारी कर्मचारी हर मीटिंग में जायं और हल्का प्रधान भी वहां रहे और तमाम मुश्किलात को सामने रखा जाय और सब कर्मचारी और अफसर रहें तो बहुत हद तक काफी मसले सुलझ सकते हैं । मैंने डिवीजनल कान्फ्रेंस में भी इस बात को अर्ज किया था और विकास समितियों के अन्दर भी इस बात को जाकर कहा है । अगर इस तरीके से हो जाय तो बहुत महले हल हो सकते हैं ।

कोई भी ऐग्रीकल्चरल मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वहां उद्योग-धन्धे न हों । अगर वहां पर इंडस्ट्री न हो और ऐग्रीकल्चर पर ही मुल्क का दारोमदार रहता है तो वह मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है । गरीबी से बाहर नहीं हो सकता है । पेट लोग भर सकते हैं लेकिन ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती है । इसलिये जरूरत इस बात की है कि वहां पर उद्योग-धन्धे कायम किये जायं । तभी तरक्की का इमकान हो सकता है । इसके साथ ही मैं यह भी गुजारिश करूंगा कि जो भी काम शुरू किया जाय उसको पूरा करके ही छोड़ा जाय । आज जो काम शुरू किया जाता है उसको पांच-पांच सात-सात साल के बाद पूरा किया जाता है तो इससे बड़ा नुकसान होता है । एक सड़क मसलन १० मील बनानी है । दो मील इस साल बनाई, डेढ मील दूसरे साल बनाई, दो फिर तीसरे साल बनाई तो इस तरह से जब तक वह सारा काम पूरा होता है वह पिछला किया हुआ काम खराब होना शुरू हो जाता है । मैं समझता हूं जो भी काम किया जाय वह पूरा किया जाय और दूसरे हल्के में उस काम को पूरा करके ही काम शुरू किया जाय । थोड़ा-थोड़ा काम करने से यह होता है कि न वह काम होता है और न वह दूसरा काम होता है । पूरा काम होगा तो उसमें रुपया जाया नहीं होगा । अगर कहीं पर ट्यूबवेल बनाया जाय तो उसके साथ ही नालियों व बिजली का काम भी शुरू कर देना चाहिये । यह नहीं होना चाहिये कि ट्यूबवेल लग गया तो उसको बिजली नहीं मिली । वह बिना बिजली के जल्दी में खराब हो जाता है । अगर बिजली मिली तो नालियां तैयार नहीं है ।

इसी तरीके से जिस ब्लाक के अन्दर बीज गोदाम हों तो कामदार भी वहीं हो । वहां अफसर भी जायं । अगर इस तरह से इन्तजाम हो जाय कि गांव में ही बीज तकसीम हो जायं और नम्बर से सब जाकर ले आयें तो गांव वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी । मैं इस कटौती के प्रस्ताव की मुखालिफत करता हूं और इस अनुदान का समर्थन करता हूं ।

*श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय, मुझे इतना अवश्य कहना है कि माननीय गोविन्द सहाय जी इस भवन में अक्सर सिद्धान्तों की बातें कहते हैं और माननीय मदन मोहन जी भी बोल चुके हैं और उनके बारे में मुझे इतना ही कहना है कि वह यह समझते कि अगर नीयत अच्छी हो तो वह हिन्दुस्तान को आग भी लगा सकते हैं । माननीय मदन मोहन जी पर-कैपिटा इन्कम और पर कैपिटा सेविंग में कंफ्यूज कर रहे थे और यह दोनों चीजें उनके दिमाग में साफ नहीं थीं । माननीय गोविन्द सहाय जी सिद्धान्त की बात कर रहे थे और यह भी ठीक है कि हिन्दुस्तान में ज्यादातर लोग सिद्धान्त की बातें किया करते हैं, लेकिन रूस में भी जब १९२४ में प्लानिंग शुरू हुई, तो भले ही वह टोटैलिटेरियन रही हो अथवा डेमोक्रेटिक,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

उनकी प्लानिंग का लक्ष्य और उद्देश्य एक ही था कि किस प्रकार आदमी का स्टैन्डर्ड आफ लिविंग बढ़े ।

(इस समय १ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री सुरेश प्रकाश सिंह, पीठासीन हुए ।)

लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि १० साल की इस योजना काल के उपरान्त भी समाजवाद का नारा लगाते हुए भी हमारी पर कैपिटल इन्कम घटी है । १९५०-५१ में जो २५५.७ थी वह आज २५५.३ रह गयी है ।

मान्यवर, देहातों में पर एकड़ पैदावार घटी है । मैं जानना चाहता हूं कि किसी मुल्क की तरक्की जांचने का मयार क्या है । हिन्दुस्तान या किसी मुल्क के लोगों का तरक्की की तरफ रुझान हो तो काफी है, यह क्या है ? आज हमारी प्लानिंग जो देहातों में रहते हैं, उनके लिये है, उनके लिये है जिन्हें बदबू में रहना पड़ता है....

श्री रामेश्वरप्रसाद---आपको खुशबू कब से आने लगी ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---जब से आपको हर जगह बदबू आने लगी, जब से आप उन गद्दियों पर आरूढ़ हुए। मैं यह नहीं कहना चाहता कि पहली योजना नौकरशाही की योजना थी, लेकिन दूसरी और तीसरी योजना, जिनके लिये बनी है, क्या उनको कुछ फायदा उसका हुआ है ? इसमें दलबन्दी का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन यह साफ है कि इस प्लान से उनको फायदा नहीं हो पाया है । हरिजन सदस्य जो यहां हरिजनों के लिये चिल्लाते हैं अपने क्षेत्रों में उनका पैसा उन को नहीं दिलवा पाते हैं । गोविन्द सहाय जी जहां कहते हैं कि आज तो इकोनामी के लिये एक क्रेज पैदा हो गया है, उसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि दूसरा क्रेज सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का है और तीसरा क्रेज सोशलिज्म का है । मैं आपके द्वारा उनको और माननीया मंत्राणी जी को बतलाना चाहता हूं कि रूस और चीन में भी कृषि के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं हो पायी है । भारत में ८० प्रतिशत जनता जब देहात में रहती है, धरती पर बोझ है, तो यह कहना कि समाजवाद को आधार बना कर योजना बनायी जाय और वह भारत में सफल होगी, ठीक नहीं है । उनके लिये उदाहरण रूस और चीन का सामने है । आज क्रुश्चेव साहब का आइडियल कलेक्टिव फार्म है.....

एक सदस्य---यह कब से हुआ ?

श्री अवधेशप्रताप सिंह---जब से आचार्य दीपंकर जी का और मेरा साथ हुआ । तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग के मामले में अब हम और श्री गेंदासिंह, स्वतंत्र पार्टी और उनका दल एक हो गये हैं । हम भी प्लानिंग नहीं चाहते, यह लोग भी प्लानिंग नहीं चाहते, इनका यह कहना है कि प्लानिंग इसलिये नहीं चाहते चूंकि प्लानिंग खराब है । वह तो किसी भी सिद्धान्त को नहीं मानते । किन्तु मैं अपनी जगह पर प्लानिंग को मानता हूं, मगर ऐसी प्लानिंग नहीं । मैं तो कहता हूं कि आप भगवान पर छोड़ दीजिये, लेकिन आडम्बर के पीछे किसी को मारा न जाय ।

माननीया मंत्राणी जी दूसरे देशों के बारे में भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं । प्लानिंग रियलिस्टिक होनी चाहिये । उसके नियमों के पीछे नहीं जाना चाहिये । मैं आपके द्वारा श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि भारत में नकल करने की परम्परा हो चुकी है । आज हम रूस और चाइना की तरफ देखते हैं । हिन्दुस्तान को तो आज ऐसी नीति की जरूरत है, ऐसी प्लानिंग की जरूरत है, जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके ।

श्रीमन्, माननीय गोविन्द सहाय जी चले गये । वे सोशलिस्टिक प्लानिंग की बात करते हैं, सोशलिस्टिक इकोनामी में उनका विश्वास है और वे समझते हैं कि उसमें जितना रुपया मिलना चाहिये उतना खर्च होना चाहिये । मेरी शिकायत दूसरी है । सिद्धान्त की बात को तो मैं मानता हूं, किन्तु यह मेरी समझ में नहीं आता कि मार्च के महीने में क्यों रुपये को

फेंका जाता है। मार्च के आखिरी हफ्ते में जिस तरह रुपये को खर्च किया जाता है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं। अगर रुपया पूरी तरह से खर्च नहीं होता है तो न हो, उसमें हर्ज क्या है, वह बच जायेगा तो वह दूसरी जगह काम में आ सकता है।

श्रीमन्, अगर रायल होटल में चले जाइये तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन अधिकारी किस कमरे में है, कौन सा विभाग किस में है, और उन अधिकारियों को भी यह पता नहीं होता कि कौन सा विभाग उनके अधीन है। आज प्लानिंग विभाग की यह विशेषता है। कमिश्नर रखे गये हैं, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि यह जो एडीशनल कमिश्नर हैं वे किस मर्ज की दवा हैं। यह, मेरी समझ में नहीं आया कि आप विकेन्द्रीकरण का नारा तो लगाते हैं, मगर जो चीज नीचे से स्वीकार होकर आती है, जो सुझाव नीचे से आता है, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता।

कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक को भी मैंने देखा है और देखता रहता हूं। (लाल बत्ती होने पर) मुझे एक दो मिनट और दे दिये जायं क्योंकि सभी को आपकी मेहरबानी से दिये गये हैं।

तो वहां पर जो पैदावार होती है, श्रीमन्, वह अगर ६ आने होती है तो वह ब्लाक में १४ आने लिखी जाती है, क्योंकि उसी से बी० डी० ओ० की तरक्की होती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में श्रीमन्, आज तक कई करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं मगर लोगों को यह तक पता नहीं है कि वे हैं क्या चीज, और उनका क्या काम है। वह भी समझेगा कि उसका क्या काम है। यह नौकरशाही जो कि सूटेड-बूटेड गांव में लोग जाते हैं जिनको पता नहीं कि देहात की जिन्दगी क्या है, वह महिलाएं जो कि लिपिस्टक, पाउडर लगाकर जाती है, जिनसे देहात की महिलाएं घबराती हैं कि कौन सी चीज आ गयी। हो सकता है कि उनकी विशेषता हजरतगंज में हो, गांव में कोई जरूरत नहीं है जिन्होंने देहात में कभी जिन्दगी नहीं बिताई। गोविन्द सहाय जी घंटे दो घंटे के लिए किसी ब्लाक में चले गये और उन्होंने दातून की बात कही। वह ऐसा प्रश्न था जिससे मालूम होता था कि वह जैसे हिन्दुस्तानी नहीं हैं, किसी विदेशी मुल्क से आये हैं।

इन सब चीजों को देखते हुए मैंने माना कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च हुआ। मैं मंत्राणी जी से कहूंगा कि आप वह साइकोलाजी भी पैदा नहीं कर पाये कि ब्लाक समझ सके।

श्री अधिष्ठाता--आपका समय समाप्त हुआ।

श्री चन्द्रिका प्रसाद (जिला रायबरेली)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्राणी जी के अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। साथ ही गांव में जो हमारा अनुभव है, उसी के विषय में कुछ सुझाव देना है। यह भी आपके द्वारा माननीय मंत्राणी जी को बता देना चाहता हूं कि हमारा पूज्य अधिकारी वर्ग इसमें काफी दिलचस्पी लेता है, इसमें शक नहीं, लेकिन जो ग्राम स्तर पर हमारे काम करने वाले साथी हैं उनमें वह स्पिरिट नहीं आयी है जो कि एक टीम में होनी चाहिए।

ब्लाक में लगभग १५ कर्मचारी रहते हैं और कुल मिलाकर ३० आदमी होते हैं। हम लोग जो ग्राम स्तर पर कार्यकर्त्ता हैं और अन्य बहुत से लोग हैं, जो गांव का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन नीचे स्तर के कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। अधिकांश कर्मचारी जो आज ग्राम सेवक और ए० डी० ओज० के नाम से हैं, वह कागजी दुनियां में ज्यादा रहते हैं। हमें आपके द्वारा यह प्रार्थना करना है कि कागजी काम कम किया जाय, महीने में एक हफ्ता आफिस का वर्क हो और २१ दिन कम से कम फील्ड वर्क होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे ग्राम समाज की जो संपत्ति है। उसकी रक्षा में अगर उस अनुदान को लगा दें जो सरकार से मिलती है तो उससे हमें काफी लाभ हो सकता है और ५ वर्ष में कायापलट हो सकती है। लेकिन उसका कोई पुरसां हाल नहीं है। उसको तहसीलदार और ए० डी० ओ० के जिम्मे रख छोड़ा है और वह लेखपाल की सुपुर्दगी में रहती है।

[श्री चन्द्रिका प्रसाद]

इस व्यवस्था में वही पुरानी बातें होती हैं, कुछ लाभ नहीं होता है। जैसा आपने ए० डी० ओ० कोआपरेटिव पंचायत रखा है, वहां एक कानूनगो की तरह का रखें जो ग्राम समाज की संपत्ति की रक्षा करे। अगर ऐसा होगा तो उसको कलक होगी कि हमारे ग्राम की संपत्ति इधर उधर न जाय। आज, जो सरकश लोग हैं उनके कब्जे में सारी ग्राम संपत्ति है, गरीब आदमी जो गांव में रहता है, वह उससे कोई फायदा नहीं उठा रहा है। थोड़े से आदमी उसको अपने कब्जे में किये हुए हैं। उसमें हमारी ग्राम सभाओं की बहुत तरक्की हो सकती है।

तीसरी बात यह है कि १५–१५ आदमी जो एक-एक ब्लाक में रखे जाते हैं, ४–४ चपरासी, ४–४ ए० डी० ओज० ६ ग्राम सेवक, उनकी बजाय एक कानूनगो रखें, और दो तीन काम करने वाले हों। चपरासी हाई स्कूल पास होते हैं, वह कहते हैं कि हमारा काम कागज का है। ग्राम सेवक भी काम करने को तैयार नहीं है। चपरासी काम करने के लिये नहीं तैयार और न ए० डी० ओ० तैयार। हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप हमको एक ब्लाक दे दें और उसमें हमारे मन के या बी० डी० ओ० के मन के कर्मचारी दे दें तो पांच साल में इस रुपये से हम एक नमूना आपके सामने पेश कर देंगे। लेकिन होता यह है कि सिर्फ कागजी नकशे तैयार किये जाते हैं या फिर जीप में बैठ कर बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० घूम आये और वह जहां गये वहां ग्राम सेवक ने चाय का इन्तजाम कर दिया, क्योंकि अगर वह चाय का प्रबन्ध न करे तो निकम्मा कहा जाय। इस तरह से रेवेन्यू विभाग में होता है, पुलिस विभाग में होता है कि जब उनके आफिसर जाते हैं तो चाय वगैरह का इन्तजाम कर दिया जाता है। लेकिन असली काम नहीं होता है। इस सम्बन्ध में मैंने सुझाव के रूप में गैंग का सवाल रखा। आप ए० डी० ओ० कम कर दीजिये और चपरासी चाहे एक ही कर दीजिये मगर हमारे जैसे आदमियों को मौका दीजिये तो हम काम करके दिखायें। ग्राम सेवक वहां पर ११० रुपये पाता है जबकि इतनी तनख्वाह न लेखपाल पाता है, न अध्यापक पाता है और न पतरौल पाता है। पांच सात गांवों के एक सेन्टर में एक ग्राम सेवक होता है। उसका काम यह है कि खाना-पीना बनाया खाया और कहीं घूम आया।

हमारा कहना यह है कि अगर कहीं जापानी ढंग से धान की खेती हो रही है तो वह भी एक दो घंटा बैठ कर लगाये। अगर ब्लाक के आदमी एक दो घंटा वालन्टरी काम करें तो गांवों की काया-पलट हो जाय। आप १२–१२ लाख रुपया खर्च करते हैं ब्लाक में, लेकिन वहां की हालत वैसी की वैसी ही रहती है। मैं यह नहीं कहता कि काम बिलकुल नहीं होता, लेकिन जितना रुपया आप खर्च कर रहे हैं उतना काम नहीं हो रहा है। ब्लाक के कर्मचारियों में वालन्टरी और टीम स्पिरिट आनी चाहिये। एक ब्लाक में ५० अध्यापक होते हैं, ७०–८० सभापति हैं और इतने ब्लाक के कर्मचारी, सब मिलाकर करीब १००-१५० आदमी हुये। इन सबको मिलाकर चाहिये कि अभियान करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर हमारे मन के कर्मचारी मिल जायं जिनमें काम करने की रुचि हो, एक दिन में घंटे दो घंटे ही वालन्टरी काम करें तो एक साल के अन्दर ब्लाक के सभी गांवों को कच्ची पक्की सड़कों और एप्रोच रोड बनाकर एक में जोड़ा जा सकता है। आज होता यह है कि खाद के पक्के गड्ढे बनाये जाते हैं, पक्की चरही बनाई जाती है। यह सब ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहता। एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने कहा कि गांवों में ४० फीसदी गोबर ही इस्तेमाल होता है। अगर आप हमारे गोबर की ही रक्षा कर दें तो हम दूनी पैदावार करके दिखला सकते हैं। ४० फीसदी गोबर तो जला डाला जाता है, ४० फीसदी खेतों में पहुंचता है और २० फीसदी जाया हो जाता है। खाद के गड्ढों के लिये खूब रुपया खर्च किया गया, लेकिन कितने गड्ढे बने? कागज पर चाहे जितने बन गये हों। अगर आप यही करवा दें तो मैं आपको दूनी पैदावार करके दूंगा, न दूं तो इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें सहयोग नहीं मिलता है। आज हजारों और सैकड़ों रुपये पाने वाले अधिकारी और कर्मचारी कागज के नकशे जरूर आपको बनाकर दे देंगे।

मेरी एक और प्रार्थना है। आप अखबारों में रोज पढ़ते होंगे कि गांवों में कितनी आज कल आग लग रही है। हमारे जिले की आबादी १३ लाख है जिसमें शहर की आबादी कोई ३० हजार होगी। सारा का सारा देहाती इलाका ही है। हमारे यहां बारह तेरह सौ नम्बरी कस्बे हैं। पारसाल मेरे जिले में २९ जगह आग लगी। इसलिये हर ब्लाक स्तर पर एक-एक पम्पिंग सेट रख दिया जाय और उसका काम जानने वाला रख दिया जाय। इसी तरह से जिला स्तर पर एक फायर ब्रिगेड भी जरूर रखा जाय।

आज जमीन कटती जा रही है। ऊसर, बंजर, तालाबी जमीन बहुत है। कहा जाता है कि बेकारी की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। हम २५ फीसदी बेकारी देहातों में हल कर सकते हैं। पैसा ज्यादा नहीं खर्च होगा, लेकिन काम करना होगा। ऊसर, बंजर, तालाबी और दूसरी जो हजारों बीघा जमीन पड़ी है उसमें हम काम कर सकते हैं। जहां बबूल वगैरह के पेड़ हैं वहां हम लकड़ी का इंतजाम कर सकते हैं।

श्री खजान सिंह चौधरी (जिला उन्नाव)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से माननीय गेंदा सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं दो दिन से देख रहा हूं कि प्लानिंग पर ऐसी बहस हो रही है कि सभी माननीय सदस्य कुछ न कुछ उसकी खिलाफत कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब वैसे ही हो रहा है। कुछ न कुछ तो बात है ही। माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि एक रुपया कर दिया जाय, वह ठीक ही है। दिल जले हैं। यानी उनको यह कोफ्त है कि इतनी योजना बनाई गई लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। मैं तो उन्नाव जिले से आता हूं। मैं भी देखता हूं और माननीय सदस्य भी सब देखते हैं कि वाकई कुछ नहीं हो रहा है, रुपये की लुटाई ज्यादातर हो रही है।

खेती का काम लीजिये, जैसे गांव में जापानी धान लगवाते हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा था कि वह शहरों के रहने वाले हैं, देहात में काम करना क्या जानें! सड़कों के किनारे, जो पुख्ता सड़क हैं उन्हीं के किनारे जापानी धान ढंग का धान लगाया जाता है ताकि जो कोई आवे वह देख ले। इतना स्टाफ है उनके पास कि वह जो कोई चीज चाहें करा सकते हैं, खेती को तरक्की दे सकते हैं। वहां बी० डी० ओ० हैं, ८–१० ए० डी० ओ० हैं, बी० एल० डब्लू० हैं, सेक्रेटरी है, और भी लोग हैं। मेरा खयाल है कि जो प्लानिंग के हैड हैं उनको बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए। वह हर चीज में माहिर हों तभी नियोजन का काम चल सकता है। वह माहिर नहीं होते तो क्या होता है? जैसे मैं खेती का काम कम जानता हूं और मेरे सहायक ज्यादा जानते हैं और मैं अपने सहायकों से कहूं कि ऐसा न करो बल्कि ऐसा करो। तो इसका मतलब हुआ कि मैं तो अपना तजुर्बा कर रहा हूं। इस तरह तजुर्बा करने में बड़ा नुकसान हो रहा है। ये लोग तजुर्बा कर रहे हैं। अरबों रुपया लग रहा है। हम मकरूज हो रहे हैं। हमारा देश दूसरे मुल्कों का गुलाम होता जा रहा है। किसी महाजन से कर्जा लिया तो वह घर आता है और कहता है कि लाओ रुपया। तब कहते हैं कि भाई, अभी तो है नहीं, उसको पशेमान होना पड़ता है। हमारे देश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और नातजुर्बेकारों ने देश को बरबाद कर दिया है। इतना रुपया प्लानिंग पर खर्च हो रहा है, पर फायदा कुछ नहीं पर कैपिटा इनकम में, खेती में सब में घटोत्तरी। एक लाइन पर काम हो तब तो कुछ हो। जैसे हमारे यहां बी० डी० ओ० बता रहे थे कि जापानी धान की खेती करने में चार इंच पर लगाओ और ९ इंच जगह छोड़ो पैडी वीडर के लिये। मैंने उनसे कहा कि पैडी वीडर चलाकर दिखलाइये। उन्होंने पैडीवीडर तो पकड़ लिया और कहने लगे कि साहब चलता नहीं है। तो दरअसल जो प्लानिंग हमारी फेल हो रही है वह नातजुर्बेकारी की वजह से हो रही है। आयुक्त आया एक दो साल रहा, बाद में हटा दिया और नया बुला लिया गया। दरअसल तरक्की तो घर के हेड पर मुनहसिर होती है। अगर मैं तजुर्बेकार हूं तो मेरे घर की तरक्की होगी और अगर मैं बेवकूफ हूं, नातजुर्बेकार हूं तो मेरे घर की बरबादी होगी।

[श्री खजान सिंह चौधरी—]

मैं आपको बताऊं, मैं बुलन्दशहर का रहने वाला हूं और उन्नाव जिले में सदर में अब रहता हूं। मैंने ३५ एकड़ रेह की जमीन ले ली, रेह जिसकी धोबी ले जाते थे, आप एनक्वायरी कर सकते हैं और ये प्लानिंग वाले देख भी सकते हैं कि मैंने उस जमीन को बड़ा अच्छा जरखेज बना दिया है और टाइप नाइन का १५ मन धान मैं फी बीघा उसमें उगाता हूं और गवर्नमेंट को बेंचता हूं। इधर से जब आप कानपुर जाते हैं तो रास्ते में जो बदबू आती है उस मिल के पानी को हम ले लेते हैं और खाद वगैरह जितनी आ रही है जिसका इस्तेमाल करना चाहिये, वह सब करते हैं, बड़ा अच्छा पैदा होता है लेकिन उसके लिये तजुर्बेकार आदमी होना चाहिये। कोई ऐग्रीकल्चर जानता भी नहीं है एम० ए० पास कर कर लिया और कम्पटीशन में बैठ गया, बस आ गया। वह कैसे खेती में तरक्की करेगा? मेरी राय है कि कम से कम खेती के काम में माहिर आदमी को बी० डी० ओ० बनाना चाहिये, क्योंकि खेती पर ही सब दारोमदार है। अनाज ज्यादा पैदा हो तो मुल्क की तरक्की हो। उद्योगधंधों का यह हाल है। सब गड़बड़ घोटाला है। रुपया ले लेते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। सब बेकार रुपया चला गया। यह विकास वगैरह कुछ नहीं है। अगर तजुर्बेकार मंत्री हों, तजुर्बेकार डेवलपमेंट कमिश्नर हों, तब काम तरक्की कर सकता है। लेकिन तजुर्बेकार मंत्री मिलें कहां?. आई० सी० एस० और आई० ए० एस० वाले ठीक हैं, लेकिन उनको कहीं फेंक दिया, वह खेती का काम नहीं जानते। तो गवर्नमेंट को चाहिये कि इस काम पर तजुर्बेकार और माहिर लोगों को रखकर काम करावें। आखिर यह सब योजना देख ली किसके माथे पर, सरकारी नौकरों के, और अगर न कर नातजुर्बेकार हैं तो देश को बरबाद कर देंगे। इसी वास्ते खेती तरक्की नहीं कर पा रही है और देश पीछे होता जा रहा है।

और भी देखिये, जितनी जमीन हमारे देश में है उतना पैदा होता नहीं है। कुछ तो ऊसर का रिक्लेमेशन हुआ है लेकिन आप अच्छी तरह से ऊसर जमीनों का रिक्लेमेशन नहीं कर रहे हैं। गांवों में बहुत सी जमीन पड़ी हुई है। अगर उनको रिक्लेम करें और जैसे मैंने रेह की जमीन में तरक्की कर ली है उसी तरह से कर दें तो खेती का उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। लेकिन इस जमीन से भी हम तीन फसलें ले सकते हैं। मेरा जाती तजुर्बा है। एक बोरा खाद का आता है जिसमें चार खादें मिली होती हैं—अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, बोनमील और यूरिया। २४ रुपये में बोरा आता है। धान की फसल के बाद एक बोरा खाद लगा दिया जाय तो चौमासे की सी फसल होगी, छूत गेहूं को नहीं लगेगी। उसके बाद उसमें फिर एक बोरा खाद लगा कर मक्का बोई जा सकती है। ऐसी चीज बतानी चाहिये। लेकिन बताये कौन? जाने तो बताये। इसलिये इस विभाग में वही रखे जाने चाहिये जो एग्रीकल्चर को जानते हों। मेरी यही अर्ज है कि तजुर्बेकार अफसर रखे जाने चाहिये तभी काम ठीक होगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव (जिला बहराइच)—अधिष्ठाता महोदय, कल से इस अनुदान पर बहस हो रही है। मुझे अफसोस है कि मैं अपने साथी माननीय गेंदा सिंह जी से सहमत नहीं हूं, जब कि वे यह कहते हैं कि हमारी प्लानिंग फेल हो गयी है, कोई तरक्की नहीं हुई। मैं समझता हूं कि उनका यह कथन वास्तविकता पर एक प्रकार से पर्दा डालता है और वह वास्तविकता से अपने को काफी दूर रख रहे हैं। यदि निष्पक्षता की दृष्टि से देखा जाय तो उन्हें मालूम होगा कि हम काफी आगे बढ़े हैं और काफी काम हुआ है। लेकिन यह भी सही है कि बहुत कुछ करने को बाकी रह गया है। कितने ही अस्पताल बने, कितनी ही सड़कें बनीं, कितनी ही नहरें बनीं, कितने ही स्कूल बने और १५ वर्ष पहले आपके प्रदेश की क्या हालत थी, इसको, अगर आप देखें और उसका मुकाबला आज से करें तो आपको बहुत कुछ अन्तर मिलेगा।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब मैं यह कहता हूं तो यह भी कहता हूं कि प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी त्रुटियां भी हैं। इसका कारण क्या है, इस पर विचार करने की हमें आवश्यकता है।

यह सही है कि हमारे प्लान बने, अच्छे मंसूबे बने, उन मंसूबों को इस सदन ने स्वीकार किया। किन्तु कहीं पर गलती हुई जिसके कारण से हम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाये। किसी भी देश की प्लानिंग को सफल बनाने के लिये सबसे बड़ी चीज यह है कि देश का प्रशासन स्वस्थ हो ताकि प्लान्स को कार्यान्वित करने में जो कठिनाई होती है, वह न हो और साधारण जनता उसको अपना प्लान मानकर आगे बढ़े। मंसूबे वही सफल होते हैं जिसमें जनता यह समझे कि जो कुछ हो रहा है वह हमारा हो रहा है और जो कुछ कर रहे हैं वे हम ही कर रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि जितना जन सहयोग हमारे प्लान को मिलना चाहिये था उतना जन सहयोग उसको नहीं मिला है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में जन-सहयोग पर काफी जोर भी दिया। मैं समझता हूं कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब कि हमारा प्लान पीपुल्स प्रोग्राम हो। लेकिन जब नीतियों में स्टेबिलिटी नहीं होती, जब समय-समय पर उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, तब किसी भी जनता को इस प्लान को अपनाने या उसके कार्यान्वित करने में सहयोग देने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं एक मिसाल देता हूं। शुरू-शुरू में ब्लाक्स बनाये गये, उनकी प्रायरिटीज मुकर्रर की गई। लेकिन आये दिन उनकी प्रायरिटीज में परिवर्तन होता रहा। मान्यवर, मैं कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में जाकर मैं यह कह आया कि फलां सन् में तुम्हारा ब्लाक खुलेगा, सरकार की नीति में परिवर्तन होने के कारण वह ब्लाक उस स्थान में नहीं खुल पाया। अब मैं कौन सा मुंह ले करके उस क्षेत्र में जाऊं और कहूं कि तुम्हारा ब्लाक अब इस सन् में न खुल कर दूसरे सन् में खुलेगा? प्रत्यक्ष मिसाल यह है कि बहराइच जिले में जो ब्लाक खोलने की सूची तैयार की गई प्लानिंग कमेटी के जरिये से, अगर उसको देखा जाय तो समय-समय पर उसमें कितना बड़ा गड़-बड़ घोटाला किया गया है। कैसे जनता समझ पाये कि यह प्लान हमारा है, जब कि ऊपर के आदेशों से उसकी प्रायरिटीज में बराबर परिवर्तन होता रहा?

यही नहीं एक मोटी मिसाल और भी है। शुरू-शुरू में जो ब्लाक्स खुले उनमें जो कार्य किये गये उनमें पब्लिक कंट्रीब्यूशन आधे-आधे के बेसिस पर किया गया। उसके बाद फिर सरकार की नीति में एक परिवर्तन हुआ, किसी भी कारण हुआ हो, वह यह हुआ कि एक बटे तीन और दो बटे तीन पर अनुदान दिया जायगा। तो इससे यह हुआ कि जो ब्लाक बाद में खोले जा रहे हैं उनको कहने का मौका मिल जाता है कि जो पहले खुले उनको आधे-आधे पर अनुदान दे करके काम कराया और बाद वालों में १ बटे ३ और २ बटे ३ पर अनुदान दिया जाता है।

मंत्री जी ने घोषणा की कि अब हम ब्लाकों का वर्गीकरण करेंगे। सही है, एक काम करने का आधार है, उनमें आपस में प्रतियोगिता की भावना पैदा करनी है ताकि उस भावना से प्रेरित होकर वह आगे बढ़ें। लेकिन मैं अगर इस सम्बन्ध में कहूं कि उनको वे सारी चीजें दखनी हैं कि किस कारण से कौन सा ब्लाक आगे बढ़ पाया और कौन सा नहीं आगे बढ़ पाया अगर मैं यह शिकायत करूं तो कोई अनुचित न होगा जो ब्लाकों में बजट बना-बना करके भेजा गया वह एक प्रकार से प्रोटोटाइप बजट था। कभी-भी खोजबीन नहीं की गई कि किस ब्लाक को किस चीज की आवश्यकता है और जो बजट बना कर भेजे जायं वे उनकी आवश्यकता के अनुसार बना कर भेजे जायं न कि एक सा बजट बनाकर सारे प्रदेश में भेजे दिया जाय।

मैं सरकार का ध्यान एक ब्लाक की तरफ दिलाना चाहता हूं, बहराइच जिले में सिसिया एक ब्लाक है। आज तक वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है और नैपाल की सरहद पर बसा हुआ है, लेकिन उसको भी वही अनुदान मिलता रहा जो अनुदान उन ब्लाकों का था जिनकी तरक्की के साधन उपलब्ध थे। देखना चाहिये कि क्या इसमें परिवर्तन करें जिससे कि यह ब्लाक आगे बढ़ सके। यही नहीं अगर मैं यह कहूं कि अच्छे से अच्छे मनसूबे बनाकर भेजे गये लेकिन नीचे के स्तर

[श्री शिवशरणलाल श्रीवास्तव]

तक पहुंचते-पहुंचते उनका रूप बदल गया। जो नीति सरकार ने यहां पर निर्धारित की और उसके आधार पर जो आदेश जारी हुए नीचे के स्तर पर पहुंचते-पहुंचते उनकी मंशा दूसरी हो जाती है। अच्छे से अच्छे कानून बने, देश के गरीबों की मदद करने के लिये, उनकी उन्नति के लिये, लेकिन उनका असर या फायदा नीचे तक न पहुंच सका।

जहां तक यह बात कही गयी कि काफी धन व्यय हुआ, मैं भी मानता हूं कि काफी धन व्यय हुआ, लेकिन यह भी सही है कि जितना धन व्यय हुआ है उतना लाभ हम जनता को नहीं दे सके। लेकिन इसके यह मानी नहीं हैं कि इस जगह पर हमसे गलतियां हुई हैं तो आगे अनुभव के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जरूर बढ़ सकते हैं, यह हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन जिस प्रकार हम कदम बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार डेमोक्रेटिक प्लानिंग करके देश की हम उन्नति करना चाहते हैं जो तरीका अभी हमारे भाई ने कहा वह टोटेलेटेरियन तरीका हम अख्तियार नहीं कर सकते। हम डेमोक्रेटिक ढंग से चलेंगे तो यह ठीक ही है कि हमारे कदम धीमे होंगे, लेकिन जितना हम आगे बढ़ेंगे सफलतापूर्वक बढ़ेंगे।

*आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, कल से योजना विभाग के अनुदान पर विवाद चल रहा है, उसमें माननीय गेंदासिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। इस वादविवाद के अवसर पर माननीय सदस्यों ने योजना विभाग के मूलभूत जो आदर्श हैं और सिद्धांत हैं, उनके ऊपर भी हमला किया है। यद्यपि सरकार की असफल नीतियों के कारण जनता की आशाओं पर धक्का लगा है, उसके कारण सरकार की आलोचना जनता करती है और विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य भी करते हैं, परन्तु जहां तक उसकी मौलिक जनतांत्रिक और आर्थिक विकास की नीतियों का प्रश्न है उनके सम्बन्ध में हम लोग तहे दिल से समर्थन करते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं कि हिन्दुस्तान के अर्थ तन्त्र और सामाजिक पद्धति का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि योजना के अनुसार यहां की अर्थ व्यवस्था का पुनर्गठन नहीं होता। लेकिन अफसोस यह है कि सरकार ने योजना विभाग को भी दूसरे विभागों की भांति एक विभाग ही मान लिया है। दूसरे विभाग-जो रोटीन की तरह काम करते हैं और पुराने जो उनके तौर तरीके हैं उसी प्रकार अगर योजना विभाग का काम होता है तो यह काम नहीं चला सकता। योजना विभाग पुरानी अर्थ व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये विभाग है और इसका काम है पुरानी सांस्कृतिक और रुढ़िगत भावनाओं के विरुद्ध संघर्ष करके अपना काम आगे बढ़ाना। लेकिन देखा यह गया है कि सरकार और विभागों की भांति इसे भी उसी प्रकार का एक विभाग समझती है जैसे सिंचाई विभाग और पुलिस विभाग हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी योजना के अनुसार अर्थ व्यवस्था का पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया है उन देशों में अभूतपूर्व उन्नति हुई है। अगर मैं यह कहूं तो उचित ही होगा कि योजना के अनुसार अर्थ व्यवस्था को पुनर्गठन करने का सिद्धांत सबसे पहले समाजवादी देशों में अख्तियार किया गया और इसी नीति की वजह से उन समाजवादी देशों ने, विशेष तौर से सोवियट यूनियन ने जो प्रगति पिछले ३५ वर्ष में की है उसने उन मुल्कों की ३००, ४०० वर्ष पुरानी प्रगति को भी पीछे ढकेल दिया है जिन्होंने बिना योजना के एक विश्रंखलित नीति को अख्तियार करके अपनी आर्थिक उन्नति की है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह योजना का ही प्रभाव था कि जो देश ४० वर्ष पहले पिछड़ा हुआ देश था, सोवियत रूस, वह आज योजना अनुगामी अर्थ व्यवस्था का अनुगमन करके इतना विकास कर सका कि धरती से उठने वाला इंसान भी समाजवादी अर्थ व्यवस्था के आदर्शों पर विश्वास करने लगा है। और जो कुछ भी पिछले १२, १३ वर्ष में हिन्दुस्तान में न हो कर भी हो पाया है और हमारे प्रदेश में जो कुछ न होने पर हुआ है वह सब भी योजना अनुगामी अर्थ व्यवस्था का अनुगमन करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही हुआ है। यदि देश और प्रदेश की सरकार योजना की अर्थ तांत्रिक नीति को स्वीकार न करके हफहजर्ड वे में अराजकता के आर्थिक सिद्धांत के अनुसार अपनी अर्थ नीति का पालन करती तो यह देश और प्रदेश और भी ज्यादा पीछे पड़ता और अन्धेरे में चला जाता।

इसलिये मैं यह चाहता हूं कि नियोजन विभाग के जो अधिकारी हैं या योजना विभाग के जो अधिकार हैं उनमें और दूसरे विभागों में काम करने वाले अधिकारियों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है। जब तक यह मौलिक अन्तर नहीं होगा, जब तक योजना विभाग ऐसे व्यक्तियों के हाथों में नहीं आता, चाहे वह विलेज लेविल वर्कर हों, चाहे डेवलपमेंट कमिश्नर हों या योजना विभाग के मंत्री महोदय हों, जब तक उनका पूरे का पूरा दृष्टिकोण नया नहीं होगा और पुरानी आर्थिक भावना के विरुद्ध संघर्ष करके नयी आर्थिक और सामाजिक भावना का प्रदर्शन करने का दृष्टिकोण नहीं होगा, तब तक इस विभाग को सफलतापूर्वक आगे नहीं चलाया जा सकता। लेकिन मैं यह देखता हूं कि किस प्रकार आज योजना विभाग और दूसरे विभागों में एक अनवरत टसिल और अनबन चली आ रही है और जो विलेज वर्कर है या पंचायत राज सेक्रेटरी या दूसरे किसी भी प्रकार के कर्मचारी हैं जिसके हाथ में कोई प्रशासकीय ताकत नहीं है, जो किसी को सजा नहीं दे सकता, केवल लोगों को मना के और उनका इनिशियेटिव जागृत करके किसी प्रकार के रचनात्मक कार्य करा सकता है, उसके प्रति एक उपेक्षा की भावना और मजाक बनाने का दृष्टिकोण दूसरे विभागों में भी है और जो लोग राजनीतिक नेतृत्व करते हैं वे भी ऐसे लोगों का मजाक बना कर अपना राजनीतिक नेतृत्व स्थापित रखना चाहते हैं और पुरानी दकियानूसी मनोवृत्ति जिन लोगों की है वे भी अपनी मनोवृत्ति को संतुष्ट करते हैं। मैं सरकार से स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि योजना विभाग और दूसरे विभागों में एक लगातार टसिल मौजूद है और वह दक्षिण पंथी पार्टियां चाहे वह जनसंघ हो, चाहे स्वतंत्र पार्टी हो और कांग्रेस के अन्दर भी वे दक्षिण पंथी लोग जो समाज को पीछे ढकेलना चाहते हैं और जो समाज की पुरानी रूढ़ियां हैं उनको कायम रखना चाहते हैं वे योजना विभाग की जो गतिविधि है उसको विकसित होते देखना पसन्द नहीं करते।

मैं यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि हिन्दुस्तान में भविष्य में दक्षिण पंथी शक्तियों का प्रभुत्व हो गया तो निश्चित रूप से योजना विभाग ठप्प हो जायगा और उसकी प्रगति आगे नहीं चल सकेगी और जो पुरानी दकियानूसी अफसरशाही है उसी का बोलबाला होगा। और यदि हिन्दुस्तान में समाजवादी शक्तियों का प्रभुत्व होता है तो यह निर्विवाद सत्य है कि योजना विभाग हमारे देश की हर प्रकार की गतिविधि का आधारबिन्दु रहेगा, चाहे वह पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे पी०एस०पी० हो और चाहे कांग्रेस के अन्दर जो प्रगतिशील तत्व हैं, उनका प्रभुत्व हो। आज जो भी असफलता पिछले १०---१२ वर्षों से लगातार हमें देखने को मिलती है वह इसी वजह से है कि योजना विभाग को उचित महत्व नहीं दिया गया है। योजनाओं के कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिये जिस प्रकार के कांसिस्टेंट और समाजवादी दृष्टिकोण की जरूरत है वह दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टी के अन्दर नहीं है और कांग्रेस पार्टी के शासन के ऊपर, उसकी मशीनरी के ऊपर और उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर उन लोगों का बोलबाला है जो राइट विंगर्स हैं, जिनका समाजवाद में विश्वास नहीं है और समाजवाद का प्रोग्राम बना कर चलते हैं। इसी वजह से समाजवाद नाकामयाब होता है और उनकी नाकामयाबी योजना और समाजवाद की भी नाकामयाबी बन जाती है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे पूरे के पूरे आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण ग्रामीण समाज का कायाकल्प तबतक सम्भव नहीं हो सकता जबतक यह सरकार इस बात का विश्वास न कर ले और कमर न कस ले इस बात के लिये कि सहकारी खेती के आधार पर अर्थतन्त्र पुनर्गठन होता रहे। तभी योजना विभाग अपने कार्यों में सफलता हासिल कर सकता है वरना जितनी भी स्कीमें चालू की जाती हैं ये नाकामयाब रहेंगी और इनकी नाकामयाबी के ऊपर हमें उतना अफसोस नहीं होगा, बल्कि हमें अफसोस इस बात पर होगा कि नाकामयाब होंगे ये मिनिस्टर और कांग्रेस की सरकार, लेकिन बदनाम

[आचार्य दीपंकर]

हो जायगी उसके साथ-साथ योजना की प्रणाली और समाजवाद भी। हमें सिर्फ इसी बात का अफसोस है।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ अगर कोई यह समझता हो कि प्लानिंग विभाग का या आर्थिक व्यवस्था का पुनर्गठन बगैर ट्रेनिंग के सफल हो सकता है तो यह उसका समझना ठीक नहीं है। आज जो देश का या प्रदेश का गठन करना चाहते हैं उनके पास एक बहुत बड़ी ऐसे लोगों की आर्मी होनी चाहिये जो नौकरी करने के लिये नौकरी न करते हों बल्कि वेतन लेने के अलावा उनमें प्रेरणा हो कि हमें देश का निर्माण करना है। ऐसे लोगों की जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक योजना विभाग कभी कामयाब नहीं हो सकता है और आपकी योजनायें सफल नहीं हो सकती हैं। मुझे अफसोस है कि प्लानिंग विभाग के मातहत जो राज्य कर्मचारी काम करते हैं उनको प्लानिंग सिस्टम के द्वारा शिक्षित नहीं किया गया है। मिसाल के तौर पर पी०आर० डी० का कार्यकर्त्ता है, कोआपरेटिव का सुपरवाइजर है, कामदार है, पंचायत का सेक्रेटरी है, लेखपाल है या आपके वी० एल० डब्लू हैं, यह सब योग्यता के कार्यकर्त्ता हैं, इनको शिक्षित करके, इनके अधिकारों को बढ़ाकर, इनकी सुविधाओं को बढ़ाकर, इनको नया सामाजिक दृष्टिकोण देकर एक श्रृंखला में पिरोया जा सकता है और ये आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास के लिये उपयोगी हो सकते हैं।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के अलग-अलग महकमे हैं उनके अन्दर कटौती करना या उनके अधिकारों में कमी करना अनुचित होगा। पी० आर० डी० के बारे में कहना चाहता हूं कि यह विभाग कई वर्ष से चला आ रहा है और इसमें युवक संगठन का काम करते हुये, सांस्कृतिक कार्यक्रम का काम करते हुये तथा अन्य कार्य करते हुये देखे गये हैं। उनके प्रति सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। इसी तरह से आपके वी० एल० डब्लू तथा अन्य कर्मचारी हैं, उनको नया दृष्टिकोण देकर हमारे नियोजन विभाग के कार्यकलाप को आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। माननीय गेंदासिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं। यह कहना नितांत भ्रमात्मक है कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें देश प्रदेशों में चलीं उनसे कोई काम नहीं हुआ और जो लोग यह कहते हैं कि यह योजनायें फिजूल रहीं या काम नहीं हुआ, वह देश के प्रति और जनता के प्रति अन्याय करते हैं। इन योजनाओं से बहुत प्रगति हुई है और हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इस बार जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी तो हमारी सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया कि योजना के ढांचे को गांव पंचायत, डेवलपमेन्ट ब्लाक तथा जिला परिषदों से मांगा गया। मुझे जहां इसके लिये सरकार को बधाई देना है, वहां एक निवेदन करना है कि इस काम के लिये समय बहुत कम दिया गया और लोग अपनी राय अधिक नहीं दे सके और मीटिंग भी एक आध ही हो पाई। इसलिये आयन्दा जब ऐसा मौका आये तो काफी पहले से यह काम किया जाय।

कल मंत्री जी ने अपने भाषण में एक बात कही और उसमें हरिजन उद्धार की बात आई। इसमें दो रायें नहीं है कि इस दिशा में सरकार का सराहनीय कार्य रहा है और जो अगली तृतीय पंचवर्षीय योजना है उसमें इसके लिये काफी धन रखा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि महज धन रखने से काम नहीं चल पाता। मैं आपको याद दिलाऊं जिला मेरठ में लोनी ब्लाक में काफी रुपया रखा गया कि उससे हरिजनों का उत्थान किया जायगा, उनके उद्योग धंधों में सहायता दी जायगी। वर्षों तक वह रुपया पड़ा रहा, कुछ भी उसमें से खर्च नहीं किया गया। वहां की बात भी जाने दीजिये। केन्द्रीय सरकार से हमारी प्रदेशीय सरकार को हरिजनोत्थान के लिये रुपया मिला, उसमें से लाखों की धनराशि बच गयी। तो यों हम किसी मद में रुपया रख दें और रख कर महज यह खुश हो जायं कि हम उस दिशा में इतना काम कर रहे हैं, इतना काफी नहीं होगा। मान-

नीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह इधर ध्यान दें और देखें कि जिन मदों में रुपया रखा जाय वह खर्च हो और अच्छी तरह से खर्च हो।

मान्यवर, हमारी योजनाओं का कार्य जिला नियोजन अधिकारियों के ऊपर सर्वाधिक तौर पर रहा है। लेकिन इधर कुछ ऐसा कर दिया गया है कि जिला नियोजन अधिकारी के साथ और काम जोड़ दिये गये हैं। मैं आपको बताऊं, जो जिला परिषदें हैं उनका भी काम उनको देखना पड़ता है, हरिजन कल्याण अधिकारी का काम भी उन्हें देखना पड़ता है। इस से यह होता है कि "एकहि साधे सब सधे सब साधे सब जाय"। जिला नियोजन अधिकारी कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। उदाहरणार्थ, जिले में हरिजन सहायक समिति की मीटिंग हुई। उसने लोगों को जो सहायता दी जाती है वह तय कर दी। चार महीने तक वह सहायता नहीं दी जा सकी। लोगों ने शोर मचाया। मालूम किया तो मालूम हुआ कि चूंकि उनकी सहायता के लिये मंजूरी और चेकों पर दस्तखत नियोजन अधिकारी को करने पड़ते हैं वह दौरे पर गये हुए हैं, इसलिये चार महीने से पड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इधर ध्यान दें कि नियोजन अधिकारियों पर जो और काम लगा रखे हैं यदि वे काम अन्य अधिकारियों से कराये जायं तो ज्यादा उपयुक्त होगा और उसे अपने नियोजन कार्य को पूर्णरूप से करने का समय दिया जाय।

मान्यवर, कृषि उत्पादन की दिशा में बहुत अधिक काम किया गया। लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि जो टार्गेट रखा गया था उससे उत्पादन कम हुआ और यों भी हम देखते हैं, कि कृषि से जितना उत्पादन होना चाहिये उतना नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि किसान कुछ उदासीन है। वह खेतों में ज्यादा पैदा नहीं कर पाता, इस लिये नहीं कि उसमें मेहनत करने की कूवत नहीं रह गई है, इसलिए भी नहीं कि उसे कुछ फायदा नहीं दिखायी पड़ता। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि वह उदासीन है। वह इस लिए उदासीन है कि वह यह समझता है कि उसको पैदावार की जितनी कीमत उसको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। यह बात यहां भी कही गयी और मैं यह समझता हूं कि शायद आज किसान इस बात को समझ गया है कि उसका और अन्य जो धंधे हैं उनका गठबन्धन कुछ ऐसे चतुर लोगों के हाथमें है जो उसको जितना मिलना चाहिये उसको हरण कर लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें चाहे कानून बनाना पड़े, नियम बनाने पड़ें, किसान की उपज मंडियों में जा कर जिस तरह से एक अजीब किस्म से ले ली जाती है उसकी रोकथाम करनी होगी और उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, तब उसमें उत्साह होगा।

दूसरा कारण उसके उदासीन होने का यह है कि जो उसका वक्त फालतू रहता है उसका उपयोग वह नहीं कर पाता और शायद हम लोग या यह सरकार असफल है उन्हें यह बताने में कि वह अपने इस फालतू समय का कैसे उपयोग करें। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि खेतों से जो उद्योग पनपते हैं वह रुई पैदा करता है, रुई का का कारखाना दूसरा लगा लेता है, वह गन्ना पैदा करता है, गुड़, खांड़, राब इत्यादि दूसरे बना लेते हैं और इसी तरह के बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो खेती के ऊपर पनपते हैं। तो मैं यह चाहूंगा कि क्यों न वह उद्योग गांव पंचायतों के द्वारा या किसानों की ऐसी समितियां बनाकर चलाये जायं जिससे किसान का फालतू वक्त भी काम में आये और उसे पैसा भी मिल जाय। और बहुत से ऐसे उद्योग हैं कि जिनके ऊपर रोक लगी हुई होती है, जैसे यदि कोई आदमी नया लोहे का कोई काम शुरू करे तो उसके लिए यह शर्त होती है कि वह कितने दिनों से यह काम कर रहा है। जब कभी वह कोटा बनवाता है तो उसे यह लिखना पड़ता है कि कितने दिनों से यह काम वह कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी यह भी अगर कर सकें तो करें कि जो किसान की उपज से चलने वाले उद्योग हैं उनके लिए भी यह शर्त कर दें कि जो उनको करे वह किसान हो या किसान के सम्पर्क में रहने वाला हो। मैं समझता हूं कि इससे किसान को राहत मिलेगी और किसान के उद्योगों में तथा देश के उद्योगों को बढ़ाने में सहायक होगा। इन शब्दों में इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अधिष्ठाता महोदय, यह ग्यारहवां साल है जबकि प्लानिंग के बजट पर इस हाउस में आज वाद विवाद हो रहा है और जिसके ऊपर कि माननीय गेंदा सिंह ने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है। मैं उनके कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह समझता हूं....

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। मान्यवर, हमारे सदन की प्रक्रिया नियमावली में यह दिया हुआ है कि जिस समय सदन की कार्यवाही चल रही हो उस समय किसी सदस्य को सदन में अखबार आदि नहीं पढ़ना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जो अखबार पढ़ रहे हैं।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मेरे आर्टिकिल का यहां रेफरेंस दिया गया है, वही आर्टिकिल में देख रहा हूं और यह वही अखबार है जिसमें कि वह खबर छपी है।

श्री अधिष्ठाता---यहां की कार्यवाही के सम्बन्ध में पढ़ा जा सकता है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री बलदेवसिंह---जो मान्यवर, यह ११वां साल है प्लानिंग का और प्लानिंग या नियोजन वही सफल माना जा सकता है कि जिससे देश में साधन शक्ति और धन कुछ बढ़ा हो। देश की दौलत अगर कुछ बढ़ी है तो यह माना जायगा कि नियोजन सफल हुआ है और अगर नहीं बढ़ी है तो निश्चित यह माना जायगा कि नियोजन सफल नहीं हुआ है। मैं यह बताना चाहता हूं कि इन ग्यारह सालों में आज उतनी भी आमदनी प्रति व्यक्ति नहीं रह गई जितनी कि सन् ४७ में थी। सन् ४७ में देहात के रहने वालों की पर कैपिटा इनकम १९३ रुपया थी और आज वह १९१ रुपया हो गई। और मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करूं कि शहरों की आमदनी भी अगर जोड़ी जाय तो २५४ रुपये है, उसमें भी कमी हुई है। तो यह कमी होने से इतना तो निश्चित है कि नियोजन को सफलता नहीं मिली है और न यहां की दौलत बढ़ी है। एक बात यह भी मैं बता दूं कि यहां जो सफलता की आशा की जाती है वह भी सम्भावना नहीं है कि यह जल्द से जल्द बढ़ जायगी। उसका मुख्य कारण यह है कि यहां के रहने वालों की, भू-स्वामियों की जहां कुल इनकम औसत १५ रुपया महीना है वहां यह बात जरूर है, कि इस विधि में कुछ सफलता जरूर मिली है कि ग्राम सेवक की कम से कम ११० रुपये महीने पर रखा जाता है। तो ग्राम वालों की आय भले ही न बढ़ी हो लेकिन ग्राम सेवक और ग्राम सेविका की आमदनी जरूर कुछ बढ़ी है, इसमें सफलता सरकार को हो सकती है। इसके अलावा और सफलता सरकार को नहीं हुई। एक आदमी अगर जेल में कैद रखा जाय तो ३४७ रुपये प्रति व्यक्ति खर्च उस पर होता है जेल में, लेकिन गांव में रहने वाले की आमदनी कुल १९१ रुपये है। तो यह नियोजन किसी मानी में सफल नहीं हो सकता है।

मान्यवर, एक बात और बतलाऊं और खासतौर से मैं मन्त्राणी जी को बतलाना चाहता हूं कि इस महकमे में जितने एक्सपर्ट हैं, मैं नहीं समझता कि इनकी जरूरत भी है या नहीं? मिसाल के तौर पर, मान लीजिये कि ब्लाक की बात है। एक ब्लाक में कई अफसर होते हैं। एक बी० डी० ओ० होता है। ८-९ ए०डी० ओज० होते हैं। वह इस प्रकार होते हैं। एक खाद का ए० डी० ओ० होता है, एक एग्रीकलचर का ए० डी० ओ० होता है। एक ए० डी० ओ० (डब्लू) होता है। जितने भी वहां एकस्पर्ट होते हैं वह सब एक एक चीज के अलग-अलग होते हैं? मैं मन्त्राणी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इतने एक्सपर्ट हर जगह नहीं हैं। आप इस बात को मान लें कि किसी को अस्पताल में सूबे, के किसी भी जिले के अस्पताल में जो हमारे डाक्टर या सिविल सर्जन होते हैं उनके किसी भी आफिस में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि कान-नाक आंख और पेट के डाक्टर अलग-अलग हों। वहां पर एक डाक्टर है और वही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सब की दवा करता है । लेकिन इस डेवलेपमेंट विभाग में हर चीज के अलग-अलग एक्सपर्ट हैं । जितने ए० डी० ओ० विभाग में हैं उनकी जितनी इसमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हैं ।

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये) ।

मेरा आपसे निवेदन है कि जिस आदमी को आप ट्रेनिंग दें, उसको ये सारी ट्रेनिंग दें और गांव के आदमी को वे ट्रेनिंग दें । हम किसान हैं और हमको उससे निपटना है । मैं आपको बतलाऊं कि हम यह जानते हैं कि खेत कब बोया जाता है । हम जानते हैं कि पानी आ रहा है तो वह कब देना चाहिये । हम जानते हैं कि कब झोंपड़ी का इन्तजाम करना चाहिये और हमको अपने जानवरों का पालन कैसे करना चाहिये । इस किस्म के बहुधंधी ए०डी० ओ० या ग्रामसेवक या बी० डी० ओ० हों तो अच्छा है, बजाय इसके कि जितना रुपया इस विभाग के लिये दिया जाता है उसका ६० प्रतिशत केवल नौकरों की तनख्वाह पर व्यय हो । उनके भत्ते पर, उनकी रिहायश पर और उनके मकानों पर खर्च हो रहा है । केवल ४० फीसदी रुपया गरीब जनता तक शायद पहुंच पाता हो मुश्किल से । मेरा नम्र निवेदन सरकार से यह है कि इस बात की ओर तवज्जह दें । इतने एक्सपर्ट्स की वहां पर जरूरत नहीं है । जितने वहा पर आदमी हैं वह बहुत ज्यादा हैं । जो ए० डी० ओ० वहां भेजे जायं वह मल्टी-परपज हों । उनको हर एक चीज का ज्ञान हो । खाद कैसे रखा जाता है ? कैसे गोबर रखा जाता है ? कैसे खेत बोया जाता है, इन सारी बातों की ट्रेनिंग उसको होनी चाहिये जिससे वह इन सब चीजों का इन्तजाम वहां पर कर सके ।

मान्यवर, रामेश्वरलाल जी ने कहा कि सरकार धीरे-धीरे उस दिशा की ओर जा रही है । जमींदारी तोड़कर फायदा किया गया है, सीलिंग लगाकर गरीबों की आमदनी को बढ़ाया गया है । वह समझते हैं कि जमींदारी के तोड़ने से लाभ मिलेगा और सीलिंग से भी लोगों को लाभ मिलेगा । अगर हम और वह चुनाव से यहां वापस आयें तो फिर दूसरे साल उनसे पूछा जायगा कि कहां किसको कितना लाभ हुआ है ।

इस चुनाव के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं । मैं मिसाल के तौर पर बतलाऊं कि मैं यह नहीं कहता कि यह जो चुनाव ग्राम पंचायतों के हुये हैं वह बड़े गलत तरीके से हुये हैं। यह बहुत सुन्दर ढंग से हुये हैं । मैं इस बात को मानता हूं कि उसमें ९० फीसदी सही चुनाव हमारे जिले में कम से कम हुये हैं, लेकिन कहीं-कहीं एक आध चीज का फायदा उठाया गया । मिसाल के तौर पर एक गांव सभा है, परसरामपुर, थाना पंचपेड़वा में । वहां पर प्रधान का चुनाव जब हो रहा था तो वहां प्रेसाइडिंग अफसर एक प्रधान से मिले हुये थे । जब उसने देखा कि दोपहर हो रहा है तो उस समय उस बक्से का ताला तोड़कर ४०-५० बैलेट अपनी जेब में रख लिये और जब दूसरे आदमी को शक हुआ तो वह भी वहां पहुंच गया । उसने उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी जेब की तलाशी ली और प्रिसाइडिंग अफसर को उस हालत में बांध लिया और बाहर आये । फिर बाद में उनमें सलाह हुई और यह तय हुआ कि जाने दिया जाय, गलती हो गई । उन प्रधान से विदड्रा कराने की बात तय हो गई ताकि उनका चुनाव निर्विरोध हो जाय । मगर उस आदमी ने उन बैलेट पेपर्स को अपने पास रखा । ८ तारीख की शाम को जब डिप्टी साहब वहां आये । तो उनसे यह कहा गया कि साहब हमको इन्होंने मार कर बांध दिया था और पकड़ लिया था । फिर डिप्टी साहब से यह कहा गया कि यह पर्चा जो लिखाया गया यह जबरदस्ती लिखाया गया है, वाकई ऐसा नहीं हुआ । डिप्टी साहब ने दूसरे दिन उन सारे आदमियों को और उस प्रधान को जो हुआ था गिरफ्तार कर लिया । ५,७ दिन बाद फिर वहां चुनाव कराया गया और वही प्रधान फिर ५०० वोटों से जीता, लेकिन उस गांव के १२ आदमी ३३२ में चालान किये गये हैं कि उन्होंने सरकारी अधिकारी को मारा है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायें और अगर मेरी बात सही हो तो उन को बुलाकर इनाम दें । कहें कि तुम ने अच्छा काम किया है जो उस बेईमान अधिकारी को यह सजा दी । उसे यही बर्ताव मिलना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि यह प्लानिंग विभाग माननीया श्रीमती कृपालानी जी के सुपुर्द किया गया है और उनसे प्रदेश को बहुत बड़ी आशाएं हैं। इसमें अच्छी योजनायें सफल होंगी, सुधार होंगे और इसके लिये सीरियसली कोशिश की जायगी।

नियोजन विभाग १९५२ में हमारे प्रदेश में आरम्भ हुआ और इसके द्वारा देश की समृद्धि को बढ़ाने और देहात की जनता को ऊपर उठाने के लिये ब्लाक स्तर पर कार्य आरम्भ हुआ। धीरे-धीरे हमारा काम बढ़ा और जनता की बहबूदी बढ़ी। साथ ही इसमें काफी संख्या में पढ़े लिखे और ज्यादातर ऊंचे स्तर के उच्च अधिकारी और बी० डी० ओ० बनाये गये, जो हैट, पेंट पहन कर देहातों में गये और उसका असर एक यह हुआ कि देहात के लोगों ने समझा कि यह दूसरी बिरादरी के लोग हैं और उनमें पारस्परिक अपनत्व का संबंध कायम नहीं हो सका। दूसरी बात यह कि जो छोटे-छोटे कार्यकर्त्ता पहले देश सेवा के लिये जेलों में गये थे और जो इन क्षेत्रों में निःस्वार्थ भावना से काम करने वाले थे, उनको विकास क्षेत्रों में न ले कर बाहरी आदमियों को लिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि समाज में जितना विकास तथा उत्थान करना चाहिये था, न कर सके। आवश्यकता इस समय इस बात की है कि जिस प्रकार से कुछ विभागीय अफसरों को पोशाक मुकर्रर की जाती है उसी प्रकार से बी० डी० ओ० की पोशाक भी पायजामा, कुर्ता मुकर्रर कर दी जाय। वे हैट-पेंट पहन के देहात में न जायं। दूसरे जो जीप उनको दी गयी है वह छीन ली जाय और उसके स्थान पर एक घोड़ा या साइकिल या छोटी मोटर साइकिल दी जाय, ताकि वे गांवों में जा कर काम कर सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय तक जितना भी रुपया खर्च हुआ है उसके हिसाब से उसका कितना एचीवमेंट हुआ है, कितना काम हुआ है, इसकी रिपोर्ट अगर हर महीने नहीं तो तीसरे या छठे महीने अवश्य मंगवायी जाय और जितना काम पूरा हुआ दिखाया गया है, उसकी भी जांच होनी चाहिये कि वह हुआ है अथवा नहीं।

इसके अतिरिक्त मैं कुछ और छोटे-मोटे सुझाव आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि प्रत्येक ब्लाक को शासन की प्राथमिक यूनिट मान लिया जाय और दूसरी बात यह है कि ए० डी० एम० प्लानिंग जब से आये हैं तब से प्लानिंग का काम आधा या चौथाई रह गया है। पहले लोग ज्यादा काम करते थे, लेकिन उनके आने के बाद काम और कम हो गया है। उनको हटा दिया जाय और इनका काम चलाने के लिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ही एक असिस्टेन्ट दे दिया जाय जो प्लानिंग का काम सम्हाले और जिला अन्तरिम परिषद् का काम दूसरे साहब करें। दूसरे, एस० डी० एम० का कोई ताल्लुक प्लानिंग से नहीं है और जब कभी उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, कोई तहसीलदार मदद नहीं करता और न कोई एस० डी० एम० ही मदद करता है। अगर इसकी देख-रेख की जिम्मेदारी ए० डी० एम० को दे दी जाय तो यह काम काफी बढ़ सकता है और इससे शासन को पूरी मदद भी मिल सकती है।

तकावी के जो नियम हैं वे जरूर लिबरलाइज कर देने चाहिये। जमानत का सिस्टम बहुत ही खराब और गलत है। उससे गरीब आदमी तो तकावी पा ही नहीं सकता, जो तिकड़म-बाज हैं वे तकावी ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त सप्लाई अफसर जो सीमेंट, लोहा कोयला आदि बांटते हैं, वह देहातों को नहीं दे पाते। इसलिये ब्लाक स्तर पर लोहे, कोयले और सीमेन्ट का कोटा अलग-अलग मुकर्रर होना चाहिये। एक बात मैं और यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक न्याय पंचायत क्षेत्र के अन्दर कुछ न कुछ उद्योग केन्द्र जरूर खोले जायं और यह आदेश दिये जायं कि अगर वे नहीं खोले जा सकेंगे तो उस क्षेत्र के ए० डी० ओ० इन्डस्ट्रीज को हटा दिया जायेगा। हर ब्लाक में कोई न कोई उद्योग जरूर होना चाहिये। मैंने कई जिलों के ब्लाक्स देखे हैं, मुझे वहीं पर उद्योग नाम का कोई काम दिखाई नहीं दिया। मैंने यू० पी० में बीसियों ब्लाक देखे हैं, वहां उद्योग ए० डी० ओ० हैं, मगर वहां उद्योग जैसी कोई चीज नहीं है। मैं यह निवेदन

करूंगा कि सरकार प्रदेश में विकास क्षेत्रों द्वारा जो एचीवमेन्ट्स हुए हैं उनकी जांच कराने के लिये एक कमेटी बिठाये और अगर यह संभव न हो सके तो किसी दूसरे तरीके से उसकी जांच कराये। वहां जो कार्य हों, उनकी जांच जरूर होनी चाहिये।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं और पंचायतों में जो मीटिंग होती हैं उनका कोई एजेन्डा नहीं होता। उनका एजेन्डा होना चाहिये ताकि उस पर अच्छी तरह से विचार हो सके और जो भी निर्णय वहां लिये जायं वह विकास क्षेत्र समिति को भेजे जायं और फिर ब्लाक कमेटी अंतरिम जिला परिषद् के पास भेजे। इससे लोगों की पंचायतों में दिलचस्पी बढ़ेगी और उनका कार्य भी अच्छी तरह होगा।

एक बात मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि जो पैकेज पाइलट स्कीम बहुमुखी रूप में कृषि उन्नति के लिये चल रही है, उसको ध्यान में रखकर अलीगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में चकबन्दी योजना लागू कर दी गई है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार आपने प्रत्येक तहसील में चकबन्दी को लागू किया है उसी प्रकार जो वहां पर ५ ब्लाक्स सघन बनने को बाकी हैं, वे सघन घोषित कर दिये जायं, अगर ऐसा किया जाये तो काम बहुत अच्छी तरह से चल सकता है।

एक बात मैं अपने क्षेत्र में जो श्रमदान कार्य हुए हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में लोगों ने श्रमदान से हाथरस से जलेसर तक १६ मील में से ११ मील लम्बी कंकड़ की सड़क बनाई है। इसमें भारत सेवक समाज, पी० आर० डी० तथा अन्य संस्थाओं ने भी कार्य किया है। श्रमदान से ही एक दूसरी १० मील लम्बी सासनी विजयगढ़ सड़क बनायी गयी है। उसमें से २ मील लम्बी अभी भी कच्ची बनी पड़ी है जिसको पक्का करने के लिये ४० हजार रुपया नियोजन विभाग से १९५९ में ही मंजूर हो गया था, किन्तु दो साल हो गये और अभी तक वह पक्की नहीं हो सकी। उस पर अभी कंकड़ तक नहीं पड़ा है। जो सरकार के ऊपर कार्य छोड़ा गया था, वह अभी वैसी ही पड़ा हुआ है। मेरा निवेदन है कि सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान दे और शीघ्र कार्यवाही करे।

एक सुझाव में यह देना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रदेश में जो डेवलपमेन्ट ब्लाक्स खोल रखे हैं उनमें से वह एक्सपेरीमेन्ट के तौर पर १० ब्लाकों को गैर सरकारी संस्थाओं के सुपुर्द कर दे, वह चाहे कांग्रेस संस्था हो या जो भी संस्था हो, जिसे सरकार मुनासिब समझे। ये कार्य सुपुर्द करे इस प्रकार उनको देकर वह उनके कार्य को देखे।

एक बात मैं पी० आर० डी० का जो विभाग है उसके बारे में कहना चाहता हूं। यह संस्था हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के अवसर पर साम्प्रदायिक शान्ति स्थापन के लिये में स्थापित हुई थी। इस संबंध में मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब मैं जी० ओ० सी० कांग्रेस सेवा दल, उत्तर प्रदेश के पद पर था तब मैंने ३१ डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स और करीब १० हजार स्वयं सेवक सेवा दल की ओर से पी० आर० डी० को दिये थे और उस समय दिये थे जब कि देश में साम्प्रदायिक झगड़े और मार-काट हो रही थी। उस समय शान्ति स्थापना के लिये उसकी स्थापना हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय माननीय स्वर्गीय पंडित पंत जी ने कहा था कि यह संगठन सरकारी संगठन नहीं होगा, बल्कि यह एक नान-आफिशियल संगठन होगा। किन्तु धीरे-धीरे यह पूरा सरकारी विभाग हो गया और इसको पुलिस विभाग के अधीन कर दिया गया। सन् १९५२ में प्रदेशीय शारीरिक सम्बर्द्धन संस्था इसमें विलीन कर दी गयी। पहले साल इसको पी० आर० डी० में मिलाया गया, उसी वर्ष यह प्लानिंग विभाग में विलीन कर दिया गया। इस संस्था ने शारीरिक व्यायाम संबंधी बहुत से काम किये हैं। इस वक्त भी पुलिस की मदद के लिये ३ यूनिट्स आगरा, लखनऊ और बनारस में काम कर रही हैं। इसके बारे में मैं चाहता हूं कि इसकी शक्ल कुछ दूसरी बनाई जाय, वह चाहे यूथ डाइरेक्टोरेट शासन के विभाग के रूप में हो या इसको कोई दूसरा रूप दिया जाय। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि इसके लिये एक अलग डिपार्टमेन्ट

[श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ]

बनाया जाय और "यूथ डायरेक्टोरेट" मुकर्रर किया जाय। जितने भी और यूथ विंग डिपार्टमेन्ट्स में हों वह सब मिलाकर एक कर दिये जायं। पहले ७५ लाख रुपये का अनुदान इस पर खर्च होता था, अब २१ लाख ही होता है। मैं चाहता हूं कि इसका अनुदान एक करोड़ कर दिया जाय, तो सेंट्रल गवर्नमेन्ट भी १ करोड़ रुपया दे देगी। इस प्रकार से आप सारे सूबे में युवकों का एक बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। वैसे तो युवक संगठन की अनेक योजनाएं बन रही हैं, लेकिन छोटे-छोटे बच्चे जो ५–५, ७–७, १०–१२ वर्ष के हैं उनकी मनोवृत्ति बदलने तथा शारीरिक शिक्षा के लिये जिस तरह से कि आर० एस० एस० रोज ट्रेनिंग देता है और अपनी शाखाएं चलाता है, यदि गांव-गांव में, घर-घर में इस तरह के शिक्षा क्लब्स खोले जायं और ट्रेनिंग दी जाय तो हम इस संगठन को एक मजबूत जन संगठन बना सकते हैं। जिस तरह से पी० आर० डी० ने श्रमदान का काम काम किया उसी प्रकार इसे युवक संगठन में काम करना आवश्यक है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पी० आर० डी० का संगठन एक नेशनल मिलीशिया की शक्ल में बदला जाय और पाकिस्तान और चायना के बोर्डर पर, जहां भी जरूरत पड़े, उनको भेजा जाय। उनको इनफेंटरी ट्रेनिंग सिल चुकी है। इस प्रकार जो ट्रेंड होते जायं उनको वहां भेजा जाय। इसे एक ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाय, उनको वहां पर भेज दिया जाय। चाहे ये बोर्डर पर बहुत बड़ा काम न दें, तो भी इनको सेकेंड डिफेंस लाइन बनाने की कोशिश करें। बजाय इसके कि आप इसे घपला संगठन रखें, इसकी एक डेफिनिट शक्ल दीजिये, चाहे तो इसका नाम बदल दीजिये और यूथ डायरेक्टोरेट मुकर्रर कीजिये। गवर्नमेन्ट जो खर्च करेगी, उसके अलावा बाहर से भी मदद मिलेगी। आज पब्लिक में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो सीधे रूरल यूथ को आर्गेनाइज कर सके और मौबिलाइज कर सके। आपके स्कूल हैं, कालेज और यूनिवर्सिटी हैं, सब जगह एन० सी० सी० काम करती है, फौजी शिक्षा के तरीके भी हैं, लेकिन यूथ को मोबिलाइज करने के लिये कोई तरीका नहीं है। आप पी० आर० डी० को उसके लिये इस्तेमाल करें, कोई इससे मिलता-जुलता नाम रखें, उसका विधान तैयार करायें, उसके लिये प्रदेश की एक छोटी सी कमेटी बना दें जो उसका कार्यक्रम और विधान बनावे।

प्लानिंग में जिस तरह से पी० आर० डी० ने काम किया है, वह काम भी बढ़ सकता है। श्रमदान के काम में जहां पी० आर० डी० संगठन मौजूद है, उसकी देख-रेख में, निरीक्षण में श्रमकार्य हो तो वह काम ठीक तरह से और ईमानदारी से होगा।

तो मैंने जो मोटी-मोटी बातें कही हैं और सुझाव के तरीके रखे हैं उनपर आप विचार करके निर्णय को कार्यान्वित कराने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाबू गेंदा सिंह जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, नियोजन-बद्ध विकास के इस माननीय सदन का कोई सदस्य खिलाफ नहीं हो सकता, लेकिन आज हर सदस्य किसी न किसी तरह उसका विरोध कर रहा है। कारण यह है कि इस नियोजन बद्ध विकास के अन्तर्गत हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम घटती चली जा रही है। मान्यवर, इन नियोजन-बद्ध विकास की सूरत यह है कि ५०–५१ में हमारे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की पर-कैपिटा आमदनी २१० रुपया थी और १० वर्ष के नियोजन और विकास के बाद वह घट करके १९१ रह गयी। करोड़ों, अरबों रुपया खर्च करने के बाद जब प्रदेश की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकी तो इस माननीय सदन के सदस्यों को यह संदेह होने लगता है कि यह नियोजन-बद्ध विकास जो हो रहा है, इसकी आवश्यकता है या नहीं और इसके द्वारा कितना विकास कार्य हो रहा है। मान्यवर, यह बात निश्चित है कि १० वर्ष के नियोजन के काल में गरीब ज्यादा गरीब और अमीर ज्यादा अमीर होता चला गया है। इससे इस प्रदेश का हर गरीब नागरिक विक्षुब्ध है। सरकार ने इस ओर कोई कदम नहीं उठाया है।

हमारा प्रदेश खेती का प्रदेश है और इसके विकास के लिये हर योजना में बहुत प्रयास किया दिखाया जाता है। खेती बाड़ी की प्रति एकड़ पैदावार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो सकी, यद्यपि रकबे में बढ़ोत्तरी हुई है। इसका कारण यह है कि हमारे देश व प्रदेश का किसान बहुत रूढ़िवादी है और रूढ़ियों के प्रतिकूल जाने में वह हिचकता है। जब तक उसका रूढ़िवादी खयाल नहीं बदलता तब तक कोई सरकार चाहे जितने अच्छा वैज्ञानिक तरीकों को विकास के काम में अपनाने की कोशिश करे, खेती बाड़ी में ज्यादा तरक्की नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश में किसानों के पास ज्यादातर छोटी होल्डिंग्स हैं। वह इन पर वैज्ञानिक तरीकों को काम में लाने में हिचकते हैं। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल के पास जहां खेती का काम सिखाया जाता है, ४ या ६ या १० एकड़ अच्छी जमीन हो जिस पर फार्म बनाया जाय और एक्सपेरीमेंट बेसिस पर काम किया जाय। वहां आस-पास के काश्तकार आकर देखें, चाहें उससे खर्चा बढ़े परन्तु जो खाद या वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किये जावेंगे उसको देख कर किसान का रूढ़िवादिता का खयाल टूटेगा और वह ज्यादा अच्छे तरीके से उन वैज्ञानिक तरीकों को खेती में अपनाने की कोशिश करेगा।

दूसरे, जिन लोगों के ऊपर खेती के विकास का भार डाला गया है वे शहरों से निकल कर आये हैं। उनको ग्रामीण जीवन का अनुभव नहीं, वह यह भी नहीं जानते हैं कि ज्वार और मक्का की फसल में क्या अन्तर है, किसमें किस समय भुट्टा निकलता है। हमारे क्षेत्र की बात है कि एक ब्लाक के आफिसर खरीफ के एक अभियान में भाषण देने के लिये गये। वहां खेतों में ज्वार खड़ी थी। उन्होंने उसे देख कर कहा कि इस मक्का में अभी तक भुट्टा नहीं निकला है। उनको यह खयाल हुआ कि यह मक्का है। गांव के काश्तकार उनकी इस बुद्धि पर हंस पड़े और कहने लगे कि यह ब्लाक अफसर हमारा उद्धार कैसे कर सकेंगे? ऐसे अफसरों से कोई तरक्की नहीं हो सकती है।

मान्यवर, छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों के लिये तकावी मिलने में जो दिक्कत होती है उसे हर माननीय सदस्य जानता है। वह तकावी मार्च के महीने में दी जाती है। तकावी उसे दी जाती है जो उस रुपये को नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट खरीदने में जमा करदे और अपने घर खाली हाथ लौट जाय। कागज पर ही तकावी बट जाती है, इससे उनको दोहरा लाभ होता है। एक तो स्वीकृत तकावी का रुपया बट जाता है और दूसरी तरफ अल्प बचत योजना का कोटा पूरा हो जाता है। इससे जनता को कितना फायदा होता है, यह देखने और समझने की बात है। काश्तकार को तकावी उसके इस्तेमाल के लिये नहीं मिलती है। जो लोग तकावी ले पाते हैं उसे उस काम में अधिकतर इस्तेमाल नहीं करते जिस काम के लिये ली है। मुझे अपने ब्लाक का ज्ञान है कि सन् ५६ में कुंवें बनाने के लिये २६ आदमियों को तकावी दी गई। मैंने प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि केवल ८ आदमियों ने कुंवे बनाये हैं। बाकी से तकावी धीरे-धीरे करके ५ साल में वापिस कर ली गई है। ५ साल तक रुपया अल्प बचत योजना में जमा करके या पोस्ट आफिस में जमा करके या अधिक ब्याज वसूल कर के तकावी वापिस कर दी गई। देखना तो यह चाहिये कि किस इलाके में, किस चीज की जरूरत है और उसी के लिये वहां तकावी देनी चाहिये। हो यह रहा है कि जहां नहरें अधिक हैं, वहीं कुंवों के लिये तकावी दी जा रही है और जहां कोआपरेटिव के या प्राइवेट ट्यूबवेल बने हैं वहीं पर सरकार भी ट्यूबवेल बनाती है। यानी एक जगह बहुत ज्यादा और दूसरी जगह नहीं के बराबर होता है। कहीं तो एक पंचायत में २ स्कूल और कहीं एक भी नहीं होता है। यह सब सरकारी दल के साहबान अपना असर इस्तेमाल करके करा लेते हैं।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम इसलिये कम हो रही है कि हमारी आबादी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। तो क्या हमारे ही सूबे की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, दूसरे प्रदेशों की नहीं बढ़ रही है? उन प्रदेशों की पर कैपिटा आमदनी बढ़ी है, और हमारे सूबे की गिरी है। इससे मालूम होता है कि इस नियोजन

[श्री होरीलाल यादव]

की पद्धति में, इसे बनाने के तरीके में, इसे चलाने के तरीकों में कहीं अवश्य गलती है और इस पर सरकार को विचार करना पड़ेगा।

जैसा अभी वशिष्ठ जी ने कहा, प्रान्तीय रक्षा दल का महकमा लावारिस-सा हो गया है कहावत है कि ऐसा लाओ नर, जो हो पीर, बाबर्ची, भिश्ती और खर। जो सब काम करले। यही हालत इस दल की हो रही है। इस बिभाग के लोगों को कभी प्लानिंग में लगा दिया जाता है, कभी सफाई में और कभी सरकारी पक्ष के लिये वोट इकट्ठा करने में लगा दिया जाता है, इन लोगों का कोई निश्चित भविष्य नहीं है। सरकार को निश्चित कर लेने की आवश्यकता है कि यह महकमा रहेगा या टूटेगा, पुलिस के अधीन कर दिया जायगा, फौज के अधीन कर दिया जायगा या ब्लाकों में इसे रखा जायगा, जिससे लोगों में निराशा न रहे और उत्साह पूर्वक और ज्यादा लगन के साथ वे काम कर सकें। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी पी० आर० डी० के बारे में सरकारी नीति अवश्य स्पष्ट करने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप का समय समाप्त।

श्रीमती बृजरानी मिश्र (जिला कानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस नियोजन अनुदान के समर्थन करने के लिये और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह अनुदान पेश है, इसके संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि योजना बनाकर कार्य करना एक अच्छी बात है। किसी काम के करने में जब तक ठीक ढंग नहीं अपनाये जायंगे, तब तक वह काम सुचारु रूप से नहीं हो सकेगा। आज इस बात पर विचार करना बड़ा आवश्यक है। यहां पर बहुत से भाइयों ने बहुत सी आलोचनाएं भी की जिनमें मैं नहीं पड़ना चाहती। मैं अपने कुछ थोड़े से विचार ही मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूं। आजकल सरकार कृषि पर बहुत जोर दे रही है। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां बहुत-सी जमीन ऊसर और बंजर पड़ी हुई है जिसे खेती योग्य बनाकर किसान और मजदूरों को दिया जा सकता है और वे उसमें अधिक अन्न उपजा सकते हैं। साथ ही उन किसान मजदूरों को सहूलियतें भी दी जायं ताकि वह ऊसर और बंजर जमीन को उपजाऊ बनाकर अधिक अन्न उपजा सकें। किसानों को जो तकावी देने का सिस्टम है उसमें कितनी कठिनाइयां हैं, यह सभी माननीय सदस्य जानते हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये नियमों में कुछ परिवर्तन करने चाहिये। बैलों के लिये समय पर तकावी मिलनी चाहिये। जिन लोगों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है उन्हीं को यह ऊसर बंजर जमीन दी जाय जोकि अपने हाथ से खेती करें। वह उसमें ज्यादा मेहनत कर सकेंगे और सहूलियत मिलने पर वह ज्यादा अन्न उपजा सकेंगे।

तकावी के साथ अच्छे बीज और पानी की भी सुविधा मिलनी चाहिये। जहां यह जमीनें हैं वहां आवश्यकतानुसार छोटे छोटे कुवों के लिये भी तकावी और सहायता दी जाय। सहायता तो शायद ज्यादा न मिल सके लेकिन तकावी जरूर दी जाय। आज तकावी में जो बीज बांटने का तरीका है उसमें वह तीन जगह से बांटा जाता है, एक तो सहकारी समिति से, दूसरे कृषि फार्मों से और तीसरे तहसीलदारों के यहां से भी। तो मेरा सुझाव यह है कि अगर यह बीज एक ही जगह से बांटा जाय तो किसानों को ज्यादा सुविधा होगी। क्योंकि किसानों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, वह सभी जगह फार्म भर कर दे देते हैं और लेते एक ही जगह से हैं। उनको पहले से यह मालूम नहीं रहता कि कहां से मिल सकेगा इसलिये सभी जगह भरकर दे देते हैं। तो एक जगह से उन्होंने ले लिया लेकिन दूसरी जगहों पर भी उनके भरे हुए फार्म पड़े रहते हैं जिससे कभी कभी उन पर बिना बीज लिये ही तकाजे होने लगते हैं, कुर्कियां तक हो जाती हैं। मैं अपनी तहसील की हालत बताती हूं कि वहां के लोग परेशान हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि एक ही जगह से तकावी की सुविधायें

मिलें। ऊसर बंजर जमीन के संबंध में जैसा मैंने कहा कानपुर, उन्नाव और लखनऊ में काफी इस तरह की जमीनें पड़ी हुई हैं। भूमिहीन किसान मजदूरों को वह जमीन देने से काफी लाभ हो सकता है। हमारे जिले में कई तहसीलों में काफी जमीनों में रेह हो रही है। रेहुआ हो रहा है जिस जमीन में, उस जमीन को भी देखा जाय कि रेह किस तरह से खत्म किया जा सकता है और जमीन कैसे उपजाऊ की जा सकती है। हमारे माननीय बाबा राघवदास जी थे। उन्होंने पैदल यात्रा की थी और उसे देखा था। उन्होंने गवर्नमेन्ट के पास सूचना भेजी या नहीं यह मुझे ठीक याद नहीं है। अगर उस जमीन को रेह से बचाया जाय तो काफी लाभ हो सकता है।

कल हमारे एक भाई ने कहा कि आज के नियोजन से तो पहले अंग्रेजों के जमाने में ज्यादा तरक्की थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सन् १९२९ से तो मैं देखती हूं, इससे पहले की बात तो याद नहीं आती। उनका यह कहना कि अंग्रेजी जमाने में निर्माण के संबंध में ज्यादा तरक्की थी और आज के जमाने में उतनी नहीं है, उचित नहीं मालूम होता। यह एक गलत धारणा है।

मैं एक-दो सुझाव और देना चाहती हूं। हमारे ब्लाकों के अन्तर्गत जो ए० डी० ओ० हैं उनकी संख्या ज्यादा है हालांकि जरूरी हैं अपनी जगह पर और जो ग्राम सेवक हैं उनकी संख्या कम है। एग्रीकल्चर का ए० डी० ओ० आया तो उसने अपना काम सौंपा ग्राम सेवक को, समाज शिक्षा का आया तो उसने भी अपना काम उसी को सौंपा यानी सारे ए० डी० ओज० एक ही ग्राम सेवक को सब काम सौंप देते हैं। वह बेचारा कितना काम करेगा? एक इंसान जितना काम कर सकता है उतना ही तो करेगा। इधर भी हमें थोड़ा बिचार करना चाहिये। चाहे ए० डी० ओ० कम कर दिये जायं लेकिन ग्राम सेवकों की संख्या बढ़ानी चाहिये।

जिले के हेडक्वार्टर पर जो मीटिंग हुआ करती हैं ब्लाक्स के बी० डी० ओज० की, अगर ब्लाक के हेडक्वार्टर पर ही हमारे डी० पी० ओ० साहब मीटिंग करें और कमिश्नरी के डिप्टी कमिश्नर साहब अगर जिले के हेड क्वार्टर पर मीटिंग करें और ज्यादा से ज्यादा ब्लाकों को देखें तो शायद ज्यादा लाभ होगा।

हम ऐसा नहीं मानते कि काम नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है। आज जो हमारे गांवों के रहने वाले लोग हैं उनकी मानसिक तरक्की तो हुई है। गांवों में काम भी हुआ है। कुएं भी बने हैं, कुछ सड़कें भी बनी हैं, मकान भी बने हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। सब के मकान पक्के नहीं बने, सब आराम में नहीं हैं, लेकिन फिर भी काम तो हुआ ही है।

लोग चाहते हैं कि तरक्की हो लेकिन सहयोग की थोड़ी कमी है। लोग समझते हैं कि सरकार का काम है, ब्लाक के लोग तनख्वाह पाते हैं उनका काम है कि वे काम करें। तो हमें और आपको सभी को सहयोग से कार्य करना है।

श्री उपाध्यक्ष—समय समाप्त।

***श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मुझे एक कहानी याद आ गई इस प्लानिंग के संबंध में। हमारे क्षेत्र में एक जमींदार साहब थे। उनका एक खिदमतगार था। वह अपनी ससुराल जाने लगे तो तो खिदमतगार को भी साथ ले लिया। वह ससुराल पहुंचे, गर्मी के दिन थे, दरवाजे पर चारपाई डाली गई, पानी वगैरह खूब छिड़का गया, रात भर सोये, सुबह जब साली जगाने आई तो उस खिदमतगार को बहुत बड़ा आनन्द आया उसने कहा कि इसमें तो कुछ खर्चा है ही नहीं, मैं भी अपनी ससुराल जाऊंगा तो ऐसे ही करूंगा। पांच छः महीने बाद जब दिसम्बर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

का महीना आया तब वह भी अपनी ससुराल गया। पहले से तय था, सब उसी तरीके से हुआ और सबेरे जब उसकी साली जगाने आयी तो वह पहले ही खुदा के घर पहुंच चुके थे। आज यही हाल हमारी सरकार का भी है। कहीं वह अमरीका की नकल करती है और कहीं रूस की, लेकिन फसल के हेरफेर में इस सरकार का भी दम न निकल जाय। इसे देश की परिस्थिति का भी ख्याल रखना चाहिये और तब कोई कदम उठाना चाहिये। कल से इस प्लानिंग के मसले पर वाद विवाद हो रहा है। बहुत से लोगों ने सुझाव दिये। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि देश में आज तीन समस्यायें हैं रोजी, रोटी और शिक्षा। इनके हल हो जाने पर सारी समस्यायें अपने आप हल हो जायेंगी। शिक्षा से देश में बुद्धिमानी आयेगी शान्ति व्यवस्था भी होगी और विज्ञान का काम भी बढ़ेगा। रोजी से जीवन चलेगा। लेकिन जब से हमारी सरकार आयी और प्लानिंग का काम शुरू किया तब से यह तीनों चीजें गिरती ही गयीं। चाहे मुख्य मंत्री संपूर्णानन्द जी रहे हों या गुप्ता जी हैं, कुर्सियों पर व्यक्ति तो बदले लेकिन नीति नहीं बदली। हम तो पंत जी के जमाने से देखते चले आ रहे हैं इन तीनों चीजों में अवनति ही होती गयी है।

अब मैं थोड़े से आंकड़े बताता हूं। सन् १९५१–५२ में अन्न की पैदावार ११२.३ लाख टन थी और आबादी ६ करोड़ ३२ लाख थी और प्रति आदमी के पीछे ३९८ पौंड अन्न पड़ता था। अब यद्यपि उत्पादन १३० लाख टन है लेकिन एक आदमी के पीछे ३९२ पौंड अन्न पड़ता है। आबादी ७ करोड़ ४३ लाख हो गयी है। हमारे मंत्रीगण कहते हैं कि हम शिक्षा में उन्नति कर रहे हैं और सभी बातों में प्रगति कर रहे हैं लेकिन जन-संख्या बढ़ रही है, कहां तक हम तरक्की करें। जरा होश में तो आइये। इंग्लैंड की मिसाल लीजिये। ३ सौ साल के अन्दर कितनी आबादी बढ़ी। जापान को देखिये, जर्मनी को देखिये, फिर रंगीन लोगों और गोरे लोगों की आबादी देखिये। मुझे ठीक याद नहीं है लेकिन सन् १९१० में जब कि १० करोड़ गोरे लोग थे तो ९० करोड़ रंगीन लोग थे। लेकिन अब ३ अरब की आबादी है, २ अरब रंगीन और १ अरब गोरे, १ और २ का फर्क हो गया है। आप कहते हैं कि आपकी जन संख्या बढ़ गयी है। वहां ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती गयी त्यों-त्यों उत्पादन बढ़ता गया, उद्योग धंधे बढ़ते गये लेकिन अपने यहां आबादी बढ़ती चलती है उत्पादन घटता चलता है।

इसके अलावा, मैं आपको स्मरण कराता हूं कि ५०, ६० लाख आदमी मरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपने उसके लिये क्या इंतिजाम किया। अभी चेचक के सम्बन्ध में मैंने जब सवाल किया था, बताया गया था कि हजारों आदमी बीमार हुये लेकिन कितनी मौतें हुईं आपके पास शायद इसका उत्तर जिले से आया होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब लोग चेचक का टीका लगाने आये तो लोग उनको मारने दौड़े क्योंकि वह गलालंगोट और चूड़ीदार पैजामा पहने हुये थे। न उनकी भाषा जनता की भाषा थी, न उनका वेश, न उनका व्यवहार सब दूसरे ढंग का था। इसलिये लोग जब चेचक का टीका लगाने के लिये आये तो उन्हें मारने के लिये दौड़े। जिस तरह से रावण वेश रख कर सीता जी को छलने के लिये आया था उसी तरह से ये लोग भी गलालंगोट और चूड़ीदार पैजामा पहने जनता को छलने के लिये आये थे।

श्री उपाध्यक्ष––क्या चूड़ीदार पैजामा पहनना कोई वेश बदलकर लोगों को छलना है ? (हंसी)

श्री जंगबहादुर वर्मा––इसी तरह से बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० भी जनता की वेशभूषा में नहीं आते हैं, वही गला लंगोट और चूड़ीदार पायजामें में आते हैं।

अगर आपको अन्न की समस्या को हल करना है तो अन्न सेना में लोगों की भर्ती कीजिये। ऊसर बढ़ रहा है, जंगल की क्या दशा हो रही है, धरती भूड़ हो रही है, भूमि सैलाब में आ रही है, जहां एक ओर आपने नयी जमीन तोड़ी है, वहां बहुत सी जमीन ऊसर होती जा रही है: इसके अलावा पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, कटाव से जमीन गिर रही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९४८ हजार आदमी बेकार थे जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८६६ लाख आदमी बेकार हो गये हैं । क्या इस बेकारी के बढ़ने को आप तरक्की कहते हैं ?

शिक्षा के संबंध में ६ बरस से ११ बरस तक के अनपढ़ विद्यार्थी करीब ५६ लाख थे लेकिन इस समय करीब-करीब ६० लाख अनपढ़ हैं। यह आपकी तरक्की शिक्षा के संबंध में है ? इसलिये जब तक आपकी योजनायें इसी प्रकार से चलती रहेंगी आपका काम बद से बदतर होता जायगा ।

आप इसकी इंक्वायरी करायें । प्लानिंग के अब केवल तीन ही काम रह गये हैं—१. नक्शा, २. मीटिंग, ३. सलाम । इसके अलावा और कोई काम नहीं है । जब पैसा बचता है तो किसान मेला लगाते हैं । रामनगर, हरदोई, कानपुर और अन्य अनेक स्थानों पर किसान—मेले लगे । उन मेलों में अधिकतर सत्तारूढ़ दल के लोगों को ही बुलाया गया, अन्य विरोधी पार्टियों के लोगों को नहीं बुलाया गया । इन कमेटियों में सत्तारूढ़ दल के लोग ही भरे पड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्त्ता भरे हुए हैं । दोनों मिल कर पैसा खाते हैं ।

आप चीन की मिसाल देखिये । ६७ प्रतिशत आदमियों को पाखाने का खाद मिला । लेकिन माननीय मंत्राणी जी के राज्य में गांव की औरतों के लिये कोई पाखाने का भी इन्तजाम नहीं है । उनको ६-६ बार आदमियों के आने जाने से पाखाने के बीच उठना पड़ता है । वे कहती तो हैं कि हम गांवों में गये हैं लेकिन अगर वे गांवों में गयी होतीं तो उन्होंने औरतों के लिये यह सुविधा तो की होती । यहां उत्तर प्रदेश में तो हमेशा से राजे महाराजाओं के लिये ही किया जाता है । सब कायदे कानून उन्हीं के लिये बनाये जाते हैं । कई बार सोशलिस्ट पार्टी ने कहा है कि औरतों के लिये वर्धानुमा पाखाने बनाये जायं लेकिन मंत्राणी जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

*श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—उपाध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे एक साथी ने बताया कि प्लानिंग विभाग के तीन मुख्य काम ही रह गये हैं—नक्शा, मीटिंग और सलाम । वास्तव में आज प्लानिंग का केवल यह कार्य रह गया है कि मौजूदा राज्यपार्टी के नेताओं की मीटिंग्स करायें और उनका स्वागत करें ।

हम लोगों को एक नयी आशा हुई थी, जब नये मुख्य मंत्री जी ने इस प्रान्त का कार्यभार संभाला क्योंकि वे एक कुशल, कर्मठ कार्यकर्त्ता रह चुके हैं, जिनका संपर्क वास्तव में कार्यकर्त्ताओं से रहा है । माननीय मुख्य मंत्री आसन पर आये और नियोजन का कार्य ऐसी मंत्राणी को मिला, जिनका सम्बन्ध वास्तव में रचनात्मक कार्यक्रम करने वाले परिवार से है जो गांधीवाद के बताये हुए मार्ग पर आज भी मार्ग प्रदर्शन करने वाला है । तो हमें आशा हुई थी कि रास्ता कुछ अवश्य बदला जायेगा । मगर दुख है ६ महीने हो गये, द्वितीय योजना समाप्त हो गई, तृतीय योजना जो बनी है उसको देखने से यही मालूम पड़ता है कि जिस रफ्तार से हमारी दो योजनायें चलीं वही रफ्तार बेढंगी फिर भी आगे चलने वाली है । आज दो योजनायें समाप्त हो जाने के बाद हमारे प्रान्त की क्या दशा है ? सबसे मुख्य चीज रोटी, कपड़ा और आमदनी है । हमारी पर-कैपिटा इनकम घट गई, देहात में अनेक कष्टदायक चीजें बढ़ गईं । मैं अपने मुख्य मंत्री जी का ध्यान, जिनका सम्बन्ध इस विभाग से है, इस ओर दिलाना चाहता हूं । पिछली दो योजनाओं के बाद जो कहा जाता था कि गरीबी दूर होगी वास्तव में शहर और देहात में इतना बड़ा अन्तर हो गया है कि शहर का नागरिक जो देहात से वास्ता नहीं रखता है, उसका जीवन स्तर, रहन-सहन देहात से बिल्कुल भिन्न हो गया है । उसके लिये देहात वैसे ही है जैसे एक अमरीकन या इंग्लिशमैन के लिये कांगो या साउथ अफ्रीका का देश हो । यहां का शहर वाला अगर देहात में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह]

छोड़ दिया जाय तो उसको दैनिक चर्या ही समझ में न आवेगी कि देहात में किस प्रकार से रहें।

अफसोस है कि आचार्य दीपंकर यहां नहीं हैं, उन्होंने बताया कि योजनायें सब समाजवाद की ओर जा रही हैं और कुछ ऐसी पार्टियां हैं, जैसे उन्होंने स्वतंत्र पार्टी का नाम लिया, जो दकियानूसी पार्टियां हैं, जो रास्ते में अड़चन डाल रही हैं, जो वास्तविक प्रगति है उससे अलग ले जाना चाहती हैं और इनसे सावधान रहना चाहिये। खैर मुझे उससे इतना दुख नहीं है। मगर जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह भी समाजवाद के बहुत दिग्गज स्तम्भ हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा आज दकियानूसी कौन है इस पर सदन जरा विचार करे। दकियानूसी शब्द महज कहने से नहीं होता। आज प्रगितशील देश, जिसको वास्तव में प्रगतिशील कहा जा सकता है, मैं इसको प्रगतिशील नहीं मानता जो हमारे समाजवादी भाई कहते हैं, टांग ऊपर करके चलें और सर नीचे करके चलें, मगर वास्तव में जो देश प्रगति की ओर जा रहे हैं, जैसे वेस्टर्न जर्मनी वहां सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है जिन्होंने सारे कष्ट सह कर, हमारे संसार की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके नई पार्टी बनायी और जिसका सम्बन्ध हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी है, जो उसकी एक एफीलियेटेड पार्टी कही जा सकती है। अगर उसके सिद्धान्त और हमारी पार्टी के सिद्धान्त, यानी स्वतंत्र पार्टी के सिद्धान्त, मिलाये जायं तो मैं दावे से कह सकता हूं किसी समाजवादी पार्टी से कहीं भिन्न हैं और हमारी पार्टी से ज्यादा मिलते हैं। उसके अन्दर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मुख्य स्थान है, निजी सम्पत्ति रखने का मुख्य स्थान है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है। जिसका हमारे मौजूदा समाजवादियों के अन्दर नाम निशान नहीं रहा है। इसलिये दकियानूसी कह कर हम अपने मन में भले ही संतोष कर लें। मगर जिस तरह से हमारे देहात बनाये जा रहे हैं, समाज के नाम पर, जिस तरह से देहात में सीलिंग करने के बाद कोआपरेटिव फार्मिंग लाने के बाद सारी अभिलाषाएं देहात की जो थीं उन पर पानी फेर दिया, आज ५० रुपया माहवार पर देहात के आदमी की आमदनी समाप्त कर दी गई, कोई देहात का नागरिक खेती करके ६० रुपया महीना ता-कयामत नहीं कमा सकता है। अगर यही योजना है तो मुबारक हो उनको जो इसे योजना कहते हैं और उसके समर्थक हैं।

मैं तो वह शब्द दोहराऊंगा जो पार्लियामेंट के अन्दर हमारे एक श्रद्धेय नेता कृपलानी जी ने, जिनको समाजवादी पार्टी नेता माने हुई थी, कहे थे। उन्होंने जब प्लानिंग के ऊपर बहस हो, रही थी तो अशोक मेहता जी के भाषण के बारे में कहा "My friend is more loyal to the throne than the king himself." तो मेरा कहना यह है कि जो हमारी योजनायें हैं वे असली दिशा में नहीं जा रही हैं। मुझे यह कहना है कि ये सारी योजनायें असफल हैं जब तक गांधी वाद के रास्ते पर चलकर जिसका मार्ग प्रदर्शन हमारी स्वतंत्र पार्टी कर रही है गांव को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं की जायेगी जब तक गांववासियों की अभिलाषा पूरी नहीं होगी और उसकी मनोकामना को पूरा करने के लिये अवसर नहीं मिल सकेगा कि वह भी, शहरी भाई जैसा जीवन व्यतीत करता है, वैसा जीवन व्यतीत कर सकता है।

आज बड़ी लम्बी चौड़ी बातें की जाती हैं। स्टेटमेंट दिये जाते हैं कि हम देहात की उन्नति करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिये। लेकिन मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मनकापुर जैसे देहात में आज बिजली का रेट २७ नया पैसा इंडस्ट्रीज के लिये है और ५ नया पैसा, ४ नया पैसा शहरों में इंडस्ट्रीज के लिये है। मैं बिरला जी की बात नहीं कहता जिनके इशारे पर गवर्नमेंट चलती है। उनको तो २ या ३ नया पैसा बिजली पर यूनिट रिहन्द डैम से दी गयी है। तो इस स्थिति में हम देहात के रहने वाले किस तरह से देहात में छोटे-मोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। खेती में सीमा करके उसमें उन्नति हम कर ही नहीं सकते। तो इस योजना के अन्तर्गत हम किस प्रकार उन्नति कर सकते हैं? काटेज इंडस्ट्री को तरक्की दी जायगी और छोटे मोटे कल पुर्जे देहातों में तैयार किये जायंगे इसका तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम प्रचार कर रहे हैं लेकिन यह सब धोखे की टट्टी है। न हम उन्नति कर सकते हैं इससे, न उठ सकते हैं। यह जो रोशनी देहातों को दी जा रही है यह तो जलाने के लिये दी जा रही है।

यह जो मौजूदा सेटअप है प्लानिंग का इसने देहातों में एक दलालों की टोली पैदा कर दी है। जमींदारी खत्म हो गयी, तो उसका स्थान बी० डी० ओ० साहब ने ले लिया। पहले जो अधिकारी जाते थे वे अधिकार दिखाने की कोशिश करते थे लेकिन मौजूदा सेटअप ने ब्लाक लेविल पर उन जमींदारों का स्थान ले लिया है ताकि रोब भी कायम रहे। मोटर की सवारी क्या है कि देहात के नागरिकों का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि जब तक उनमें सेवा भावना नहीं आती है, जब तक वहां के आदमियों से उनका मिलना जुलना बराबरी के तौर पर नहीं होता है, वे उनके सम्पर्क में नहीं आते हैं तब तक ब्लाक लेविल पर जो यह विभाग खुला है इससे कोई हित देहाती जनता का होने वाला नहीं है। सिवा इसके कि कुछ बीच के दलाल पैदा हो गये हैं जिनको ग्रान्ट व सबसिडी के तौर पर दरबारगीरी करने पर रुपया मिलता है और जो गांव के साधारण नागरिक हैं या साधारण गांववासी हैं, वे कल्पना तक नहीं कर सकते उसको पाने की।

यह देहात के लिये अभी संतोष की बात है कि कोई भी पतन वहां हुआ हो, लेकिन नैतिक पतन नहीं हुआ है, हमें इसका गर्व है। एक चीज बड़ी खतरनाक हो रही है। हमारे यहां स्त्रियों का प्रवेश इसके अन्दर हो रहा है। इसका मैं विरोध करूंगा। बहुत सी औरतें ए० डी० ओ० और बी० डी० ओ० हो गयी हैं इसे मैं मुनासिब नहीं समझता। हमारा देश तथा समाज अभी इसे अपनाने को तैयार नहीं है। इसके कारण नाना प्रकार के कष्ट हो रहे हैं। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको अपमानित होना पड़ा है, जिनके सम्मान को धक्का पहुंचा है इससे समाज का नैतिक पतन हुआ है। लिहाजा सरकार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के पहले इस पर गंभीरता पूर्वक सोचे। मैं यह नहीं कहता कि स्त्रियों को स्थान नहीं मिलना चाहिये। उनको ऊंचे से ऊंचे स्थान मिलना चाहिये। मंत्राणी जी स्त्री हो कर यह पद ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन यह जरूर सोचना है कि उनके सम्मान को ठेस न पहुंचे, उनकी बदनामी न होने पाये। इस चीज को संभालना है क्योंकि यह नाजुक मामला है। इस बात पर और ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस बात को गम्भीरतापूर्वक सोचे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि ब्लाक डेलवपमेंट में जो चेयरमैन का एलेक्शन है उसमें बड़ी धांधलियां हुआ करती हैं, इसको मन्त्री महोदय अच्छी तरह से समझ लें और कोई उचित तरीका निकालें। सिर्फ बी० डी० ओ० के ऊपर छोड़ देना कि वह चुनाव करा दे इसमें बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। मैं आशा करता हूं कि नये प्रमुखों का चुनाव सावधानी से कराया जायगा।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस विकास के विषय पर मुझे बोलने का समय दिया। मैंने इधर और उधर के माननीय सदस्यों के विचारों को जो इस सदन में पेश हुये, सुना है। मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हम इस देश में विकास के सोतों को बहाना चाहते हैं, इसमें दो रायें नहीं हैं। हमारी सरकार की ओर से और जनता के सहयोग से हमने इस दिशा में कदम उठाये हैं, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है और हमने सफलतायें भी प्राप्त की हैं। परन्तु यह सही है कि जितनी सफलतायें हमारे प्रदेश को हासिल करनी चाहिये थी उतनी सफलतायें हमने प्राप्त नहीं कीं। उसका क्या कारण है, यह हमें अवश्य ढूंढ़ना है। हमें दिमाग और आंखें बन्द करके नहीं चलना है। अगर हमें असफलतायें हुई हैं तो हमें अवश्य उन कारणों को ढूंढ़ना है। मेन और मैटीरियल, इन दो चीजों की हर कार्य के करने के लिये आवश्यकता हुआ करती है। हमारे साधन और मनुष्य किस प्रकार के हैं, उस मनुष्य के अन्दर वह पोटेन्शियलिटी डेवलपमेंट की है या नहीं। जिनके द्वारा वह समाज को आगे ले जा सकता है, यह हमें देखना है। हमने देखा कि हमारे देश में रा-मैटीरियल्स की भी कमी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की योजनायें हमने बनायी है और जिन स्थानों पर हम उन योजनाओं को केन्द्रित कर रहे हैं उससे पता चलता है कि बहुत सी जगह हमें रा मैटीरियल्स उपलब्ध

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

नहीं हैं । जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज विभाग की ओर से वह चाहते हैं कि आज कॉटेज इंडस्ट्रीज हमारे पहाड़ों में चले, देहातों में चरखे से कताई हो । लेकिन अगर आप समझ से काम लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश पनपे तो बुद्धि से काम अवश्य लिया जाना चाहिये । क्या आप समझते हैं कि पहाड़ों की कन्दराओं में कपास पैदा होता है ? और अगर आप उन पहाड़ों की कन्दराओं में इजिप्ट, आस्ट्रेलिया, अमरीका या हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से कपास भेजेंगे तो क्या आप समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा उसको देखते हुए जो माल बन कर तैयार होगा वह कम्पटीटिव रेट्स पर बाजार में बिक सकेगा ? यह तो एक मामूली सी बात है जो हर आदमी समझ सकता है । हमारे देश में ऐबनार्मल ब्रेन्स अधिक हैं, पढ़े लिखे लोगों के जो दिमाग हैं वे ऐबनार्मल हैं, नार्मल बहुत कम हैं । अगर हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको मामूली कामनसेन्स से काम लेना चाहिये । हमें बड़े-बड़े साइन्टिस्टों की जरूरत साइन्स के इन्वेन्शन के लिये है, स्कीम बनाने के लिये हमें साइन्टिस्टों की जरूरत नहीं है, उनकी सलाह की जरूरत है । अगर साइन्टिस्ट्स और साहित्यकार उन स्कीम्स को बनायेंगे तो उनका असफल होना अनिवार्य है क्योंकि—

"The common problem yours' mine, everyone's is not to fancy what were fair in life, provided it could be, but first finding what may be, then find how to make it fair up to your means—a very different thing. No abstract intellectual plan of life quite irrespective of life's plainest laws, but a man who is man and nothing more, may lead within this world."

संसार को चलाने के लिये उस इंसान की जरूरत है जिसने केवल अपने को किताब तक ही महदूद नहीं रखा है, जिसमें इस विद्या के भेद को ही जानने का विचार नहीं किया है, हमें उसकी जरूरत है जो मनुष्यों के साथ खेला है, जिसने हमारी जमीन को पढ़ा, जिसमें हमारे यहां की नदियों और पहाड़ों के व्यवहार को जाना है ऐसे लोगों के द्वारा यदि हमारी स्कीमें चालू होती हैं तो मैं समझता हूं कि हमारी स्कीमों में तथ्य है और हमारी स्कीमें अवश्य सफल होंगी ।

श्रीमन्, मुझे महान दुख होता है कि हमारे मुल्क के पढ़े लिखे लोग, मैंने कुछ मीटिंग्स कमिश्नरों की तथा विभागों की अटेंड की हैं, हमारी स्कीमों में विश्वास नहीं करते हैं । पढ़े लिखे लोग हमारी स्कीमों का मखौल उड़ाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिये । या तो हम स्कीमों को बनायें ही नहीं और अगर बनाते हैं तो उनका मखौल नहीं उड़ाया जाना चाहिये । वह मीटिंग के बाहर जनता में इन स्कीमों में अपना अविश्वास प्रगट करते हैं और कुछ हद तक सत्यता भी है । इसका कारण यह है कि जब तक देहात के वातावरण में न रहें, जब तक नदियों के बिहेवियर को न देखें, जिनका हम बांध बांधना चाहते हैं तब तक हमारी स्कीमें सफल नहीं हो सकती हैं । आज हमारे इंजीनियर करोड़ों रुपया बांध बांधने में खर्च करते हैं । लेकिन मेरा चेलेंज है कि उनकी स्कीम बेकार हैं और पहाड़ों पर बांध कामयाब नहीं हो सकता है क्योंकि पहाड़ों में नदियों में मिट्टी और पत्थर चले आते हैं जो डैम को सिल्ट कर सकते हैं । जिन देशों में यह स्कीमें बनती हैं वहां डैम के साथ-साथ एक अरेंजमेंट होता है । वहां पर एक मशीन बिजली से चलती है और जो पत्थर और मिट्टी नदी में आती है उसको वह बाहर फेंक देती है । इसलिये वहां डैम सिल्टअप नहीं हुआ करते हैं । मैं समझता हूं जो स्कीमें अधूरी हैं जिनके ऊपर मनन नहीं किया है, वह सफल नहीं हो सकती हैं ।

हमारे देश में श्रमदान के गीत बहुत गाये जाते हैं । नीचे से लेकर ऊपर तक सब कहते हैं कि श्रमदान होना चाहिये । मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी कि आप बड़ी गलत बात का इस देश में प्रचार कर रहे हैं । आप श्रमदान के लिये कहते हैं । मैं आप को बताऊं कि हमारे जिले वालों ने श्रमदान करके ९ सड़कें बनायीं, कोई २८ मील, कोई २९ मील और कोई १२ मील लम्बी, इस तरह से कई मील लम्बी सड़कें मर्द, स्त्री और बच्चों ने बनायीं और मुल्क में निर्माण का काम करके जाग्रति पैदा की । लेकिन सरकार उनको संभालने के लिये तैयार नहीं है । क्या आप समझते हैं कि लोग इस लिये श्रम करें कि बरसात आये और उनके

श्रम को बहा दे। हम पूछना चाहते हैं कि क्या यह लाजमी नहीं है कि जनता श्रमदान सें जो काम करे उसको सरकार संभाले। यह होना चाहिये। अगर नहीं करते तो आप गलत बात का प्रचार करते हैं। इसीलिये लोग श्रमदान नहीं करते क्या वह इसीलिये श्रमदान करें कि जो वह काम करें उसको बरसात खत्म कर दे। यह मुल्क के साथ और इंसान के काम के साथ इंसाफ नहीं है।

आगे जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि हमारे इस विभाग के द्वारा जो जो कार्य संचालित हैं हमारे वह अफसर जिनको देहात से प्रेम नहीं, जो देहात वाले को डैम फूल समझते हैं, गदहा समझते है, गंदा समझते हैं, उनके द्वारा संचालित है। उसकी गंदगी को दूर करने के लिये उसको गरीबी से ऊपर उठाने के लिये जब हम किसी ऐसे अफसर की नियुक्ति करते हैं जो इंसानियत को डैम फूल समझता है तो वह देश के लिए कोढ़ है। वह सारी जिन्दगी चकमक का भूखा रहा है। पहाड़ों में, कंदराओं में, देहातों में, सिनेमाघर और नाचघर उसको मिल नहीं सकते। इस ह्यूमन मैटीरियल से क्या काम हो सकता है? हम चाहते है कि इसके ऊपर गौर हो।

अध्यक्ष महोदय, आप कहेंगे कि मैं शेखचिल्ली के किस्से इस सदन में कहा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का वह प्राणी हूं जिसने अपनी जिन्दगी के ३३ साल जनता के साथ रह कर व्यतीत किये हैं मैं समझता हूं कि मैंने इतने साल उनके साथ रहकर अपने साथ और देश के साथ एक पाप किया है। क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये खर्च होने पर भी काम नहीं होता है मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे जिलें में वह तशरीफ ले जायं लाखों रुपया हमारी गूलों पर खर्च हुआ और एक बूंद पानी उस गुल में चल नहीं सका। गूल का हेड पानी की सतह से ६ फीट ऊंचा है। क्या आप समझते है कि इस प्रकार के भी इंजीनियर हमारे देश में रहते हैं कि गूल का सिरा पानी की सतह से ६ फीट ऊंचा हो। वह कौन सा जादू है मैं पूछना चाहता हूं मुल्क के व्यवस्थापकों से, कि पानी की सतह नीचे से उठ कर गूल में चली जायगी? अगर यह बात असत्य हो तो मैं चाहता हूं कि ओपेन कोर्ट में मेरा ट्रायल हो। हम जनता के प्रतिनिधि जनता के डैक्सेज पर यहां लखनऊ में दाखिल होते है। मैं चाहता हूं कि उन गरीबों के साथ इंसाफ हो। (लाल बती बुझाने पर) मैं दो मिनट चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रसिंह रावत—वह रुपया वापस होना चाहिये पब्लिक ट्रेजरी में।

श्री उपाध्यक्ष—आप नजदीक आ कर बात कर लें।

श्री तेजबहादुर (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान प्रस्तुत है उस पर जो गेंदासिंह जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये नियोजन बहुत आवश्यक है। जो प्रयत्न हमारी गरीबी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिये किया जा रहा है, वह अच्छा है। दस साल जो हमने प्रयत्न किया है इसको जरा हम आप गौर से देखें लें, कि इसका क्या फल निकला है। बहुत सा रुपया लगाया गया है। बहुत सारी तरक्की हुई है, ऐसा बताया जाता है मगर हमारी आमदनी बढ़ी नहीं।

यह बताया जाता है कि हमारे हिस्से के मुताबिक सेंटर से रुपया नहीं मिला। मगर हम यह भी देखते हैं कि जितना हम मंसूबा बांधते हैं उतना पैसा भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। हम यह भी देखते हैं कि अधिकार देने की बात की जाती है मगर कागज पर जहां अधिकार दिये जाते है वहां असल में है नहीं। इन सारी बातों को देखने के बाद पता यह चलता है कि जो बहुत से प्रयत्न यह हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं और हमारे नियोजन का कार्य ठीक रूप से चल नहीं पा रहा है। जो फल उसको देना चाहिये वह उससे मिल नहीं रहा है। आप एक-एक मामले को लें

[श्री तेजबहादुर]

लीजिए। सहकारिता को ले लीजिये उसमें रोज नयी-नयी समितियां आप कायम करते जा रहे हैं। ऋण देने की बात भी करते हैं सहकारी खेती की बात करते हैं। मगर यह सब कागज पर अभी-अभी लोकसभा में एक व्याख्यान के सिलसिले में यह बताया गया था कि हमारे मुल्क में सहकारी समितियां केवल १५ प्रतिशत कार्य कर रही हैं और बाकी ८५ प्रतिशत मृत पड़ी हुई हैं। आप एक ओर रोज नयी नयी समितियों को कायम करते है, दूसरी ओर वह मृत पड़ती जा रही हैं और आप कागज पर दिखाते हैं कि हमने बहुत मैदान मार लिया। आप कर्जा देने की बात करते हैं कि हम गांव वालों को कर्जा देते हैं। सहकारी समितियों के द्वारा जो कर्जा आप देते हैं उसको जरा देखिए। रिजर्व बैंक आफ इंडिया से जो रुपया वहां उत्तर प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक को मिलता है वह २ प्रतिशत पर मिलता है। मगर वही रुपया जब गांव से किसानों को दिया जाता है तो १२ प्रतिशत उसका सूद होता है। तकावी आप देते है वह हैसियत पर देते है। जिसके पास ज्यादा खेत नहीं है वह उस तकावी का फायदा नहीं उठा सकता। आप बीज देते है बीज भंडारों से। एक मन देंगे तो ६ महीने बाद सवा मन वापस ले लेंगे। इस तरह आप २५ प्रतिशत सूद लेते हैं और वह जो गल्ला दिया जाता है आप जाकर के कार्तिक के महीने में देखिए, उस बीज की हालत देखिए जो कि उनको दिया जाता है और जब उनसे वसूल होता है, तब उसकी हालत देखिये। किसान लादकर लाता है गोदाम पर, उसकी वहीं सफाई की जाती है, वह गल्ला लिया जाता है और वह भी ज्यादा लिया जाता है। मुझको तो इसका निजी अनुभव है। मैंने तीन बीज गोदामों की जांच की, अफसर भी मेरे साथ थे उन्होंने भी देखा कि कहीं गल्ला अधिक वसूल हुआ कहीं गल्ला वसूल हुआ उसकी रसीद नहीं दी गई, कहीं गल्ला वसूल हो गया है लेकिन न उसकी रसीद दी गई है, न कहीं उसकी एन्ट्री है। नतीजा यह है कि जिसने एक बार इन बीज गोदामों से गल्ला ले लिया वह हमेशा के लिए उनका ऋणी हो गया।

पंचायतों की बात कही गई। आपने कहा कि चुनाव का तरीका हमने अच्छा कर दिया है। हमने माना कि जो प्रधानों का चुनाव हुआ है वह कुछ मौंजू है। मगर वहीं सदस्यों के चुनाव में वह सारी दिक्कतें रहीं और जितना भी मारपाट हुई है वह सदस्यों के चुनाव में ही हुई हैं। तो आज मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि सदस्यों का भी चुनाव अगर सरकार प्रधानों की तरह कर दें तो ज्यादा अच्छा हो और बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जायं।

अधिकार देने की बात कही गई कि गांव सभा के प्रधानों को यह यह अधिकार हैं और बी० डी० सी० के प्रधानों को यह यह अधिकार हैं। मगर यह सब कागजी अधिकार हैं। मैं पूछना चाहता हूंक क्या प्रधान अपने दो सेक्रेटरियों को जो कि एक गांव समाज का सेक्रेटरी है और दूसरा गांव पंचायत का सेक्रेटरी है, उसके किसी खराब काम के लिये सस्पेंड करना चाहे तो कर सकता है या अगर दोनों मंत्री उसके अच्छे हैं मगर वह तहसीलदार या पंचायत इंसपेक्टर को खुश नहीं कर सकते है तो क्या उसकी मर्जी के मुताबिक वह गांव में रह सकते है? नहीं रह सकते हैं। प्रधान अगर कोई निर्माण कार्य कराता है तो क्या उसको यह अधिकार है कि वह बिल पास कर दे? वह तो जाकर बी० डी० ओ० पास करेगा या पंचायत इंस्पैक्टर पास करेगा और फिर जाकर नियोजन के दफतर में क्लर्कों के बीच उसको इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। बी०डी० सी० का चुनाव होने जा रहा है और यह कहा जाता है कि कुछ अधिकार उनको दिये जा रहे हैं। बी० डी० सी० का जो प्रेसीडेंट होगा वह केवल मीटिंग की सदारत करेगा। इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। बी० डी० सी० का जो फैसला होगा अगर बी० डी० ओ० उसको कार्यान्वित नहीं करता है तो प्रेसीडेंट को कोई अधिकार नहीं है कि उसको कार्यान्वित करा सके। यह सारे मसले हैं जिसके लिये कहा तो जाता है कि वहां गांव में करे लेकिन उसकी हालत इस किस्म की है।

दूसरी चर्चा हमारे कुछ दोस्तों ने महिलाओं को काम देने के बारे में की। गौरीशंकर राय जी खुश होंगे कि मैं उनकी बात को कहने जा रहा हूं। वह इस बात के विरोधी हैं कि महिलाओं

को कहीं काम दिया जाय। वह ऐसा समझते हैं महिलायें झगड़े की जड़ है। मेरा अपना खयाल है कि यह महिलाओं के साथ ज्यादती है। आप उनको मैदान में लाइये और हर क्षेत्र में उनको काम करने का मौका दीजिये। आप जरा अपने ऊपर कंट्रोल रखें। अपने ऊपर आप कंट्रोल न रखें और यह दोष दें महिलाओं को तो यह अच्छी बात नहीं है। उनको मैदान में आने दिया जाय। मेरा खयाल है कि सुचेता जी मेरी इस बात का समर्थन करेंगी कि महिलाओं को पूरा मौका दिया जाना चाहिये कि वह वहां काम करें। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो यहां पर अफसर बैठा हुआ है। वह उनका कान पकड़े।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नियोजन के कार्य में लगे हुए हैं वे सारा रुपया खर्च नहीं कर पाते। इसका मतलब यही है कि कहीं न कहीं खामी है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि एक तो हमको हिस्से का रुपया ही कम मिलता है और जो भी मिलता है, उसको खर्च न किया जाय और जो मन्सूबे बनाये गये हैं उनको पूरा न किया जाय तो जो इस कार्य में लगे हुये अधिकारी हैं यह उनका दोष समझना चाहिये। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने यह सुना कि कोई माननीय सदस्यों ने उन कर्मचारियों की वेश-भूषा की आलोचना की जो आज नियोजन के काम मे लगे हुये हैं। । मैं जरूर चाहूंगा कि उनके पास चाहे जो भी दलील हो वह कपड़ा पहनने के लिये, यह भी हो सकता है कि वह कपड़ा किफायत में पड़ता हो मगर गांव मे उस वेशभूषा को अच्छी नजर से लोग नहीं देखते। जब अधिकारी गांव में जायं तो गांव वालों की वेषभूषा यदि वह अख्तयार करे तो यह मौजूं होगा। वह घर पर चाहे जैसे रहे लेकिन गांव में वह चीज दिक्कत तलब होगी।

एक बात सरकार का तरफ से कही गई कि जो रुपया व्यर्थ के आधार पर बांटा जायगा जिस रुपये से वहां पर नियोजन का कार्य किया जायगा। उस नियोजन के कार्य के लिये नियोजन विभाग के अधिकारियों पर भरोसा करना होता है। यदि अधिकारी निकम्मे हुये तो उस ब्लाक को रुपया कम मिलेगा और जब उस ब्लाक को रुपया कम मिला तो यह अधिकारियों के निकम्मे होने की वजह से मिला और इससे ब्लाक की जनता को नुकसान पहुंचता है तो मैं कहूंगा कि यह जो इन्तजाम किया जा रहा है वह अच्छा नहीं है। इसे पापुलेशन की बेसिक पर, आबादी के आधार पर दिया जाता था उसी तरह से दिया जाय तो अच्छा है। इतनी बात कह कर मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, आज बोलने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मैंने यह महसूस किया सारे प्रदेश का एक वर्ग ऐसा अछूता रहा जा रहा है कि जिस पर पूरी रोशनी इस नियोजन के अनुदान पर वादविवाद होते समय नहीं पड़ सकी और इसलिये मैंने मुनासिब समझा कि इस बीच में मैं भी उस के हेतु दो शब्द जोड़ दूं और संभव है कि हमारी नियोजन मिनिस्टर के दिमाग में यह बात आ जाय और वे उसका महत्व जान लें।

१९४७-४८ के जमाने में जब कि देश में बाहर और भीतर तमाम परिवर्तन हो रहे थे, गड़बड़ी मच रही थी, उस समय इस संगठन का निर्माण किया गया था और वह संगठन सरकार की थोड़ी सी लापरवाही से मर न जाय यह सोच कर ही मैं इस अनुदान पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यूं तो प्लानिंग के बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कहीं है और हमारे प्रदेश की हर समस्या के हर पहलू को उन्होंने लिया है, उस पर प्रकाश डाला है और यदि उन बातों को ले कर हमारी नियोजन मंत्राणी जी यह फख्र करती हैं कि हम किसी एक ऐसे स्तर पर पहुंच सके हैं कि जो गौरव करने योग्य है तो मैं समझता हूं कि वह एक थोथी बात होगी। मैं उन्हें दावत देता हूं, इसी दारुल शफा के ब्लाक के पीछे एक बच्चों का स्कूल है जो अभी भी लू के जमाने में इमली के पेड़ के नीचे लगता है। बच्चे उस पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और धूप या बारिश से बचने के लिये उनको आज भी जगह नहीं मिलती। हमारे दस वर्ष के नियोजन का यह हाल है। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने १६४ करोड़ और दूसरी में २५३ करोड़ खर्च

[श्री मदन पांडेय]

किया और उसका क्या फल हमारे प्रदेश को मिला है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं ।

अब मैं पी० आर० डी० के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। प्रान्तीय रक्षक दल का जिक्र नियोजन विभाग की पुस्तिका में दो चार लाइनों में कर दिया गया है । लेकिन इसकी बुनियाद जिस समय पड़ी थी उस समय से आज तक उसने जो काम किया है उसका जो चित्रण होना चाहिये था वह इसमें नहीं हो पाया है । कुछ श्रमदान के आंकडे दिये गये हैं, कुछ खाद के गड्ढों के आंकड़े दिये गये हैं, लेकिन जो सच्ची सेवा इस संगठन द्वारा देश की हुई है, उसका दिग्दर्शन इसमें नहीं हो पाया है । आज देश में अगर नवयुवकों में अनुशासन की, सैनिक भावना की, संगठन की प्रेरणा अगर जाग्रत हुई है तो वह इसी प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा हुई है । १९४७ का वह जमाना मुझे याद है कि जब सम्प्रदायवाद हमें खाने के लिये सिर पर चढ़ा चला आ रहा था, वह जमाना भी मुझे याद है कि जब यह आवाजें उठती थीं कि पाकिस्तान की फौजें इस देश पर हमला करने के लिये बढ़ी चली आ रही हैं और पता नहीं क्या हालत होगी । वह जमाना भी मुझे याद है कि जब कुछ प्रति क्रियावादी यह आवाज उठाते थे कि यहां एक विद्रोह फैल रहा है और एक सिविल वार होने जा रहा है और अंग्रेज फिर वापस आने वाला है । तो यह वातावरण था और उसे जिसने देखा है, जिसकी उसे याद है उनको मालूम होगा कि उस समय गांव गांव में प्रान्तीय रक्षक दल ने किस प्रकार टुकड़ियों में बंट कर उस कम्युनलिज्म का मुकाबला किया था । यह भी उसी के द्वारा संभव हो पाया कि उसने इतनी बड़ी संख्या में युवकों को शिक्षा दी और शिक्षित युवकों की एक खासी फौज खड़ी कर दी । उस समय गोरखपुर कलक्टरी के जितने कर्मचारी थे उनको शाम के वक्त उस समय के कलेक्टर श्री डी० पी० सिंह स्वयं खड़े हो कर प्रान्तीय रक्षक दल के आर्गनाइजर्स से ट्रेनिंग दिलवाते थे और ऐसा मालूम पड़ता था कि देश में एक नया जोश बढ़ रहा है, एक अनुशासन पैदा हो रहा है और अगर सैनिक आक्रमण हो तो उसका मुकबला करने की भावना बढ़ रही है । आज पार्लियामेन्ट में नेताओं के भाषण पढ़े जो अखबारों में निकल रहे हैं । एक कंसल्टेटिव कमेटी बनी हुई है कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की, उसकी तरफ बढ़ते हुए सम्प्रदायवादी को रोकने के लिये सुझाव आया है । इस के संबंध में बहुत से सुझाव हर ओर से आते हैं और इसलिये मैं चाहूंगा कि जो यह १०,११ करोड़ रुपया रखा गया है इस योजना पर, उसमें यदि काम करना है तो इस प्रान्तीय रक्षक दल की जो बुनियाद थी, जिस बुनियाद पर यह गौरव के साथ चलाया गया था, उसे फिर उसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाय और उसका जो महत्वपूर्ण काम है उसको आगे बढ़ाया जाय । जिस समय से इसकी नींव पड़ी है उस समय से आज तक इस प्रदेश में ८,५८१ हल्का सरदार, १०,६१६ ग्रुप लीडर, १,१६,०६९ सेक्शन लीडर और १०,५६,००८ रक्षक तैयार हो चुके हैं । जहां-जहां जरूरत होती है ये अब काम करते हैं । चाहे आपको कोई जंगल साफ कराना हो, चाहे आपको डाक-तार विभाग की हड़ताल तुड़वाना हो, कोई भी काम लेना हो, यह संगठन उसके लिये इस्तेमाल किया जाता है । आप सैनिक शिक्षा से युक्त इतनी भारी फौज आपके पास है, इसको भी आप कुछ मौका दीजिये । मेरा सुझाव है कि आप थोड़े से अनुदान की व्यवस्था कीजिये और हर जिले की हर तहसील में १०० वालिंटियरों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कीजिये । इससे एक साथ साढ़े २२ हजार लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है । खर्चा कितना होगा ? वह भी बहुत कम होगा । आज छोटी छोटी नुमाइशों पर लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है, इसके लिये अगर आप साढ़े ७ लाख रुपये का इन्तजाम इस नियोजन की अनुदान में कर दीजिये और साल में एक महीने का कैम्प रख दीजिये तो एक रुपया दो आना खाने का खर्च देकर आपकी साढ़े २२ हजार की एक शक्ति तैयार हो सकती है जो आवश्यकता पड़ने पर आपका हर कार्य कर सकेगी । आप चाहे उनसे फिर जंगल साफ करा सकते हैं, चाहे जो भी कार्य ले सकते हैं । एक सेकिन्ड डिफेन्स लाइन आप तैयार कर सकते हैं । आज चीन के हमले का खतरा है, मैं नहीं जानता इस नियोजन में उसके लिये जनता में मनोबल पैदा करने की कौन सी व्यवस्था है । अगर आप इसको करते हैं तो जनता में एक ऐसी भावना

पैदा होगी जिससे लोगों में नियोजन के प्रति और अपने देश के प्रति एक उत्साह पैदा होगा, अनुशासन की भावना पैदा होगी और जिन में जहां कहीं भी आपको जन-शक्ति की आवश्यकता होगी वहां यह आपकी मदद कर सकेंगे।

मैं और अधिक समय नहीं लूंगा और न अधिक समय लेने का मेरा विचार ही था किन्तु मैं एक बार फिर यह आग्रह करूंगा कि अगर नियोजन मंत्री जी ने इसकी अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है तो इसे करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---यह तो आपने मान ही लिया है कि पी० आर० डी० ने क्या काम किया है, क्या नहीं ?

श्री रामकृष्ण सारस्वत (जिला फर्रुखाबाद)---श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने का अवसर दिया है। इस अनुदान को सरकारी तौर पर देखने के बाद ब्लाकों का सिस्टम और उसके बारे में जो मुझे अनुभव है उसके आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रीजी गम्भीरता पूर्वक इस प्रश्न पर विचार करें और उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करें और यह देखें कि इनमें जितना धन व्यय होता है वह ठीक होता है या नहीं उसका आधा रुपया आज खंडों के उद्घाटनों में वेतनों में, मोटरों में तथा और बातों में खर्च हो जाता है और मूल कामों में उतना धन व्यय नहीं होता जितना होना चाहिये।

दूसरी बात मैं कृषि के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। कृषि के लिये तीन प्रकार से यह कहा गया है कि स्कूलों से, पंचायतों से और सहकारिता के द्वारा उसको प्रोत्साहन दिया जाय, लेकिन मैं देखता हूं कि समय पर काश्तकारों को यन्त्र नहीं मिलते, बीज नहीं मिलते, बल्कि मैं इस बात को सप्रमाण कह सकता हूं कि फसल कट गई, बीज बो दिया गया, सारी बात समाप्त होने पर सरकार की तरफ से गोदामों में बीज बांटने के लिये भेजा जाता है। यह कोई अच्छा तरीका नहीं है। ऐसे ही जो अच्छे कृषि यन्त्र हैं वह न समय पर आते हैं और न काश्तकार को समय पर दिये जाते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन चीजों की तरफ विशेष ध्यान देने की कृपा की जाय।

मुख्य मन्त्री जी ने एक विशेष बात अपनी छोटी से पुस्तिका में कही है कि यह बजट द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति का और तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ का है, इसलिये हमें इस वर्ष विशेष रूप से समीक्षा करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्राणी जी से भी कहूंगा कि वह भी विशेष समीक्षा से देखें क्योंकि वह स्वयं एक मुद्दत के बाद हमारे प्रदेश में आई हैं। यही नहीं, जो जनता के प्रतिनिधि हैं, इस पक्ष के या उस पक्ष के, और जो कर्मचारी हैं उन्हें भी थोड़ा सा अपनी साधारण भावनाओं से ऊपर उठ कर इन चीजों की तरफ देखना चाहिये और अपने कर्त्तव्य का सही तौर से पालन करना चाहिये। राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है कि वह वोट के लालच को छोड़ कर, देशभक्ति की भावना को लेकर, अपने कर्त्तव्य का पालन करने की भावना से जो सही बात हो उसका समर्थन करें और गलत हो तो सरकारी बेंचों के सदस्यों से कहूंगा कि केवल हाथ उठाने तक ही अपने को सीमित न रखें, बल्कि गलत बातों का मुकाबला करने के लिये साहस से आगे बढ़ें और जरा भी अपने में हिचक न लायें। हम तो जनता के बीच में वादा और प्रतिज्ञा करके आये हैं। हमें जिस जनता ने चुना है, उसके लिये सब कुछ करना हमारा कर्त्तव्य है, वरना यहां रहने की हमें आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि कुटीर उद्योग ग्रामोद्योग इन बातों की तरफ भी हमें विशेष रूप से देखना चाहिये। मैं फर्रुखाबाद नगर से चुनकर आया हूं, वहां पर कुटीर उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे प्रदेश के कोने-कोने में वहां से तांबे, पीतल के बर्तन जाते हैं, लेकिन अफसोस है कि प्रदेशीय सरकार द्वारा बर्तन बनाने का

[श्री रामकृष्ण सारस्वत]

मैटीरियल नहीं दिया जाता। पहले केन्द्रीय सरकार ने दिया था, लेकिन जब से प्रदेशीय सरकार के हाथ में आया, तब से वहां के व्यापारियों को तांबे और पीतल का कोटा देना बन्द कर दिया गया, जिससे हजारों कारीगर बेकार हैं और उनके लिये काम की कोई चीज नहीं है। यही नहीं, फर्रुखाबाद नगर देश में ही नहीं, संसार में इस बात के लिये विख्यात है कि वहां छपाई का काम बहुत अच्छा और आदर्श ढंग से होता है। दूसरे-दूसरे देशों से भी हम पैसा लाते हैं और उनसे हम अपने देश को बहुत कुछ तरक्की की ओर ले जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां के जो कारीगर हैं वह वहां के दूकानदारों से कारखाने वालों से इतने बन्धे हुये हैं, इतने सीमित रहते हैं कि उनकी इच्छा और मेहरबानी पर ही उनका जीवन आधारित रहता है। मैं चाहता हूं कि इस ओर भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और उन कारीगरों के संगठन को सरकारी मान्यता दी जाय, सरकारी तौर पर उनका संगठन किया जाय, और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाय। जिससे कि गरीब जो घरों में बैठ कर छपाई का काम करते हैं वह अपनी जीविका सही ढंग से पा सकें और अपनी मेहनत का पैसा पा सकें।

दूसरी बात यह है कि प्रान्तीय रक्षा दल के सम्बन्ध में थोड़ी सी बातें आपके सामने आई हैं। उसकी स्थापना जिस समय हुई थी उस समय इस विचारधारा से हुई थी कि हम अपने प्रान्त के अनेक मामलों में, जैसे कि ग्रामों की रक्षा सम्बन्धी कामों में प्रान्तीय रक्षा दल से पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रान्तीय रक्षा दल को ऐसे स्तर पर लाया जा रहा है जिससे रक्षा की बात तो दूर रही, जैसे कि नियोजन के काम में, गांव के सुधार के काम में, मेले वगैरह के काम में, यह तो दूसरी चीज रही, यह तो योजनाओं से सम्बन्ध रखने वाली चीजें हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश और प्रदेश के बार्डर की क्या स्थिति है। उसमें सम्भव है कि किसी समय हमें अपनी सारी शक्ति भी लगानी पड़े। उस मौके के लिये हमें प्रान्तीय रक्षक दल को सैनिक संगठन के रूप में—जिस भावना से कि वह स्थापित किया गया था—चालू रखना आवश्यक है और उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। अगर कहीं हम भुलावे में आकर बहक गये और १२-१३ साल पहले संगठित किये गये दल को, जोकि आज गांव-गांव के हर इलाके में पहुंचा है जिसने बहुत से काम किये हैं जैसे युवकों को शिक्षा देना और प्रौढ़ों और बच्चों को शिक्षा देना, समाप्त कर दिया तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। प्रान्तीय रक्षक दल का देश की रक्षा की दृष्टि से इस प्रान्त में रहना अत्यन्त आवश्यक है और इस पर एक बड़ी रकम व्यय करना भी आवश्यक है।

सिंचाई के लिये कुओं को जो अनुदान या तकावी सरकार की ओर से मिलती है उसकी तरफ भी मैं माननीया मन्त्राणी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैंने देखा कि कागज पर तकावी भी दे दी गई और कुयें भी बन गये लेकिन वास्तव में न कुए बने न उनकी मरम्मत हुई। इस सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि उनसे हमें बड़ी-बड़ी आशायें हैं, वह हमारे प्रदेश के एक कर्मठ और माने हुये नेता हैं। आज इस नियोजन की सफलता और असफलता का असर हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। मैं अनुभव के साथ कह सकता हूं कि नियोजन के कर्मचारी दिन प्रति दिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरह से हमारे यहां कहावत है कि पुलिस, पतरौल और पटवारी जितना भ्रष्टाचार करते थे और मशहूर हैं उन्हीं की टक्कर अब यह नियोजन विभाग के अधिकारी और बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ० या जो और दफ्तर के छोटे-मोटे कर्मचारी हैं, वे भी रिश्वत लेने लगे हैं। अगर आप ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो आप विश्वास रखें कि उन तीन के बजाय एक चौथा केन्द्र यह भी भ्रष्टाचार का बन जायगा।

अब अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूं कि अगर नियोजन विभाग के कर्मचारियों में दलबन्दी और पक्षपात की भावना बनी रही तो हमारे प्रदेश का उद्धार कभी नहीं हो सकेगा। आप चाहे तीन नहीं पांच योजनायें बनायें लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। योजना तभी सफल हो सकेगी जबकि प्रधान मन्त्री और मुख्य मन्त्री से लेकर अधिकारी और

दफ्तर के बाबुओं और चपरासी सभी में कर्त्तव्य-पालन और देशभक्ति के उद्गार हों। श्रीमन्, इतना ही मुझे निवेदन करना था।

*श्री मुकुटविहारी लाल अग्रवाल (जिला बाराबंकी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे भी इस अनुदान पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, माननीया मन्त्राणी जी द्वारा जो सवा ९ करोड़ रुपये का अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। और माननीय गेंदासिंह जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, हम लोगों के पास सिवाय इसके कि कटौती का प्रस्ताव रखकर उस विषय पर चर्चा करें और कोई तरीका नहीं है। दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं और तीसरी प्रारम्भ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश और हमारा पूरा देश कृषि प्रधान माना जाता है। यहां की ८५ प्रतिशत जनता देहातों में रहती है। नियोजन भी उन्हीं के नाम पर होता है। कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कृषि की है। बार-बार हम प्रयास करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं।

मान्यवर, हम देखते हैं कि दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त होने के बाद अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा। अगर कुछ बढ़ा भी है तो उसका एक ही कारण है कि कुछ थोड़ी सी भूमि जो अतिरिक्त ली गई है उसमें जो अन्न का उत्पादन हुआ है उसी को मिलाकर कहा जाता है कि उत्पादन बढ़ गया। हम जितने लोग भी यहां आते हैं उनमें से लगभग ९० प्रतिशत देहात की जनता की तरफ से आते हैं और जितनी भी यहां योजनायें बनती हैं वह सब देहात की जनता के नाम पर बनती हैं। लेकिन, मैं समझता हूं, मुश्किल से वहां के २० प्रतिशत लोग इनसे लाभान्वित होते हैं।

यह योजना जो ब्लाक द्वारा चलाई जाती है यदि उन ब्लाकों पर होने वाले खर्च को देखा जाय तो मालूम होगा कि एक-एक ब्लाक पर डेढ़-डेढ़ और दो-दो लाख रुपया खर्च होता है। उसमें से ८० प्रतिशत रुपया या तो तनख्वाह के रूप में या भवन निर्माण के रूप में या भत्तों आदि के रूप में खर्च हो जाता है और २० प्रतिशत रुपये को लेने के लिये जनता को परेशानी होती है और जो अपना समय गंवाना पड़ता है उसे सब लोग जानते हैं।

मुझे एक कहानी याद आ गई। एक कुत्ता बड़ा भूखा, कहीं जा रहा था, रोटी की तलाश में। उसने एक सज्जन के पास रोटी देखी। उन सज्जन ने ललचाने के लिये छज्जे पर खड़े होकर उसे रोटी दिखलाई। कुत्ता उछल कूद करता रहा और ऐसी स्थिति हुई कि वह वहीं तड़प-तड़प कर मर गया और रोटी नहीं पा सका। वही हालत किसानों की है। सरकार बहुत सी योजनायें बनाती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है।

आज देहात के किसानों को देखा जाय, विशेष रूप से उन किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं। आज उनको जहां पर चकबन्दी का काम चल रहा है, कितनी हानि हुई है यह वह लोग जानते होंगे जोकि उस क्षेत्र से आते हैं। सिंचाई के सम्बन्ध में यही बात है कि उनकी अवहेलना की जाती है और कहा जाता है कि अलाभकर जोत देश में हानिकर साबित हो रही हैं। यह भी कहा जाता है कि कोआपरेटिव फार्मिंग की जाय और छोटी-छोटी जोतें इकट्ठा करके खेती की जाय तो लाभ हो सकता है। मगर मेरा विश्वास है कि अगर छोटी-छोटी जोत वाले लोग कोआपरेटिव फार्मिंग में ले लिये गये तो उनके बच्चे दाने-दाने को मोहताज हो जायेंगे और भूखों मर जायेंगे। एक काश्तकार जो अपने खेत में फसल बोता है, मान लीजिये उसने चने की फसल बोई तो जब चना तैयार होता है तो बच्चे चाहते हैं कि उसे खायें और वह खा लेते हैं। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग होने के बाद किस प्रकार वह अपने बच्चों को दे पायगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकुटविहारीलाल अग्रवाल]

आज कोआपरेटिव की स्थिति देखी जाय, उसमें फैले हुये भ्रष्टाचार को देखा जाय। वे पढ़े लिखे लोग जो योजना बनाते हैं किस प्रकार से गरीबों पर जुल्म करते हैं और किस प्रकार गरीब लोग परेशान होते हैं, इसको सब लोग जानते हैं। आए दिन यहां हंसी होती है। कुछ लोग नहीं के रूप में कहते हैं और हां के रूप में कहने वाले भी नहीं के रूप में अपना भाषण समाप्त करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमें उन देहातों के लिये कोई नियोजन करना है, कोई उन्नति करनी है तो क्रांतिकारी पग उठाना होगा। सारी योजनायें ऊपर से ढीली करके सारी शक्ति देहातों की तरफ लगानी पड़ेगी। हम नहीं समझ पाते कि हमारे विरोधी दल के लोग बैठे हुए हैं इनमें से कोई यह चाहता है कि सरकार की योजना सफल न हो मगर जिस योजना के लिये हम आगे बढ़ते हैं उनमें हमें अधिकारियों द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है और उसका कारण है देश में बढ़ती हुई पार्टीबाजी और उसका शिकार हमारे बड़े-बड़े नेतागण तक हैं। यह सत्य है कि जिस देश में पार्टीबाजी बढ़ती है उस देश में जनता लाभान्वित नहीं हो सकती है।

मान्यवर, इसके बाद मैं शिक्षा की ओर मन्त्राणी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज हमारी जितनी भी गड़बड़ियां हैं उसका एक ही कारण है कि हमारा किसान अपढ़ है और उसके कारण-हमारे अधिकारी लोग मन चाहा लाभ उससे उठाते हैं। देहातों में जितनी योजनायें हम चलाते हैं, विशेषकर प्राइमरी स्कूलों को देखिये तो या तो प्राइमरी स्कूल्स खोले ही नहीं गये हैं या खोले गये हैं तो उनके लिये भवन नहीं हैं और अगर भवन भी हैं तो उनके अन्दर टाट पट्टी नहीं है और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहता हूं कि यह साढ़े ९ करोड़ का जो बजट रखा गया है उसको और मदों में से काटकर २५ करोड़ कर दिया जाय और उसमें हमको हर्ष होगा लेकिन उस धन से देहातों की क्रांतिकारी उन्नति के लिये योजना बनाई जाय। देश के लोग आज भी व्यतीत कर रहे हैं उसको देखा जाय तो हम समझ सकते हैं कि देश की उन्नति में कितनी बड़ी रुकावटें हैं। आज सारी बातें देहातों के नाम पर, किसानों के नाम पर की जाती हैं मगर आप देखें कि उनपर सब प्रकार का टैक्स पड़ता है। जिसके पास चार पांच बीघा जमीन है उसपर भी पंचायत टैक्स, अन्तरिम जिला परिषद् का टैक्स और सेल्स टैक्स की रू से लिया जाने वाला टैक्स पड़ता है।

(इस समय ३ बजकर ५४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन टैक्सों की वसूली भी इस तरह से की जाती है कि उनकी जिन्दगी दूभर हो जाती है और वह पनपने नहीं पाते। मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी पक्ष के लोगों के पास क्या हृदय नहीं है। लेकिन यह बात नहीं। उसका कारण है कि अंग्रेज जो मशीन छोड़ गया उसको ऐसा रख गया है कि कि हम चाहते हुये भी कुछ नहीं कर पाते। तो मैं सरकार से कहूंगा कि अगर ऐसा है तो हम आप देश के भविष्य के लिये बाहर से जो कुछ सेवा जनता की कर सकते हैं हमें करना चाहिये, सिर्फ थोड़े से पदों के लोभ में इस प्रकार से देश का अहित होता जाय हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते और माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाय।

मान्यवर, अब मैं थोड़ी सी पशुपालन के विषय में चर्चा करना चाहता हूं। सरकार की ओर से मत्स्य विभाग खोले जाते हैं, कुक्कुट विभाग खोले जाते हैं और गोसंवर्द्धन सप्ताह मनाया जाता है। मान्यवर, यह आपकी भी जानकारी में है कि आज प्रदेश में हजारों की संख्या में आये दिन गाय और बैल कटते हैं और सरकार की ओर से इस प्रकार के आदेश हैं कि न काटे जांय, लोग जगह-जगह पर पकड़े भी जाते हैं मगर कोई कार्यवाही उनके खिलाफ नहीं हो पाती। उसके बाद भी कहते हैं कि देश में गोसंवर्धन हो रहा है। छोटे-छोटे काश्तकार बिना बैल के अन्न पैदा नहीं कर सकते। उसके लिये आपने क्या सुविधायें एकत्रित

की हैं, हम नहीं समझ पाते। गोसंवर्द्धन सप्ताह के सम्बन्ध में देखा जाय तो हम जानवरों के लिये चारे का भी प्रबन्ध नहीं कर पाते। देहातों में चारागाह नहीं बचे हैं। जहां देखिये जमीन खेती के नीचे आ गई है लेकिन उस खेती में भी हम देश की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर कोई क्रांतिकारी कदम उठावे और ऐसा प्रतिबन्ध लगावे कि जो इस देश में अहितकारी कार्य करने वाले लोग हैं उनको उचित दण्ड दिया जाय।

अछूतों की बड़ी चर्चा की जाती है मगर मैं देखता हूं कि ब्लाकों द्वारा जो अछूतों के जो प्रोग्राम अवसर होते हैं उनमें अछूतों को बुलवाकर और हलवाई की दूकान से मिठाई मंगाकर बांटी जाती है। लेकिन खाने वाले कोई और होते हैं और जो वहां अछूत आते हैं उनको मिठाई भी नहीं मिल पाती। इसी तरह से आपका अछूतोद्धार होता है, तब तो अछूतद्धार हो गया ? कस्बे और टाउन एरिया में रहने वाले अछूतों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। टाउन एरिया में भंगियों को ८--८ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। सरकार की ओर से तरह-तरह के विभाग उनकी भलाई के लिये खोले जाते हैं लेकिन कोई विभाग अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। सरकार इस की ओर ध्यान दे।

देहात में चिकित्सा की हालत बहुत खराब है। २०-२०, २५-२५ मील तक कोई अस्पताल नहीं है और अगर है भी तो उसमें न डाक्टर हैं और न दवाइयां। थोड़ी-सी दवाइयां जाती भी हैं तो हम लोगों को या और दूसरे सम्पर्क वाले लोगों को मिल जाती हैं, साधारण जनता को नहीं मिल पातीं। देहात में विशेष रूप से माता बहनों को विशेष सुविधा होनी चाहिये। हमारे यहां एक जनाना अस्पताल है भी लेकिन इसमें डाक्टर नहीं है, एक कम्पाउन्डर है। हजारों रुपया उसमें खर्च किया जाता है, एक भी शैय्या वहां नहीं है, उसकी उचित व्यवस्था की जाय और डाक्टर की नियुक्ति की जाय। इन शब्दों के साथ मैं गेंदासिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपकी आज्ञा से दो दुरुस्ती कर देना चाहता हूं। एक तो मैंने शायद नैशनल इनकम १६ अरब कुछ करोड़ बतायी थी, तो बजाय उसके १८ अरब और उतने ही करोड़ मानी जाय। दूसरे माननीय मन्त्री जी के अनुसार २ प्लान पीरियड में ९०० करोड़ रुपया भारत सरकार ने हिन्दुस्तान के औद्योगीकरण के लिये दिया जिसमें से उत्तर प्रदेश के हिस्से में केवल १९ करोड़ २६ लाख रुपया आया। इसको भी दुरुस्त कर लिया जाय क्योंकि मैंने ६ अरब कहा था।

मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। खासतौर से मैं उनका बहुत अभारी हूं जिन्होंने किन्हीं शब्दों में सही, हमारे ही विचारों का समर्थन किया। खासतौर से उस तरफ बैठने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे विचारों का समर्थन किया और जिनकी आवाज में बहुत बल भी है। इन योजनाओं के बारे में हमारी और उनकी राय मिली जुली है।

श्रीमन्, हम ऐसा समझते हैं कि जब हम योजनाओं के सम्बन्ध में कोई बात करते हैं तो कभी ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि हम बजातखुद योजनाओं के खिलाफ हैं। अगर हम योजनाओं के खिलाफ होते हैं तो हम समाजवादी नहीं हुये होते। लेकिन योजनाओं के लिये जब हम कहते हैं तो बड़े दर्द के साथ कहते हैं। अगर हमने कोई योजना बनाई है तो उसका कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। अब ऐसी गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिये कि हम जिस विचारधारा से ओतप्रोत हैं उसी विचारधारा को हम बहुमत पर लादना चाहते हैं परन्तु जो फैसला सरकार का है उसी फैसले को लेकर आपके उद्देश्य की कसौटी पर उसको हम रखना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि सरकार अपने फैसले पर कहां तक चल पाई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदा सिंह]

गवर्नमेंट की ओर से इसका उत्तर नहीं दिया गया कि जब योजना चालू की गई थी तो कोई बहुत बड़ी योजना उस वक्त नहीं थी । लेकिन बहुत सावधान होकर ४६–४७ और ५०–५१ के बीच में कोशिश नहीं की जा सकी । यद्यपि उस समय भी कुछ काम तो हो रहा था, युद्धोत्तर निर्माण का काम तो जरूर हो रहा था । लेकिन उस बीच में ६ अरब की नैशनल इनकम की वृद्धि हुई और जब सावधान हो करके काम किया, एक बड़ी भारी फौज लगाई तो उसके बाद सिर्फ दो और ढाई अरब के बीच की वृद्धि ऐसी है जो एक मर्तबा नहीं, १०० मर्तबा सोचने को मजबूर करता है । आखिर क्या बात है, क्यों ऐसी हालत हो गई ? मेरे मन में एक बात उठती है जब सावधान हो करके चले उस वक्त से हमने अपनी कुछ आवाज बदली और यह कहना शुरू किया कि हमारा पैटर्न जो होगा वह दूसरी तरह का होगा । जब हमने यह कहा तो उस आवाजकसी के बाद जो धनवान वर्ग था वह सावधान हुआ और उसने सावधानी के साथ इस सरकार की सारी शक्ति का उपयोग किया और हमारे प्रदेश ने जो दौलत कमाई, जो गरीबों की पसीने की कमाई थी उसको उन्होंने छीन लिया । कैसे छीन लिया ? मैं उन बातों में हरगिज नहीं जाना चाहता कि बी० डी० ओ० को, ग्राम सेवक को या और किसी को कम किया जाय । हम समझते हैं उसमें कुछ खामियां हैं । मेरी पीठ पर उसका दर्द है । लेकिन उसको मैं छोड़ देता हूं । मैं समझता हूं कुछ गलतियां होंगी । लेकिन उनको दुरुस्त किया जा सकता है । और बार-बार हर सेट अप को बदलने में भी गड़बड़ी होती है । माननीय मदन पांडेय जी ने कहा कि पी० आर० डी० वालों को एकदम से निकाल दिया जाय लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं । मैं नीचे से ऊपर तक नियोजन विभाग के सेट-अप को रोज-रोज बदलना उचित नहीं समझता क्योंकि इससे रोज-रोज नये, नये खर्चों में पड़ना है, और फिर से तजुर्बा शुरू किया जाय । यह मैं नहीं चाहता । लेकिन यह सब रहते हुये जो उसका नेट रिजल्ट है अगर उसको नहीं देखेंगे तो कैसे अन्दाज करेंगे ? वही कसौटी है ।

अच्छा, मान लिया जाय गलती हो गयी और जहां हम जाना चाहते थे या जितना करना चाहते थे उतना नहीं कर पाये लेकिन जो कुछ किया आखिर नियोजन के बटवारे में भी तो हाथ होता है । अगर बटवारा ठीक से न कर सके, तो नियोजन के माने क्या हैं ? बटवारा कैसा हुआ मैंने उसको कल दोहराया था । मुख्य मंत्री जी अभी उत्तर देंगे, प्लानिंग के मौके पर उत्तर प्रदेश को संदेश देंगे, मैं समझता हूं पिछले १० वर्षों में, माननीय मुख्य मंत्री ने अपने लेख में स्वतः कहा है, सारे देश में जिस वक्त १९.२ प्रतिशत की इनकम में वृद्धि हुई उस समय प्रदेश की पर कैपिटा इनकम में कुछ वृद्धि नहीं हुई, प्रदेश की सारी आबादी मुंह ताकती रह गई ।

मैं सावधान करना चाहता हूं इस सदन को भी, कि क्या हमारी शहर वालों में और गांव वालों में युद्ध कराने की मंशा है जो रोज सरकार से आंकड़े प्रस्तुत कर दिये जाते हैं कि शहर वालों की आमदनी बढ़ गई ? इन्हीं आकड़ों के आधार पर हम लोग भी कभी-कभी शहर वालों पर जेहाद बोल देते हैं । लेकिन अगर वास्तव में देखा जाय तो शहर में किनकी आमदनी बढ़ी है । ८६,१०० लोग १९५३ में ऐसे थे जो इनकम टैक्स देते थे जिनकी संख्या १९५९–६० में बढ़ कर १,०६,००० हो गई है । तो इनकम टैक्स देने वाले ग्रुप की ही वृद्धि हुई है । लेकिन जो शहरों में फुटपाथ पर रहने वाले हैं या जो छोटे दूकानदार हैं उनकी क्या हालत हुई ? वह किधर को गया ? कोई इस वक्त आंकड़े नहीं है यद्यपि फैमिली के खर्चे के ऊपर पिछले सालों में कुछ डाटा डेटा इकट्ठा किया गया है, अगर उसको देखा जाय तो मैं समझता हूं मध्यमवर्ग के लोगों की, बाबू लोगों की जो ऊपर से यहां अच्छे दिखाई देते हैं, हालत खराब हुई है । और मुट्ठी भर आदमी को छोड़कर बाकी सबकी हालत खराब हुई । गरीब ज्यादा गरीब और धनी ज्यादा धनी हुआ । यह इस दृष्टि से कहता हूं कि यह बैकुंठनाथ मेहता और रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने सिद्ध कर दिया है । बैठ कर बाकी बातचीत की जा सकती है । मुख्य मंत्री इसे जानते होंगे और अगर न जानते हों तो दिन नहीं, महीने में खर्च कर सकता हूं । उनके हाथ में ताकत है । वह बहुत

कुछ सुधार कर सकते हैं । प्लानिंग में इस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिये । अगर प्लानिंग में इस तरफ हमारा ध्यान नहीं हुआ तो हमारा काम नहीं चल सकता ।

श्रीमन्, एक-दो बातें और कह देना चाहता हूं । आज धन के बटवारे की गुंजायश इस सोशलिस्टिक पैटर्न में कहां है ? जमीन का बटवारा भी नहीं हो सकता, सीलिंग नहीं हो सकती। जब १९४८ में जमींदारी आबोलिशन का प्रस्ताव आया था तो उसके साथ यह भी प्रस्ताव आपने पास किया था कि उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण हम करेंगे । अब १९४८ से १९६१ है । १३ वर्ष में आपको याद नहीं पड़ सकी । इस तरफ के लोगों ने जब पिछले साल याद दिलाया कि शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया जाय तो कहा कि हम कमेटी बैठायेंगे लेकिन भारत सरकार इसके विरुद्ध है । वह कमेटी विचार करेगी कि नेशनलाइजेशन करने में क्या-क्या दिक्कतें पड़ेंगी ? मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले मुख्य मंत्री ने उस काम को पूरा नहीं किया लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज नहीं किया जायगा तो प्राइवेट मोटर्स को नेशनलाइज करने से काम चलने वाला नहीं है ।

हम ऐसा समझते हैं कि देश में बड़ी गंभीर हालत है । मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे सूबे पर बड़ी कुदृष्टि है उस दिल्ली की । जब कोई अधिकारी सच बोलना शुरू करता है तो उसको बड़ी गहरी सजा मिलती है । पिछले वर्ष जून में सच बोलने की कोशिश की हमारे मुख्य मंत्री ने तो निकाल बाहर किये गये । अब थोड़ा-सा सच लिख दिया हमारे गुप्ता जी ने तो ५० फीसदी यह भी निकल गये हैं । कांग्रेस के सभापति भी हैं और मुख्य मंत्री भी । अब दिल्ली से हुक्म आया है कि एक से निकाल दिया जाय और अगर सच बोलना शुरू किया तो अगले १९६२ तक आप रह नहीं पायेंगे । इसको फेस करना चाहिये। १० वर्ष से बराबर कहते चले आ रहे हैं कि गलत रास्ते पर हम जा रहे हैं । नाम चाहे कुछ धरिये । भजन गाते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न का । नाच वाले भजन गाते हैं कबीर और दुनिया के अन्य सन्तों के लेकिन उनके बारे में पूछा जाय कि वे कौन थे तो कुछ नहीं बतला सकते । उसी तरह से कांग्रेस वाले समाजवाद के गीत जरूर गाते हैं लेकिन समाजवाद को गहरे गड्ढे में गिरा रहे हैं । प्लानिंग के जरिये अगर समाजवाद का झंडा बुलन्द नहीं किया तो और गहरे गड्ढे में ये जायेंगे । इस खतरे से सावधान होना चाहिये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अध्यक्ष महोदय, दो दिन से इस अनुदान पर बहस हो रही है और बहस में करीब-करीब वही बातें दोहराई गयी जो प्रत्येक वर्ष जब यह अनुदान प्रस्तुत किया जाता है, तो दोहराई जाती हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि माननीय गेंदासिंह जी और हमारे माननीय सदस्यगण जब तक उधर हमारे सामने बैठे हुये हैं तब तक उनकी दशा में तथा तर्क में कोई फर्क आने वाला नहीं है उन कुर्सियों की बदौलत, क्योंकि उन्हें डर वस्तुस्थिति के कहने से है । सही बात को सही रूप में रखने से वे गुरेज करते हैं और इधर बैठने वालों की बातों के सम्बन्ध में उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि यदि इधर के बैठने वाले सच बोलेंगे तो उन्हें अमुक व्यक्ति, अमुक शक्ति सजा देगी । तो इधर बैठने वाले तो इस बात की चिन्ता नहीं करते, वे तो सदा उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं जो वास्तविकता से सम्बन्ध रखता है और जो हवा की बातें इस देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं करते । यह सरकार भी जब अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, अपनी कमियों को स्वीकार करती है, अपनी कमजोरियों को स्वीकर करती है तो वह ऐसा इसलिये करती है कि वह इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के विभिन्न दलों के नेतागणों और सदस्यगणों के ध्यान को आमंत्रित करे और उनसे निवेदन करे कि यदि इस प्रदेश को ऊंचा उठाना है, यदि इस प्रदेश की प्रगति करना है तो इसके प्रगति के कार्य में प्रत्येक अपना सहयोग प्रदान करे और प्रत्येक उस दिशा में चलने की चेष्टा करे जहां चल कर कदाचित् हम अपने प्रदेश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और उन कमियों और खामियों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे जो आज भी हमारे प्रदेश के चारों तरफ घेरा डाले पड़ी हुई हैं ।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इस सरकार ने कभी इस बात का दावा नहीं किया कि हमने शासन प्राप्त करने के बाद भूलें और गलतियां नहीं की ह और कहीं-कहीं उन खामियों का प्रदर्शन नहीं किया है जो कि शासन के अन्तर्गत हमें देखने को नहीं मिलतीं। जब हमने पिछली दफा केन्द्र की पार्लियामेंट के सदस्यों को आमंत्रित किया था और उनके समक्ष जो प्रदेश का नक्शा प्रस्तुत किया था उसमें किसी बात को छिपाने की चेष्टा नहीं की थी और आज भी जो हमने बजट प्रस्तुत किया और जो पुस्तिकायें बजट के सम्बन्ध की छापी उनमें भी अपनी कमियों को छिपाये नहीं। सरकारें स्टैटिस्टिक्स की जगलरी में जनता को एक दूसरा मार्ग भी दिखा सकती हैं, जनता को बहकाने की भी चेष्टा कर सकती हैं और चुनाव के साल में तो दल विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तो आज मैं इन आलोचनाओं के विषय में चर्चा करते हुये इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत लम्बा-चौड़ा प्रदेश है और कमियों और खामियों से भरा हुआ है। उसकी ये कमियां और खामियां उन जगहों पर आलोचनायें करने से जहां आलोचनाओं की आवश्यकता नहीं है, दूर होने वाली नहीं हैं। काम तो जभी बनेगा जबकि जो उद्देश्य नियोजन के हैं उनमें प्रत्येक दल, इस प्रदेश का प्रत्येक युवक और युवती सहायता देने के लिये उद्यत हो और यही मांग मैंने उस समय भी सदन के समक्ष उपस्थित की थी जब मैं बजट के जनरल डिस्कशन में हिस्सा ले रहा था और आज फिर उसी बात को कहता हूं कि आखिरकार जब हमने नियोजन की पद्धति को अपनाया और एक डेमोक्रेटिक ढंग से नियोजन को सारे प्रदेश में कार्यान्वित करने की घोषणा की तो उसके पीछे क्या भावना छिपी हुई थी ? उसके पीछे यही भावना छिपी हुई थी कि जो हमारे सामने या हमारे पीछे बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वे सब उस कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दें जिसकी वजह से हम देहात के रहने वालों को जो कि बहुत-सी बातों की जानकारी से अनभिज्ञ हैं उन्हें उन बातों की जानकारी करायें और उनके उन प्रयासों में स्वतः अगुआ बन कर सहायता देने की चेष्टा करें। क्या हमने, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, इस कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया है ? हममें से कितनों ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में उन योजनाओं से अधिक से अधिक फायदा उठाने की चेष्टा की है और उन किसानों को अपने पीछे चलने के लिये आमंत्रित किया है जिनके प्रतिनिधि बन कर हम यहां विभिन्न प्रकार की बातों की घोषणा करते हैं ? मैं नहीं जानता कि माननीय राजा राघवेन्द्रप्रतापसिंह जी उन किसानों के सब से बड़े अगुवा हैं या माननीय गेंदासिंह जी या राजनारायण जी हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक यह दावा करता है कि वह ही किसानों के हितों की रक्षा कर सकते हैं, वह ही किसानों की तकलीफों को समझ सकते हैं। मुझे भी थोड़ी मात्रा में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घूमने-फिरने का अवसर मिला है, यद्यपि मैं इसका दावा नहीं करता हूं और इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि आज जितना अधिक समय गेंदासिंह जी उनके बीच में व्यतीत करते हैं कदाचित् उतना मुझे समय बिताने का अवसर नहीं मिला है परन्तु इतना तो मुझे ज्ञान है कि मैं प्रदेश के सब से पिछड़े हुये हिस्से का प्रतिनिधि हूं और मुझे उस क्षेत्र में घूमने-फिरने का अवसर मिला है और मैं यह कह सकता हूं कि भले ही आज गेंदासिंह जी संतोष न कर सकें परन्तु देहात के जीवन में परिवर्तन नहीं है और देहात के जीवन में परिवर्तन के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी तथा अन्य साथीगण इन प्रश्नों को सामने नहीं रखना चाहते हैं और न वह उन बातों से अपने को दूर रखना चाहते हैं जो देहात में उत्तरोत्तर १०–१५ वर्षों में हुई हैं और जिनके बीच से देहात वाले गुजर रहे हैं।

भले ही आज प्रदेश की राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि न हुई हो, भले ही हमारी परकैपिटा इनकम न बढ़ी हो और हम उसका मुकाबला अन्य प्रदेशों से न कर सकें। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि देहात के जीवन में एक क्रान्ति आई है, एक आज समन्वय की भावना पैदा हुई है और उत्तरोत्तर प्रगति के चिन्ह जगह-जगह पर दिखाई पड़ते हैं। क्या १५–२० साल पहले किसान इसी स्थिति से गुजरता था जिससे आज कल गुजर रहा है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां मैंने देखा कि जहां पहले दिया ही जला करते थे वहां आज गांव-गांव में लालटेन हैं, वहां टार्च भी दिखाई

पड़ते हैं, सीने की मशीन के भी दर्शन करने को मिलते हैं, साइकिल इत्यादि तो प्लेन्स में दिखाई देती ही हैं। उन गांवों में पहले कभी पक्के मकान देखने को नहीं मिलते थे, वहां आज पक्के मकान बन रहे हैं। एक लाख गांवों में से ५०-६० हजार गांव ऐसे दिखाई पड़ेंगे जहां पहले कभी ईंटें दिखाई नहीं पड़ती थीं वहां आज ईंटों के भवन और मकान बनते हुये दिखाई पड़ते हैं। क्या यह प्रगति नहीं हुई है ?

मैं माननीय मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से मैं उनकी बातों को सुनता हूं उसी तरह से मेरी बात वह सुनने की कृपा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भले ही हमारे प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम होनी चाहिये थी उस तक न पहुंच पाये हों और उसका कारण है। मेरे मित्र गेंदासिंह जी ने पत्र में भेजे हुये आर्टिकिल के संबंध में सदन का ध्यान दिलाया था और उन शब्दों को जो आर्टिकिल में थे कोट किया था कि मैंने उसमें कहा है कि दस साल तक जहां तक उद्योग धंधों का विषय है हमने खोया है। मैं उन्हीं शब्दों को यहां पर दुहराता हूं। जिन शब्दों को मैंने कहा है उनके पीछे वास्तविकता छिपी हुई है। वह यह है कि आखिर उद्योग धंधों को हम अपने यहां फैलाना चाहते हैं तो उनके लिये हमें वातावरण बनाना पड़ता है, साधन जुटाने पड़ते हैं, आज पग-पग पर बिजली की आवश्यकता पड़ती है। क्या इन दस वर्षों में हम इतनी बिजली पैदा कर पाये हैं, क्या हम इन दस वर्षों में इतने साधन मुहैया कर सके हैं, क्या उन साधनों को प्राप्त करने के लिये हम उतना इनवेस्टमैन्ट कर सके हैं ? जहां वह आंकड़े मेहता-कमेटी के कोट करते हैं और रिजर्व बैंक के कोट करते हैं, क्या उन आंकड़ों से मैं सिद्ध नहीं कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां के लोग सबसे कम टैक्स देते हैं ? जब टैक्स कम लगता है और हम अधिक बचत भी नहीं दिखा पाते हैं तो इनवेस्टमेंट करने के लिये रुपया कहां से मुहैया हो जाय ? केन्द्र की बातें करते हैं। केन्द्र की पर कैपिटा इनकम की चर्चा की जाती है। क्या हम नहीं जानते कि केन्द्र ने उद्योग धंधों पर सारे देश में कितना धन व्यय किया है, कितने टैक्स लगाये हैं, और उसके द्वारा साधनों को मुहैया किया ? हमने द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कितना धन व्यय किया ? अगर हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को देखें तो ३०० करोड़ प्राइवेट सेक्टर और ३८० करोड़ पब्लिक सेक्टर में दोनों योजनाओं के तहत में हमने खर्च किया है। केन्द्र ने १२ हजार करोड़ के नजदीक व्यय किया है। उसने कितनी राष्ट्रीय आमदनी में बढ़ोत्तरी की, इसके आंकड़े मेरे पास हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब वे आंकड़े इकट्ठा करते हैं, तो मेरे अधिकारी मुझे भी आंकड़े निकाल कर दे जाते हैं। लेकिन मैं आंकड़ों के ऊपर अपने केस को बहुत बेस करने की चेष्टा नहीं करता हूं। जो वास्तविकता मेरे नजर के सामने गुजर रही है उसको मैं माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने पहली और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत कम धनराशि उद्योग धंधों और रोजगारों पर लगाई। उसकी वजह से हम उतनी मात्रा में अपनी पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा सके। केन्द्र भी हम को वैसे सेंट-परसेंट रुपया नहीं दे देता है, ऋण या अनुदान रूप में। वह हमें अपने पैरों पर खड़े होने की नीति का निर्देशन करता है। उसके अन्दर यह होता है कि हम अधिक टैक्स लगायें, अधिक ऋण लें, अधिक बचत करें और तब योजनाओं को कार्यान्वित करने में आगे बढ़ सकें। लेकिन हम ६८० करोड़ रुपया ही उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में व्यय कर पाये। नतीजा उसका यही हुआ कि हम अपनी उतनी आमदनी नहीं बढ़ा पाये जो कि हमारी बढ़ती हुई जन-संख्या के अनुपात में परकैपिटा इनकम बढ़ जाती। तो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इनवेस्टमेंट की कमी रही है और इनवेस्टमेंट तकलीफ झेल करके ही जुटाया जा सकता है।

हमारे सामने वेस्टर्न जर्मनी और जापान की चर्चा हुई। लेकिन जिस जर्मनी और जापान की चर्चा की जाती है, क्या यह बात किसी से छिपी हुई है कि वहां के नागरिकों ने, वहां के पैदा करने वालों ने, मजदूरों और किसानों ने, अपने को वंचित करके, चीजों को बना-बना कर, विदेशों को भेज कर अपने देश की आमदनी को बढ़ाया था ? वह जर्मनी जिसके कल कारखाने बिलकुल नेस्तनाबूद हो गये थे, वह उत्तरोत्तर बहुत बढ़ता दिखाई देता है। वहां के नागरिकों ने कितनी

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

बड़ी मेहनत और कुर्बानी की है ? क्या हमने अपने देश में उस मेहनत का परिचय दिया है ? क्या हमने वह कुर्बानी की है ? अगर कुर्बानी नहीं की है और आलोचना ही करते रहें, तो वह कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है जिसकी माननीय गेंदासिंह और इधर और उधर के बैठने वालों की इच्छा है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो हमें प्रयास करना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना हमें धीरे-धीरे उस ओर ले जा रही है । आज हम चेष्टा कर रहे हैं कि हमारे बीच में उद्योग धंधे विकसित हों। जो हमने उद्योग धंधों की योजना घोषित की है वह क्या हमें उस दिशा में नहीं ले जायगी ?

आज क्या उद्योग धंधों की वही हालत है, या उनके विषय में वही विचार है जो विचार आज से ५ या ७ साल पहले थे ? उत्तरोत्तर क्या हमारी योजनायें इस प्रदेश के रहने वालों को उस दिशा में व्यवसाय की तरफ, उद्योगधन्धों की तरफ नहीं ले जा रही है ? प्रदेश क्या आज उत्तरोत्तर विकसित नहीं हुआ है और क्या हम उत्तरोत्तर उसे और विकसित होने के लिये प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं ? किसी भी क्षेत्र में आज चले जाइये, जहां कोई उद्योग धन्धा पहले प्रदेश के किसी एक कोने में चलता था क्या उसे आज विकसित करने का प्रयास नहीं किया गया है और उसकी पैदावार को बढ़ाने की चेष्टा नहीं की गई है और क्या उसकी पैदावार पहले से कई गुना नहीं हो गई है ? आप हैन्डलूम को ले लीजिये । इसको बढ़ाने के लिये क्या-क्या प्रयास नहीं किये गये ? उसके बढ़ने से आज कितने ही व्यक्तियों को क्या रोजगार नहीं मिला है ? कितनी मात्रा में आज हैन्डलूम का कपड़ा तैयार होने लगा है ? मुरादाबाद में चले जाइये, मुरादाबाद का पीतल का उद्योगधन्धा क्या इन वर्षों में विकसित हुआ है या नहीं ? बनारस में चले जाइये, बनारस का रेशम का उद्योग धन्धा विकसित हुआ है या नहीं ? या मऊ में हैन्डलूम का रोजगार विकसित हुआ है या नहीं ? मिर्जापुर में क्या कालीनों का रोजगार विकसित हुआ है या नहीं ? आगरे में जाइये, आगरे का जूतों का व्यवसाय विकसित हुआ है या नहीं ? कानपुर में छोटे-मोटे रोजगार विकसित हुये हैं या नहीं ? तो यह योजनायें हमें आज किधर लिये जा रही हैं ?

हां, यह सही है कि आज सारे प्रदेश में सभी दिशाओं में हम इन उद्योगों को फैला नहीं पाये हैं । परन्तु उनके फैलाने के लिये भी तो अधिक मात्रा में साधनों की आवश्यकता है और वह धीरे धीरे ही तो उपलब्ध होंगे । तृतीय पंच वर्षीय योजना में जैसा मैंने कहा कि बिजली की आवश्यकता है। प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योग धन्धों को चलाने के लिये उतनी मात्रा में बिजली हम पैदा कर नहीं पाये, हमारी दिक्कतें रहीं, साधनों की कमी रही जिस कारण आठ साल हमारे ये वेस्ट हो गये, बेकार में व्यतीत हो गये । अगर बिजली हमारे पास होती तो बिजली की सहायता से हम अधिक इन उद्योगों को गांव-गांव में फैला सकते और विकसित कर सकते थे, कस्बों कस्बों में हम इनको ले जा सकते थे । आज इस तृतीय पंच वर्षीय योजना में हमने इस तरफ पूरा ध्यान दिया है और ४९७ या ५०२ करोड़ रुपये की योजना में १०७ करोड़ रुपया बिजली पर व्यय होने वाला है । क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो रहा है कि जो गलतियां और भूलें हम आज तक करते रहे हैं उनको भुलाकर हम इस प्रयास में लगे हुये हैं कि अधिक से अधिक बिजली का उत्पादन हम करें ? प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में जितनी बिजली हमने पैदा की उसकी चौगुनी बिजली हम तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिये व्यवस्था कर रहे हैं । तो क्या हमारा कदम उस दिशा में नहीं जा रहा है जिस दिशा में चलाने के लिये वह हमें आमंत्रित करते हैं ?

उन्होंने कहा कि इनइक्वैलिटी तो वैसे ही चल रही है । क्या यह वास्तविकता है ? क्या यह सही बात है ? इस सरकार ने जमींदारी का उन्मूलन करके, सीलिंग का बिल, ऐक्ट बनाकर या बड़े-बड़े जो फार्म्स थे उनके ऊपर टैक्स लगाकर और आज उस दशा में चलकर क्या इस नये दृष्टिकोण को पैदा करने की चेष्टा नहीं की है ? कहां है वह जमींदार ? कहां हैं वे बड़े बड़े लैंड ओनर्स और बड़े-बड़े फार्म्स ? यद्यपि वह आज भी हैं लेकिन क्या बड़े बड़े टैक्स देने के बाद उनकी आमदनी उतनी ही है जितनी पहले थी ? क्या उसमें कोई घटोत्तरी नहीं

हुई है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण जो इस प्रकार से सोचते हैं वह जो वास्तविक ढांचा हमारा बन रहा है उसके स्वरूप को देखने की चेष्टा नहीं करते । वह जमींदार जो गांवों पर राज्य करते थे, जो किसानों के मालिक होते थे, जो किसानों की जमीन के मलिक होते थे वह आज अपने गांवों में तो बस नहीं रहे हैं, वह बेचारे इधर उधर रोजगार के लिये घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं । उनके बच्चे आज उस हालत में नहीं हैं जिस हालत में आज से पन्द्रह वर्ष पहले रहते थे और जिस प्रकार से यह अपना जीवन व्यतीत करते थे, उस प्रकार व्यतीत करते हुये आज दिखाई नहीं पड़ते हैं । तो मैं कहना चाहता हूं कि इनइक्वैलिटी की बात कैसे कही जाती है ? हां, यह सही है कि हमने वह ढंग तो अख्तियार नहीं किये जो कि रूस में बरते गए और जो चीन में बरते गए क्योंकि हमारी तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग है । डेमोक्रेटिक प्लानिंग में वे तरीके बरते नहीं जा सकते ।

आप अधिकारियों की निन्दा करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं, अधिकारियों ने यह नहीं बदला, वह नहीं बदला, आप उसकी चर्चा करते हैं । मैं यह मानकर चलता हूं कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि जो आज तक नहीं बदले हैं, लेकिन वह बदलेंगे कैसे ? वह क्या महज हमारे एक आर्डर निकाल देने से बदलेंगे ? उनके बदलने के लिये एक वातावरण समाज के अन्दर पैदा करना पड़ेगा । उस समाज के अन्दर उस वातावरण को कौन पैदा करेगा ? समाज के नेता उस वातावरण को पैदा करेंगे, चाहे वह इधर बैठते हों और चाहे उधर बैठते हों । उनको स्वयं अपने अन्दर कुछ परम्परायें बनानी पड़ेंगी । यदि यह सरकार किसी काम को पूरा करने की चेष्टा करती है, जिसको हमारे भाई फिजूल समझते हैं, और यदि वे काम मुकम्मिल होते हैं तो इससे देश आगे बढ़ता है । इसका असर सरकारी कर्मचारियों पर भी जाकर पड़ता है । सरकारी कर्मचारियों में सभी प्रकार के हैं । उनमें अच्छे भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सेवा की भावना से प्रेरित होकर काम करते हैं । ऐसे भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी पहली भावना को बदला नहीं है । जिन्होंने अपनी भावना को बदला नहीं है उनकी भावना को बदलने में हमारे सामने और हमारे पीछे बैठने वाले भाइयों को हमारी सहायता करनी होगी और उनके विचारों में भी परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी होगी । क्या हम अपनी कुर्बानी और अपनी परम्पराओं के द्वारा उन परिवर्तनों को लाने की चेष्टा करते हैं ? मगर यहां तो आलोचना करके बैठ जाना है और टीका टिप्पणी करनी है और जनता को यह बताना है कि यह सरकार निकम्मी है और यहां पर कोई काम अच्छा नहीं हुआ है, कोई प्रगति नहीं हुई है, इस प्लानिंग को खत्म करना चाहिये और इस प्लानिंग से कोई देश का भला होने वाला नहीं है ।

इस प्रकार के विचार यदि किसानों के पास पहुंचते हैं तो क्या किसान, जो इससे बिलकुल अपरिचित है, जिसको जानकारी नहीं है, वह हमारा साथी बनकर चलेगा ? आज मैं यहां बैठा हूं । कल त्रिलोकी सिंह जी आकर बैठ सकते हैं । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी आलोचनायें क्रियात्मक ढंग से होनी चाहिये । हमने कमियां दिखाई हैं और उस दिशा में हम जा नहीं पाये हैं जिस पर चल सकते थे लेकिन हमने किन्हीं क्षेत्रों में प्रगति की और किन्हीं क्षेत्रों में नये विचारों में परिवर्तन भी पैदा किया है और किन्हीं दिशाओं में हम आगे चलकर देश के मसलों का अध्ययन करके देश को ले जाना चाहते हैं जिस तरफ चलकर प्रगतिशीलता का परिचय पग पग पर हम अपने बीच में देख सकते हैं ।

यहां पर कहा गया कि अंग्रेजी राज्य के समय में जो इर्रीगेशन फैसिलिटी यहां पर दी गई वह बहुत ज्यादा रही और हमारे समय में इर्रीगेशन फैसिलिटी कम हो गई । उनमें अभी तक हम पीछे गये हैं और किसी मात्रा में आगे बढ़े नहीं हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजी जमाने का समय यदि यहां पर १०० वर्ष रहा और उसमें वह ६०, ६२ लाख एकड़ में इर्रीगेशन की फैसिलिटी दे गये और इधर १० वर्षों में हमने २१, २२ लाख एकड़ को और इर्रीगेशन करने का प्रबन्ध कर लिया तो इसमें कौन-सा बड़ा भारी दोष है ? कहा जाता है कि हमने कोई

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

इर्रीगेशन का कार्य नहीं किया और यदि हमने किया तो उन स्थानों में जहां पर इर्रीगेशन की फैसिलिटी देना इकोनामिकल नहीं था, वहां पर किया । ऐसे स्थानों को अगर हमने इर्रीगेशन की फैसिलिटी दी तो हमने क्या गलत बात की ? कई हमारी योजनायें अन इकोनामिक हैं । हमारी बहुत-सी इर्रीगेशन फैसिलिटी की योजनायें भी अन इकोनामिक है । मैं इस बात को छिपाना नहीं चाहता हूं लेकिन क्या प्रदेश में ऐसे क्षेत्र नहीं थे जिनकी यह मांग थी और जिनकी इच्छा यह थी कि हम अनइकोनामिक योजनाओं को कार्यान्वित करके उन किसानों को फायदा देने की चेष्टा करें और उनकी खेती बाड़ी को बढ़ाने के लिये और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिये वह कार्य करें ? कोई भी सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहलाने का दावा करती हो और उस पर चलने की चेष्टा करती हो उसका यह कर्तव्य होगा कि हर एक ऐसे क्षेत्रों में, जो बैकवर्ड हैं, जहां पर विकास कार्य नहीं हुआ है, जहां पर लोगों की पैदावार बढ़ाना नितान्त आवश्यक है, वहां उस सरकार को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं और अनइकोनामिक योजनाओं को कार्यान्वित करना पड़ता है । इसलिये सरकार ने जो किया है उसमें कोई भूल नहीं की ।

माननीय सदस्य ने शिक्षा के संबंध में बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार कुछ नहीं कर रही है । मैं यह मानता हूं कि आज जो आल इंडिया के फिगर हैं उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते । इस बात को हमने छिपाया नहीं है । मुकाबले में हम उनको बराबर नहीं आते हैं लेकिन प्रगति नहीं है और हम आगे बढ़े नहीं हैं, क्या यह सही आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं । यदि हमने पहली योजना में १०० में ३४ फीसदी ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षित किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना उस संख्या को ४५ फीसदी कर दिया और बाद में उसको ६५ फीसदी करदें तो क्या यह बच्चों की शिक्षा में आगे बढ़ने का उत्तरोत्तर प्रयत्न नहीं है ? उस दिशा में हम आज कार्य कर रहे हैं । उस दिशा में हम प्रयत्न लाने की चेष्टा कर रहे हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारी डेमोक्रेटिक प्लानिंग का जो ढंग है उसका मुकाबला उन देशों की प्लानिंग से नहीं किया जा सकता है जिन देशों में एक व्यक्ति या चन्द व्यक्ति व्यक्तियों के समुदाय को आदेश दे देता है और सारी चीजें एक दो, चार दिन में हो जाती हैं । आज अगर एक अधिकारी गलती करता है तो इस डेमोक्रेटिक प्लानिंग के युग में हम एक आर्डर से उसको निकाल सकते हैं क्या ? उसकी नौकरी ले सकते हैं ? उसको बेरोजगार बना सकते हैं ? आज तो ऐसा नहीं है । आज तो सारे प्रोसिजर में आपने एक नियंत्रण रख छोड़ा है और वह सही है क्योंकि किसी सरकार को आप निरंकुश नहीं बना सकते । तो उन्हीं तमाम प्रतिबंधों के बीच में सरकार को काम करना पड़ता है और इसलिये आज हमारा मुकाबला जो टोटैलिटेरियन स्टेट्स हैं उनके कामों से नहीं किया जा सकता । हमारे कार्य करने का ढंग जनता को अधिक शिक्षित करने का है और शिक्षित करके जनता को तेजी के साथ अपना सहयोगी बनाने का है और ऐसा करने में हमेशा समय लगता है । ऐसा करने में देरी लगती है, ऐसा करने में महज कह देने से कार्य नहीं बनता । तो मेरा निवेदन है कि जब हम नियोजन के विषय पर विचार करें, सोचें, अपनी आलोचनायें प्रस्तुत करें तो हमें एक संतुलित ढंग से इन बातों को भी अपनी नजर के सामने रख लेना चाहिये कि जो इस देश में गुजरी हैं और अन्य देशों में गुजरी हैं और जिन्हें नियोजन के द्वारा अपनी तरक्की करने का अवसर मिला है ।

जहां हमारी आलोचना की गयी वहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कम साधन होते हुये भी काम ज्यादा किया है । मेरे पास आंकड़े हैं और उनसे यह सिद्ध होता है कि जितने कम साधन हमारे पास थे उनको देखते हुए हमने कम प्रगति नहीं की है । आल इंडिया फीगर्स को देखते हुए हमारी प्रगति ज्यादा रही है । जो आंकड़े मेरे सामने हैं उनको देखते हुए सिवाय इसके मैं किसी और नतीजे पर नहीं पहुंच सकता कि साधन कम थे लेकिन हमारी प्रगति कम नहीं रही । केन्द्र ने ११.४६० करोड़ रुपया लगा कर २.८२ साधनों की प्रगति की । आंकड़े मेरे पास १९५०–५१ से १९५८–५९ तक के ही हैं । हमने ५५० करोड़ रुपया उत्तर

प्रदेश में व्यय किया और उससे सारे प्रदेश में २३० करोड़ रुपये की आय बढ़ी और भारत वर्ष में ११४६० करोड़ रुपया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर हुआ बताया जाता है, उसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर १९५०–५१ से १९५८–५९ तक ८,००० करोड़ रहा । तो २.८४ तो उन्होंने अपनी आमदनी बढ़ायी और इतने कम साधनों के होते हुये २.४ हमने अपनी आदमनी बढ़ायी । तो इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि हमारे साधन कम रहे लेकिन हमारी जो आमदनी की मात्रा रही वह केन्द्र के मुकाबले में बहुत कम नहीं रही ।

फिर जैसा मैंने कहा कि हमारा इनवेस्टमेंट बहुत इनएडुकेट रहा और उसके होते हुए हम अपनी पर कैपिटा इन्कम को बढ़ा नहीं सकते थे । इसलिये आज हम सबका यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि हम इनवेस्टमेंट को बढ़ाने का प्रयत्न करें और प्रादेशिक सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना को रचने के समय एक बड़ा बोल्ड कदम उठाया और वह यह कि उसने ७३४ करोड़ की एक योजना प्रदेश को प्रगति कराने के लिये तैयार की । योजना आयोग ने उसको ४९७ की या ५०२ करोड़ की स्वीकृति दी, जैसा कि सदन को बतलाया जा चुका हो । यह एक लम्बी चौड़ी योजना है और यह तभी कार्यान्वित हो सकेगी जब कि प्रदेश की जनता का, प्रदेश के प्रत्येक दल का, उसके सदस्यों का पूरा-पूरा सहयोग उसमें हो । क्या यह छिपी हुई बात है कि यदि योजना को पूरा करना है तो इस प्रदेश के रहने वालों को अधिक त्याग करना पड़ेगा, अधिक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, अधिक परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा । तो जब यह योजनायें कार्यान्वित हो जायेंगी और इस प्रकार की योजनायें सन् १९७५ तक कार्यान्वित होती रहेंगी तब जाकर हम अपने प्रदेश के लोगों को सुख समृद्धि प्रदान कर सकेंगे, और वह मार्ग दिखा सकेंगे जिसकी आकांक्षा इस देश के प्रत्येक नागरिक के हृदय में है ।

तो मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी लम्बी चौड़ी योजना है, इसके कार्यान्वित करने में अगर कहीं पर भी रुकावट आती है, तो हम अपने उन ध्येयों की पूर्ति नहीं कर सकते जिनको हम करना चाहते हैं । आज यह कह देना कि आज किसान को पूरी मात्रा मे फायदा नहीं पहुंच रहा है, पूरी मात्रा में उसकी तकलीफें रफा नहीं हो रही है, तो मैं इस कथन को असिद्ध नहीं करना चाहता, किन्तु इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रत्येक मांग को पूरा करना संभव नहीं है, हम पूरी मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पूरे क्षेत्र की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं । मैंने अभी जैसा कहा, मैं ऐसे क्षेत्र से आया हूं जहां पर पूरा क्षेत्र अविकसित है, जहां अस्पतालों की कमी है, स्कूलों की कमी है, मेटरनिटी होम्स की कमी है, और भी कई बातों की कमी है। तो क्या मैं, अपनी सीमित साधनों के होते हुये, यह घोषणा कर सकता हूं कि वहां प्रत्येक क्षेत्र में वे सभी सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी? क्या मेरे पास उतने साधन मोहय्या हैं? जिससे जिससे मैं वहां की जरूरतों को पूरा कर सकता हूं । अगर एक क्षेत्र को ले लूं और दूसरे क्षेत्र को न लूं तो क्या यह मेरे द्वारा अन्याय न होगा? इसलिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें तो हर तरफ देखना पड़ता है । हर बात पर संतुलित ढंग से विचार करना होता है । संतुलित ढंग से हर जगह सहायता प्रदान करनी पड़ती है ।

यह कहा गया कि दो योजनाओं के बाद भी इन्सटाल्ड कैपेसिटी हमारी अधिक मात्रा में नहीं बढ़ पायी । इसके बारे में भी कह देना चाहता हूं कि तृतीय योजना में जो हमने इसके लिये कोशिश की है और योजना बनाई है, यदि वह ठीक तरह से कार्यान्वित हो गयी तो निश्चय ही हम आज से चौगुनी बिजली पैदा कर सकेंगे और काफी उद्योगधंधों को अपने यहां बढ़ा सकेंगे, जिनकी कमी आज हम महसूस कर रहे हैं । काफी लोगों को हम उससे रोजगार भी दिला सकेंगे ।

इसके अलावा हम काफी संख्या में लोगों को खेती से हटाकर दूसरे रोजगार में भी लगा सकेंगे । आज ऐसा करना बहुत आवश्यक हो गया है क्योंकि आज जितने लोग खेती में लगे हुये हैं उनकी आने वाले वर्षों में खेती में इतनी जरूरत नहीं रहेगी, हम उनको खेती में नहीं खपा पायेंगे । खेती में आज उन सभी के लिये रोजगार नहीं है । चन्द आदमियों को तो खेती में

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

आज पूरी मात्रा में रोजगार मिला हुआ है किन्तु चन्द आदमियों को नहीं मिला है । तो आज इस बात की आवश्यकता है कि कुछ लोगों को खेती से दूसरी तरफ अन्य उद्योग धंधों में लगाया जाय । आज जरूरत इस बात की है कि जितनी एकरेज भमि हमारे पास है उसमें ही अधिक मात्रा में हम फसल उत्पन्न करने के साधन उन लोगों को प्रदान करें। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना हमें उसी दिशा में ले जाना चाहती है । यदि हमें इस देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग, प्रत्येक दल का सहयोग, सदन के हर सदस्य का सहयोग मिलता रहा तो निश्चय ही हम प्रगति की ओर एक भारी कदम उठा पायेंगे और काफी संख्या में लोगों को खेती से हटाकर उद्योग धंधों में ले आयेंगे, उनको रोजगार भी दिला पायेंगे जिनके पास पूरी मात्रा में खेती करने के साधन नहीं हैं ।

कई माननीय सदस्यों ने अन्य सुझाव भी दिये । जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के तत्वावधान में कार्य हो रहे हैं उनकी आलोचना भी की । मैं उन आलोचनाओं से अपरिचित नहीं हूं । मैं यह मानता हूं कि जीप के प्रयोग से अधिकारियों में आज वह उत्साह नहीं है जो एक पैदल चल कर उनके अन्दर पैदा हो सकता है और आज पूरा फायदा नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं जीप्स का दुरुपयोग होता है और उस दुरुपयोग की कहानी हम तक पहुंचती है तो हम उस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, यद्यपि हम और आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जीप्स की जो व्यवस्था है वह एक पैटर्न के तहत में चल रही है, केन्द्र ने उस पैटर्न को सारे देश के लिए स्वीकार कर रखा है । लेकिन मैं आज सदन के सदस्यों को कह देना चाहता हूं कि यदि हमारे पास जीप के दुरुपयोग की शिकायतें आयेंगी तो मैं अवश्य इस बात की चेष्टा करूंगा कि उस क्षेत्र में जहां के बी० डी० ओ० के खिलाफ या अधिकारी के खिलाफ जीप के दुरुपयोग की शिकायत आती है तो जीप को उनके बीच से हटा लूं और उनसे पैदल चलने के लिए और साईकिल पर चलने के लिए कहूं कि वह साईकिल पर चल कर काम करें और उस प्रयास को भी आजमा कर देखें कि कितनी मात्रा में और किस दशा में वह कार्य कर सकते हैं । आज तो हर एक के बीच में, चाहे अधिकारी हो, विधायक हो या किसी क्षेत्र में कार्य करता हो उससे यह आशा की जाती है कि जब हम देश के निर्माण के कार्य में जुटे हुये हैं तो हम अपने आदर्शों को जनता के बीच में प्रस्तुत करें और वह लोग जो चाहे सरकारी अफसर हों, खेत में काम करने वाले हों, सचिवालय में काम करने वाले हों, सबको एक ही दिशा और एक ही ध्येय को सामने रख कर कार्य करना है । हमें सरकारी कर्मचारी को अपने बीच से अलग रख कर आलोचना नहीं करनी है । उसमें भी उसी प्रकार की आत्मा है, वह भी इसी देश का निवासी है । वह क्या अपने देश के प्रति प्रेम नहीं रखता ? वह अपने देश के नवनिर्माण की अभिलाषा नहीं रखता ? अगर वह कर्तव्य-पालन से दूर हटता है तो उसे ताड़ना मिलनी चाहिए, उसे सजा भी मिलनी चाहिए और उसको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए ।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां उन्हें इस प्रकार की शिकायतें मिलें, वह उनको मंत्राणी जी के सामने रखें और जो अधिकारी या बी० डी० ओ० इन चीजों का दुरुपयोग करते हैं, वह उनके ध्यान को बदलेंगी और बदल करके एक नयी दिशा में गौर करने की क्षमता पैदा करेंगी ।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ भी ध्यान आमंत्रित किया कि एग्रिकल्चरल प्राइसेज और जो किसान चीजों को इस्तेमाल करता है, उनके बीच में यह सरकार "पैरिटी" नहीं ला पायी है । मैं उस "पैरिटी" के माने तो समझ नहीं समझ सका, लेकिन यह अवश्य कहना चाहता हूं कि आज भी बहुत सी चीजें जिन्हें किसान इस्तेमाल करता है उनकी कीमत उसकी आमदनी के हिसाब से कोई घटी नहीं है। लेकिन आज उन प्राइसेज में जो संतुलन लाने की बात है वह प्रयास तो सरकार कर रही है । हम और प्रत्येक सदस्य इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान को; जितना वह पैदा करता है और जितनी मेहनत से पैदा करता

है उसके अनुपात में उसको कीमत पैदा की हुई चीजों की नहीं मिलती, तभी तो आज सरकार ने वेयर हाउसिंग योजना चलायी है, जिससे किसान जबकि उसके पास धन न हो, वह वेयर हाउसेज में अपना माल रख दे और ऐसे समय में बेचे जब कि उसको अच्छे दाम बाजार में मिल सकें और बीच के आदमी को जो नफा चला जाता है वह उसी को मिल जाय ।

यही नहीं है, आज विभिन्न नियंत्रणों के द्वारा कीमतों में संतुलन लाने की चेष्टा की जा रही है । क्या किसान इतनी कीमत पा सकता है, यदि उसके ऊपर नियंत्रण न हो और उसे नियंत्रित कीमत न दिलाई जाय आज यदि शक्कर की कीमत पर नियंत्रण न रहे तो जो लाखों टन चीनी मिलों में भरी पड़ी हुई है उसकी कीमत इतनी गिर जायगी कि हजारों व्यक्तियों का इसमें नुकसान हो जायगा और यह जो हमारे प्रदेश का मुख्य उद्योगधंधा है वह हमारी नजरों से ओझल होता हुआ नजर आवेगा । तो यह नहीं है कि सरकार कीमतों में सन्तुलन लाने की चेष्टा नहीं कर रही है । हमने कीमतों को संभालने और उनमें सन्तुलन रखने की बराबर चेष्टा की है और उत्तरोत्तर इस दिशा में हम जा रहे हैं । यह भी बात किसी से छिपी नहीं है कि जब इतने हैवी इनवेस्टमेंट्स होते हैं तो इनफ्लेशन होता है । दुनिया के प्रत्येक देश में जहां-जहां विकास के कार्य हुए, जहां हेवी इनवेस्टमेंट हुए, वहां इनफ्लेशन बढ़ा है ।

मैं अधिक और समय न लेकर आपके बीच में आंकड़ों के जंगल में नहीं जाऊंगा यद्यपि वैसे तो अधिकारियों ने मेरे पास और भी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं । सदन से निवेदन करूंगा कि हम उत्तरोत्तर उस प्रयास की ओर जा रहे हैं जहां पहुंचकर हम किसान को और भावी नागरिकों को वह समाज दे सकें जिसमें असमानता देखने को न मिले, जिसमें हर एक को बढ़ने की अपार्चुनीटीज बराबर मिलें । यही हमारे कार्य करने की पद्धति है । यही हमारी अभिलाषा है और हम इसे पूरा करने में समर्थ तभी हो सकेंगे जबकि हमको योजनाओं के चलाने में प्रत्येक वर्ग का सहयोग और सहायता मिलेगी । इसके लिये प्रदेश के लोगों को आंसू भी देने होंगे, पसीना भी देना होगा और परिश्रम से गुजर कर अधिक से अधिक देश और प्रदेश की सेवा में अपने को ना होगा । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रदेश के विभिन्न नेतागण हमारी सहायता करते हुए जो अभिलाषा वे रखते हैं उसे सार्थक बनाने की चेष्टा करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मेरी सदन से प्रार्थना है कि जो अनुदान सदन की स्वीकृति के लिये माननीय श्रम मंत्राणी महोदया ने रखा है उसे स्वीकार करे ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । विभागीय नीति तथा योजनायें जनहित में नहीं हैं, यह स्पष्ट करना तथा समुचित नीति बिन्दुओं का उल्लेख करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और श्री मोती लाल अवस्थी द्वारा विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गई ।)

श्री अध्यक्ष--जब तक इस अनुदान पर राय न ले ली जाये, ५ बजे के बाद, तब तक के लिये मैं सदन का समय बढ़ाता हूं ।

(घंटी बन्द होने के उपरान्त प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--योजना और एकीकरण के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ९,५२,६६,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विभिन्न समितियों की निर्वाचन सम्बन्धी तिथियों में परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष––अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों को परामर्श देने के लिये स्थायी समिति, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति के निर्वाचन के लिये मैंने जो पहले कार्यक्रम तय किया था उसके अनुसार नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि १७ अप्रैल थी लेकिन कांग्रेस पार्टी के सचिव ने प्रार्थना की है कि उसका समय बढ़ा दिया जाय, इसलिये मैंने नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की तिथि २० तारीख तक बढ़ा दी है। इसी के अनुसार कुछ और परिवर्तन हो जायेंगे। अब सूक्ष्म परीक्षा सचिव के कमरे में २२ अप्रैल को होगी और नाम वापिस लेने की अंतिम तिथि २८ अप्रैल होगी। निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो जैसा मैंने पहले इसके लिये ४ मई रखा था, वही तिथि रहेगी।

चीनी मिलों के मालिकों द्वारा गन्ने की कीमत का भुगतान न करने आदि के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत चर्चा

श्री अध्यक्ष––अब चीनी के भारी स्टाक जमा हो जाने के कारण इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा गन्ने के दामों तथा अन्य बकायों के भुगतान में असमर्थ होने की सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ५३ के अन्तर्गत श्री मदन पांडेय द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विवाद शुरू होगा।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)––अध्यक्ष महोदय, जहां मैं प्रदेश के गन्ना किसानों की तरफ से इस विषय पर आपके द्वारा समय दिये जाने पर आभार प्रकट करता हूं साथ ही उनकी तरफ से उलाहना भी देना चाहता हूं कि यह समय इतना पर्याप्त नहीं है जिससे कि इस महत्वपूर्ण विषय के साथ न्याय हो सके। मैं आशा करता हूं कि आइन्दा जब आप विचार करेंगे तो इस विषय के लिये फिर मौका देंगे, उसके लिये मैं आपका मशकूर हूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न उपस्थित किया है उसको आपने पढ़ ही दिया है इसलिये अब मेरे लिये उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। अब मैं मूल विषय पर ही आना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बचपन में एक किस्सा सुना था कि किसी बड़े गांव में डाकू डाका डालने गये तो उन्होंने सोचा कि अगर किसी दूसरी जगह लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिये कोई संगठन रचे बिना हमने एक जगह पर डाका डालना शुरू कर दिया तो सारे गांव के लोग वहां हो आ जायेंगे इसलिये उन्होंने एक दूसरी तरकीब निकाली कि गांव के जिस हिस्से में डकैती डालनी थी उसके दूसरी तरफ उन्होंने एक झोपड़ी में आग लगा दी। सारा गांव उस तरफ आग बुझाने में लग गया और दूसरी तरफ सारा सामान लेकर वह डाकू चलते बने। आज वही हालत शुगर इन्डस्ट्री की हो रही है। २३ फरवरी, १९६१ के बाद जबकि शुगर वेज बोर्ड का मसला पार्लियामेन्ट के सामने पेश हुआ, और सरकार ने अंतिम रूप से निश्चय कर दिया कि वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू होंगी, मिल मालिकों और इस सरकार के रुख में एक अजीब परिवर्तन होने लगे। कुछ समय तक यह चर्चा रही कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिशें लागू करने पर विचार होगा और तब वह लागू की जायंगी। जब वहां से सिफारिशें यहां आईं तो सरकार उस पर विचार करती रही और उसके साथ-साथ एक प्रोपेगेंडा आरम्भ हुआ कि शुगर का स्टाक ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, चूंकि लखनऊ से छपने वाले नेशनल हेराल्ड और पायनियर की प्रतियां आपकी आखों के सामने से नित्य गुजरती हैं इसलिये मैं आपको अधिक दूर नहीं ले जाना चाहता बल्कि मार्च के अंतिम सप्ताह के बाद छपने वाली प्रतियों की तरफ ही आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जबकि यू० पी० शुगर मिल एसोसिएशन के प्रेसीडेन्ट श्री सीताराम भार्वासह का एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मुख्य मंत्री जी से मिले थे और जब वह उनसे मिलकर निकल रहे थे तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका प्रतिनिधि मंडल कहां आया है, शुगर इंडस्ट्री बैठने जा रही है। उन्हीं से यह नारा शुरू हुआ कि ३० लाख टन अबकी बार

चीनी की पैदावार होने जा रही है और यह शुगर इंडस्ट्री बैठ जायगी। वहीं से एक दूसरी साजिश भी शुरू हुई। इसके बाद और बीच की जो घटनायें हैं उनको अलग करके मैं आपका ध्यान २ अप्रैल के अखबार में जो समाचार निकला है उसी ओर दिलाऊंगा। मैं केवल हेडिंग्स ही पढ़ूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पायनियर का एक अग्रलेख है जिसका हेडिंग है "शुगर मैलेज"। फिर उसके बाद २ अप्रैल को मुख्य मंत्री जो प्रॉविंस के नार्थ वैस्टर्न पार्ट में दौरे पर रहते हैं और उसी सिलसिले में दिल्ली भी जाते हैं। पायनियर में ४ अप्रैल को निकला है "गुप्ता मीट्स पाटिल, यू० पी० शुगर प्राब्लम डिस्कस्ड"। फिर ८ अप्रैल को जो अंक निकलता है उसमें यह आता है "मूव टु एक्सपोर्ट शुगर टु अमेरिका"। यह दिल्ली की खबर है। फिर उसके बाद न्यूज आइटम देखते हैं तो ८ अप्रैल के हैराल्ड में है "टु मच शुगर सरप्लस"। यह आवाज फिर दिल्ली से उठती है। फिर उसी के बाद ९ अप्रैल के पायनियर में फ्रंट पेजपर हेडलाइन है "शुगर क्राइसेस डीपंस, ग्रोअर्स थ्रैटेंड विद नान-पेमेंट आफ ड्यूज"। फिर ११ अप्रैल को पायनियर का एडीटोरियल है "शुगर क्राइसेस"। हैराल्ड में उसी दिन निकलता है "शुगर प्राइस वेज टैगिल, गुप्ता अपील्स टु नेहरू, पाटिल, देसाई"। केन ग्रोअर्स का दाम महीनों बाकी रहा तो उसके लिये कोई अपील नहीं की गई, शुगर वेज बोर्ड की सिफारिश नहीं लागू की गई तो कोई अपील नहीं हुई। लेकिन जहां मिल मालिकों का मामला आया तो फौरन दिल्ली को दौड़ा जाता है और अपील की जाती है।

मेरा ओपेंन चार्ज है कि जो शुगर इंडस्ट्री के ५ साझीदार हैं--मिल मालिक, सरकार, मजदूर, किसान और कंज्यूमर, और जो मिलकर इस उद्योग की गाड़ी को चलाते हैं, उनमें से मजदूर, किसान और कंज्यूमर-इन तीनों की जेब पर डाका पड़ने की संभावना हो गई है। उसी के लिये इस तरह की बातें हुई हैं। अब १३ अप्रैल और १५ अप्रैल को खबरों को भी देखा जाय। लिखा है "सेल आफ सरप्लस स्टाक आफ शुगर"। इसके सम्बन्ध में इतनी जल्दी आदेश आ गया कि एक महीने के अन्दर कोटा होल्डर्स के यहां से चीनी न बिकी तो हम फ्री कर देंगे। एक हफ्ते के अन्दर यह लालफीता शाही पर चलने वाली सरकार इतनी तेजी से कदम उठाने लगी।

श्री अध्यक्ष--इस समय कोरम नहीं है, आप जरा बैठ जायं।

(कोरम की घंटी बजायी गयी,)

श्री अध्यक्ष--आप तो समय ज्यादा मांग रहे थे। लेकिन आधा घंटे भी तो लोग नहीं बैठते हैं, जल्दी चले जाते हैं। अगर दिलचस्पी है तो पहले से एक व्हिप इश्यू हो जाना चाहिये पार्टी की तरफ से। आपके नेता ही चले गये.....

श्री मदन पांडेय--आड आवर्स हैं इसलिये ऐसा हो गया। कल इतवार है इस वजह से कुछ लोग चले गये हैं। अगर सोमवार को शाम को रख दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि अगर आप यह चाहते हैं तो सोमवार को रख दिया जायगा। इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आज मालूम होता है कि लोग जमना नहीं चाहते हैं।

सूचना उपमन्त्री (श्री रऊफ जाफरी)--अगर आप मुनासिब समझें, अध्यक्ष महोदय, तो सोमवार को ५ बजे के बाद रख दें।

श्री अध्यक्ष--यही ज्यादा अच्छा होगा। अब तो कोरम हो गया। मदन पांडेय जी तो अपना भाषण समाप्त कर दें।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, फिर उसके बाद आज के १५ अप्रैल के "स्वतंत्र भारत" में जो हेडिंग है व इस प्रकार है :--

"खेतों में खड़े गन्ने को क्रय एवं उत्पादकों को उनकी रकम की अदायगी का प्रश्न। केन्द्र द्वारा ठोस कदम उठाये जाने की सम्भावना। लोकसभा में सोमवार को कृषि मंत्री के वक्तव्य से स्थिति स्पष्ट होने की आशा।"

सौभाग्य से हमारे मुख्य मंत्री जो यहां इस समय हैं मैं उन से जानना चाहूंगा कि कौन से वह कारण हैं जिनके आधार पर उनको यह प्रतीत हुआ कि बड़ी एलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गयी है और चीनी की इतनी ज्यादा पैदावार हो गयी है कि इस तरीके से स्टेप्स उन्हें लेने पड़े हैं। जिस वक्त वह अपना वक्तव्य देंगे वह बताने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बड़ा आभार मानूंगा।

इस वक्त मैं बहुत लम्बी चौड़ी बातें या लम्बे चौड़े आंकड़े नहीं देना चाहता हूं इस वक्त मैं उनका ध्यान केन्द्रीय सरकार के खाद्यमंत्री श्री पाटिल द्वारा उनके कामर्स पत्रिका में दिसम्बर सन् १९६० में एक लेख लिखा गया था अभी उसको दो चार वर्ष नहीं बीते हैं उसमें उन्होंने शुगर प्रोडक्शन, शुगरकेन प्रोडक्शन, कितना एक्सपोर्ट कर सकेंगे आदि की पूरी पिक्चर निकाली है उस ओर ले जाना चाहता हूं। सन् १९४८-४९ में हमारे प्रदेश में चीनी का उत्पादन १० लाख टन के करीब था और उस वक्त हमारे प्रदेश में चीनी की खपत ११.८ लाख टन थी। सन् १९५९-६० में आते हैं तो चीनी की पैदावार २४ लाख २० हजार टन होती है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीतते-बीतते खपत का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह २५ लाख टन का था। इस तरह से कन्जम्प्शन की फिगर्स जो हमारे सामने प्लानिंग कमीशन ने रखी थी, देश की योजनाओं को हम जिस आधार पर चला रहे हैं उसको आधार मानकर चलें तो जो पिछले साल खपत आंकी गयी है उससे कम पैदा होती है और जितना इस साल सरप्लस आंका गया है वह किसी हालत में भी नहीं है। एरिया जो केन के नीचे है उसके सम्बन्ध में यू० पी० के फिगर्स मेरे पास हैं दिल्ली से आंकड़े मंगवाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिल सका लेकिन जो फिगर्स हैं यू० पी० की ४८-४९ की वह २०,६७,७७९ एकड़ है इस सूबे के अन्दर और वह बढ़ते-बढ़ते सन् ५६ में पहली पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष था उसमें २७ लाख और ५६-५७ में ३०,६६,१६५ टन हुआ, ५९-६० में २९ लाख टन।

श्री अध्यक्ष--इस विषय में मैं चाहता हूं कि आप लम्बा वक्तव्य न दें, क्योंकि आपको उनका बयान सुनना है और जब आपको केन्द्रीय सरकार के आंकड़े नहीं मालूम हैं तो आप सिर्फ यू० पी० के आंकड़े ले कर नतीजा निकालेंगे। आप फिर जवाब दे सकते हैं, उस वक्त उनसे आंकड़े लेकर जो कहना हो कह लीजिये गा। इस वक्त संक्षेप में आप कहें, इस समय आप का कहना इतना लाभप्रद नहीं होगा।

श्री मदन पांडेय--अध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र के खाद्य मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं उनके आधार पर यह साबित करना चाहता हूं कि यह सरप्लस का स्कैलर पैदा किया जा रहा है। तो मैं कहना जा रहा था कि ६५-६६ में चलकर के प्लानिंग कमीशन के मुताबिक ३० लाख टन बननी चाहिये तो हम होम कंजम्प्शन मीट कर सकेंगे। इसी ढंग से दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो एक वर्ष गुजर रहा था तब ३० लाख एकड़ गन्ने का उत्पादन ५६-५७ में हुआ। उस साल के पहले १५ लाख टन जो पहली पंचवर्षीय योजना में चीनी का उत्पादन होना चाहिये था उसके बजाय १८.६ लाख टन हुआ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अलार्मिंग सिचुएशन किस सूरत में पैदा हो गयी।

पाटिल साहब ने अपने लेख में स्पष्ट रूप से बताया है कि इस चीनी को वर्तमान लेविल पर लोन के किये, सेल्फ सफीशियेन्सी लाने के लिये (जब कि ३-४ लाख टन चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ता था), और उसके बाद भी एक्सपोर्ट करने के लिये, कौन-कौन से कदम उठाये जायेंगे। सबसे पहले उन्होंने गिनाया कि ५० प्रतिशत गन्ने का गुड़ बना लिया जाता है, ५ प्रतिशत गन्ने

की खांडसारी बन जाती है, १५ प्रतिशत बोने और चूसने में समाप्त हो जाता है, शेष ३० प्रतिशत गन्ने की चीनी बनायी जाती है। अब इन बातों से पता चलता है कि सेल्फ सफीशियेन्सी लाने के लिये क्या-क्या किया गया है। गुड़ और खांडसारी पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।

श्री अध्यक्ष—आप इस प्राब्लम को और वाइड कर रहे हैं। इस तरह से आप इसको व्यापक बनाते रहेंगे तो ५ रोज भी बहस के लिये कम होंगे।

श्री मदन पांडेय—श्रीमन्, उसके लिये गुड़ और खांडसारी का गला घोटा गया है जिससे कि वह सफेद चीनी को कम्पीट न कर पाये। यू० पी० में ही खांडसारी सबसे ज्यादा होती है।

श्री अध्यक्ष—लेकिन इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री मदन पांडेय—गुड़ और खांडसारी का गला घोंट कर ही चीनी की पैदावार को बढ़ाया गया है। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में उसके लिये एक बहुत बड़ी रकम रखी गयी है। एक तरफ तो यह किया जा रहा है और दूसरी तरफ मंत्री जी कहते हैं चीनी का उत्पादन बढ़ रहा है। एक तरफ तो माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई उत्पादन में बाधा डालेगा तो वह बरदाश्त न होगी लेकिन दूसरी तरफ जब चीनी पैदा हो जाती है तो यह इनाम दिया जाता है। रूस में प्लान पीरियड के पहले अगर कोई टारगेट हासिल कर लिया जाता है तो लोगों को प्लान से पहले उसको प्राप्त करने अथवा करीब-करीब भी प्राप्त करने के लिये इनाम दिया जाता है लेकिन यहां और ऐसा हो जाय तो और लोगों को पेनेलाइज किया जाता है। गन्ना क्योंकि अधिक पैदा हो गया है इसलिये शुगर मजदूरों को वेज बोर्ड लागू नहीं होगा, कन्ज्यूमर का दाम बढ़ा दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैंने जो यहां चर्चा उठाई है, उसके बारे में मुझे आशा है माननीय मुख्य मंत्री जी फैक्ट्स ऐंड फिगर्स के साथ उसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष—अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे। यह विषय सोमवार को ५ बजे से लिया जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १६ मिनट पर सोमवार, १७ अप्रैल, १९६१ को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१५ अप्रैल, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७० पर)

Copy of telegram dated April 10, 1961, from Sri L.P. Mathur, Vice-Chancellor, Agra University, to the Secretary to the Governor, U. P.

Please accept my resignation.

Copy of the telegram dated April 10, 1961, from Dr. Shri Ranjan, Vice-Chancellor, Allahabad University, Allahabad, addressed to the Governor, Uttar Pradesh, Lucknow.

To honour the wishes of the legislatures in the Universities Act, I tender resignation Vice-Chancellorship Allahabad Univesity for your kind acceptance stop Hand over charge to-day Registrar.

Copy of the telegram dated April 10, 1961, from Sri B. N. Jha, Vice-Chancellor, Gorakhpur University, Gorakhpur, to Sri B. Ramakrishna Rao, Governor, Uttar Pradesh, Lucknow.

Kindly accept resignation Vice-Chancellorship, Gorakhpur University.

Copy of letter no. 762-63, dated April 8, 1961, from Prof. Kali Prasad, Vice-Chancellor, Lucknow University, Lucknow, to the Chancellor, University of Lucknow, Lucknow.

I find that the University Amendment Bill was passed by the Council yesterday and is awaiting your assent. In the circumstances, I should like to be relieved of my office immediately.

I may also mention th at I consider the principle embodied in the Bill as unsound and inequitous and I should like to reserve my right to such legal remedy as may be open to me.

With kindest regards.

Copy of letter dated April 5, 1961, from Prof. K. A. Subramania Iyer, Vice-Chancellor (on leave), Varanasi Sanskrit University, to the Chnacellor, Varanasi Sanskrit University, Raj Bhavan, Lucknow.

Let me thank you very much for having extended my leave up to April 15, 1961.

I have been applying for leave in the hope that my health would permit me to return to work. I am, however, medically advised that, though I have improved considerably, I require further rest before I can resume duties such as the Vice-Chancellorship of the Sanskrit Univeristy involves. As I am not entitled to further leave, I feel that I have no alternative, in the interests of the Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya, but to resign from the office of Vice-Chancellor.

May I express my gratitude for the very sympathetic way in which you were kind enough to consider my case ? I am only sorry that my health does not permit me to work under your guidance, for a cause which, I know, is dear to you. I do not know when I will be returning to Lucknow. I shall call on you as soon as I do.

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—६२ ए० ए०—१९६१—८४५१ ।